केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

(रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिए निर्देशों का संकलन)

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग,

पंचकूला।

विषय सूची

अध्याय	*विषय*	*पृष्ठ*
1.	*निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासकीय मशीनरी*	1-3
2.	*निर्वाचन का संचालन*	4-12
3.	*चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चिन्ह आबंटित करना*	13-19
4.	*चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों द्वारा मतदान*	20-21
5.	*उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं की नियुक्ति,मतदान से पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु व निर्विरोध चुनाव*	22-24
6.	*मतदान दल का प्रशिक्षण*	25
7.	*मतपेटी उपयोग में लाने सम्बन्धी अनुदेश*	26-34
8.	*मतदान केन्द्र की व्यवस्था*	35-36
9.	*मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन*	37-38
10.	*मतदान एवं मतगणना सामग्री*	39-40
11.	*पंचायत चुनाव से सम्बन्धित कुछ बुनियादी बातें*	41-43
12.	*मतदान केन्द्र में प्रवेश पर नियन्त्रण तथा उसके आस पास की व्यवस्था*	44-45
13.	*मतदान*	46-49
14.	*मतगणना*	50-58
15.	*परिणामों की घोषणा*	59-60
16.	*निर्वाचन के दौरान होने वाली त्रुटियां व उनके बारे में दंड विधान*	61-64
	आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश/अधिसूचना/परिपत्र व अन्य दस्तावेज	65-150

अध्याय–1

निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासकीय मशीनरी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अन्तर्गत पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन का दायित्व उपायुक्त–एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सौपां गया है। अतः आयोग के सर्वोपरि निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन जिले में निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था की जिम्मेवारी उसी पर है। यदि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से मुख्यालय से अनुपस्थिति के कारण इन नियमों के अधीन, अपने किसी कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो, तो वह राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा को सूचित करते हुए अपनी ओर से ऐसे कृत्यों को पूरा करने के लिए अपर उपायुक्त को लिखित में आदेश द्वारा नियुक्त कर सकता है । हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 –क के अनुसार पंचायतों के निर्वाचन के दौरान कार्य संचालन के लिये नियुक्त या लगाये गये समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति में समझा जाएगा तथा सभी कर्मचारी उस अवधि के दौराण राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन रहेंगे।

जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिये उपायुक्त–एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर रहेगें, पंचायत समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों व पंचों के निर्वाचन के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य सरकार के अधिकारी जो वर्ग–।। की पदवी से नीचे का न हो, को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

1. ***रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 16 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जब उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए राज्य सरकार के अधिकारी जो वर्ग–II की पदवी से नीचे का न हो, किसी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में किसी सीट को भरने के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के रूप में नियुक्त करेगी:*

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, राज्य निर्वाचन आयुक्त या जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को, एक से अधिक पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायतों के निर्वाचन के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने से नहीं रोकेगा।

2. ***सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) की नियुक्ति–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 17 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त अथवा जब उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों का पालन करने में सहायतार्थ एक या अधिक व्यक्ति सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के रूप में नियुक्त कर सकता है।*

प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के नियंत्रणाधीन रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने में सक्षम होगा ।

3. ***रिटर्निंग अधिकारी के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) में शामिल करना*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 18 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के किसी निर्देश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) यदि वह इस प्रकार रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है शामिल समझा जाएगा ।*

4. ***रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के सामान्य कर्त्तव्य–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 19 के अन्तर्गत नियमों में उपबंधित रीति में किसी चुनाव में ऐसी सभी कार्यवाहियों का निर्वहन करना*

तथा सभी बातें करना जो निर्वाचन के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हों रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) का सामान्य कर्त्तव्य होगा।

5. ***मतदान केन्द्र*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 20 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक निर्वाचन के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा और मतदान की तिथि से बीस दिन पूर्व न कि उसके पश्चात् मतदान केन्द्र, क्षेत्र जिसके लिए वे स्थापित किए जाएंगे और कार्यालय/कार्यालयों का विवरण जिनके लिए मतदान केन्द्र में वोट डाले जाएंगे, को प्रदर्शित करने वाली ऐसी सूची की एक प्रति उपायुक्त, अपर उपायुक्त, जिला परिषद्, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचायत समिति और सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और सम्बद्ध सभा क्षेत्र के भीतर दो सहज दृश्य स्थानों पर चिपका कर प्रकाशित करेगा ।*

6. ***पीठासीन और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति–***

(1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 21 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा उस द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त उपायुक्त प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी की सहायतार्थ ऐसे मतदान अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगा, जितने वह जरूरी समझे:*

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो सरकारी सेवक या नगरपालिका विधि के अधीन किसी प्राधिकरण का कोई सेवक या सरकार के अधीन किसी लोक उपकम का सेवक नहीं है, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

परन्तु यह और कि यदि मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी, पूर्व अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान, किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या निर्वाचन में या के बारे में काम कर रहे व्यक्ति से अन्यथा मतदान केन्द्र में उपस्थित किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और तदानुसार रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा उस द्वारा इस तरह से प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को सूचित करेगा।

(2) *मतदान अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशों के अधीन रहते हुए, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।*

(3) *यदि पीठासीन अधिकारी बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए अनुग्रहीत किया जाता है तो उसके कृत्य का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो ऐसी किसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उस द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पहले से प्राधिकृत किया गया हो।*

(4) *इन नियमों में पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, कोई व्यक्ति जो उपरोक्त नियम के उप–नियम (2) या उप–नियम (3) जैसी भी स्थिति हो के अधीन कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, शामिल समझा जाएगा।*

7. ***पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्त्तव्य–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 22 के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र पर शांति बनाए रखना और यह ध्यान रखना कि मतदान निष्पक्ष हो पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्त्तव्य होगा।*

8. ***नियन्त्रण****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 23 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत, सहायक रिटर्निंग अधिकारी पंचायत, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और इन नियमों के अनुसार नियुक्त सभी अन्य व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के समय निदेश और नियंत्रण के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगे।*

9. ***अधिकारियों तथा कर्मचारी को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति के रूप में समझनाः****– मतदाता सूची को तैयार करने, पुनरीक्षण करने तथा शुद्धिकरण के सम्बन्ध में सभी चुनावों को करवाने के लिए चुनाव ड्यूटी हेतु इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारी ऐसी अवधि के लिए जिस के दौरान वे प्रतिनियुक्त किये गये हैं, को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति के रूप में समझा जाएगा और ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन रहेंगें।*

अध्याय–2

निर्वाचन का संचालन

1. ***निर्वाचन के विभिन्न स्तरों का नियतन–***

(1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 24 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित समय अनुसूची के अनुसार चुनावों के लिए कार्यकम बनाएगा।*

(2) *जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नोटिस द्वारा प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में नामांकन पत्र भरने के लिए नियत प्रथम दिन से कम से कम स्पष्ट पांच दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा, तिथि तथा तिथियां विनिर्दिष्ट करेगा; जिसको, तक या के भीतर;–*

(i) *नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे:*
परन्तु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि विहित की जाएगी।

(ii) *नामांकन पत्रों की सूची चिपका दी जाएगी;*

(iii) *नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी;*

(iv) *कोई भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकता है:*
परन्तु चुनाव चिह्न का आबंटन उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए नियत तिथि के तुरन्त बाद किया जाएगा।

(v) *चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी:*

(vi) *मतदान होगा:*
परन्तु मतदान की तिथि उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए नियत अन्तिम तिथि के पश्चात सातवें दिन से पहले नहीं होगी।

(vii) *मतपत्रों की गणना की जाएगी (यहां इस प्रयोजन के लिए नियत समय तथा स्थान भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा) ; तथा*

(viii) *निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा।*

(3) *नामांकन पत्र भरने उनकी छानबीन करने तथा वापसी की अन्तिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। यदि इन प्रयोजनों के लिए किसी अन्तिम तिथियों को सार्वजनिक अवकाश होता है, तो, ऐसा नामांकन पत्र भरने, उनकी छानबीन करने तथा वापसी का अन्तिम अगला अनुवर्ती दिन होगा, जो कि सार्वजनिक अवकाश नहीं है।*

(4) *राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा निर्वाचन कार्यकम को आदेश द्वारा किसी भी समय संशोधित, परिवर्तन, रूपान्तिरित या विखण्डित कर सकता है:*
परन्तु जब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा अन्यथा निर्देश न करे तब तक कोई भी, ऐसा आदेश आदेश की तिथि से पूर्व की गई किसी कार्यवाही को अवैध नहीं समझा जाएगा।

2 ***नोटिस के प्रकाशन की रीति***– *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 25 के अन्तर्गत नामांकन करने के लिए नियत प्रथम दिन से पहले पांच दिन से अनधिक नियम 24 के अधीन एक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा तथा ऐसे नोटिस की एक प्रति सम्बद्ध जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी।*

परन्तु ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्वाचन कार्यकम की सूचना प्ररूप 2 व 3 में जारी करने के

साथ–साथ निम्नलिखित सूचना भी प्ररूप में समाविष्ट की जायेगी–

कमांक	*पद जिसके लिये निर्वाचन होना है*	*वार्ड नम्बर*	*सामान्य /आरक्षित वर्ग*
1	*2*	*3*	*4*

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिये नियम 24 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सूचना में यह उल्लेख किया जाना होगा कि नामांकन पत्र कहां कहां प्रस्तुत किये जा सकेगे आदि, आयोग की राय में नियम 24 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सूचना में निम्नानुसार जानकारी समाविष्ट की जाये–

कम संख्या	*पद जिसके लिये निर्वाचन होना है*	*नामांकन पत्र प्राप्त करना*		*नामांकन पत्र की सवीक्षा*		*नामांकन पत्र वापसी*	
		स्थान	*रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी*	*स्थान*	*किस अधिकारी को प्राप्त होगा*	*स्थान*	*किस अधिकारी द्वारा सवीक्षा की जानी है*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*पंच/सरपंच*	*ग्राम पंचायत मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*ग्राम पंचायत मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*ग्राम पंचायत मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*
2.	*पंचायत समिति सदस्य*	*विकास खण्ड मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*विकास खण्ड मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*विकास खण्ड मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*
3.	*जिला परिषद सदस्य*	*जिला मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*जिला मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*	*जिला मुख्यालय*	*रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*

टिप्पणीः रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) से आशय जिस पद के लिये निर्वाचन होना है, उसके लिये नियुक्त रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) से है ।

नामांकन पत्र प्राप्ति के स्थान पर मतदाता सूचि की अधिकृत प्रति नियमानुसार उपलब्ध होना आवश्यक है–

1.	*जिला स्तर पर (जिला परिषद के सदस्य के लिये नामांकन पत्र प्राप्त करने का स्थान*	*पूरे जिले की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां*
2.	*खण्ड स्तर पर (पंचायत समिति के सदस्य के लिये नामांकन पत्र प्राप्त करने का स्थान*	*पूरे खण्ड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां*
3.	*खण्ड के नीचे ग्राम पंचायत मुख्यालय (पंच/सरपंच पद के लिये नामांकन पत्र प्राप्त करने का स्थान)*	*सम्बन्धित ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियां जिनसे सम्बन्धित पदों के लिये नामांकन पत्र उस स्थान पर प्राप्त किये जा रहे हैं ।*

3. ***उम्मीदवारों का नामांकन–***

(1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 26 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए किसी स्थान को भरने के लिए उम्मीदवार के रूप में नांमाकित किया जा सकता है, यदि वह अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य है।*

(2) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 27 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नामांकन पत्र प्ररूप 4 में होगा।*

(3) *प्ररूप 4 क सहित नामांकन पत्र मांग पर, किसी भी मतदाता को रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा सप्लाई किया जाएगा।*

(4) *उम्मीदवार को पूरी सूचना नामांकन पत्र के साथ प्ररूप–4 क में भरकर रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी ।*

परन्तु उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य की सीट के लिए चुनाव लडना चाहता है को न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर/दस्तावेज पेपर (पक्का पेपर) पर सूचना देनी होगी तथा प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायलय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त के समक्ष अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हों), के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होगी ।

परन्तु यह और कि उम्मीदवार जो ग्राम पंचायत के पंच व सरपंच की सीट का चुनाव लडना चाहता है, को साधारण कागज पर सूचना देगा ।

(5) *नामांकन पत्रों के प्ररूप (प्ररूप –4) व प्ररूप 4–क निर्धारित स्थानों पर जहां नामांकन पत्र प्राप्त किये जाते हैं पर्याप्त संख्या में रखे जावें और आपकी ओर से एक अभ्यर्थी को प्ररूपों की एक–एक ही प्रति उपलब्ध कराई जाये ।*

(6) *चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि के प्ररूप (6,7, 8 व 9) नामांकन पत्रों के प्राप्त किये जाने वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में रखे जायें इसके अतिरिक्त स्टेशनरी की अग्रिम व्यवस्था करके खण्ड स्तर से नीचे के स्थानों पर अग्रिम व्यवस्था की जाये । निक्षेप (जमानत)की धनराशि प्राप्त करने के लिये रसीद बुक इसमें महत्वपूर्ण है। प्रत्येक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को एक रसीद बुक दी जानी होगी ।*

4. ***नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 27 के अन्तर्गत नियम 24 के अधीन नियुक्त तिथि को प्रत्येक उम्मीदवार प्ररूप–4 तथा प्ररूप 4–क में उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित सम्यक् रूप में किया गया एक नामांकन पत्र तथा नियम 24 के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर उस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारी पंचायत द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत या सहायक रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करेगा। पंचायत निर्वाचन के लिए एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी पंचायत नियुक्त कियें जाते है किन्तु उनमें से वही सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेगा जो विशिष्ट रूप से इसके लिये अधिकृत किया गया हो।*

सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन पत्र प्राप्त करने या नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही न की जाये, सार्वजनिक अवकाश से आशय केवल उसी अवकाश दिवस से है, जो निगोशियएबल इन्स्ट्रमैंट एक्ट 1881 (1881 *के क्रमांक 26 धारा 25 के अन्तर्गत) अवकाश घोषित है ।*

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का तथा वापसी का समय नियत दिनों में 10.00 पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराह्न बजे तक का रखा गया है, यदि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने या नामांकन पत्र वापिस लेने के लिये 4.00 बजे अपराह्न अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के कक्ष में उपस्थित हो चुके हों परन्तु नामांकन पत्र या नामांकन वापसी की सूचना को प्राप्त करने की प्रकिया में समय लग रहा हो तो आप ठीक 4 बजे जितने अभ्यर्थी (उम्मीदवार)आपके कक्ष में आ चुके हो उन्हें पर्ची दे दें और केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र या नामांकन पत्र की वापसी की सूचना प्राप्त करें ।

नामांकन पत्र प्राप्त करने के स्थानों और अवधि के दौरान वहां पर रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का लगातार उपस्थित रहना आवश्यक है। इसके अभाव में चुनाव प्रकिया की वैधता को चुनौती दी जा सकती है ।

नामांकन पत्र उम्मीदवार स्वंय प्रस्तुत कर सकता है । हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 173, 174 तथा 175 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम के मतदाताओं की सूचि में सम्मिलित है उस पंचायत जिसके अन्तर्गत वह ग्राम आता है के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये योग्य है। नामांकन पत्र के साथ जाति–प्रमाण पत्र या मतदाता सूचि की प्रतिलिपि जैसे अभिलेख संलगन किया जाना न आवश्यक है और न अपेक्षित ही है। संवीक्षा/जांच के समय इन बिन्दुओं पर आपत्ति आने पर इस सम्बन्ध में पक्ष–विपक्ष में प्रमाण/साक्ष्य लिया जा सकता है ।

नामांकन पत्र जैसे ही प्रस्तुत किये जायें उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर कम संख्या, प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित करना चाहिये ।

चूंकि पंच और सरपंच के लिये नामांकन पत्र खण्ड स्तर के नीचे स्थापित स्थान पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता कि कोई पंच/सरपंच का अभ्यर्थी खण्ड मुख्यालय पर भी अपना नामांकन पत्र गलती में प्रस्तुत करे, ऐसी स्थिति को रोकने के लिये यह आवश्यक होगा कि खण्ड मुख्यालय पर एक विशेष नोटिस लगाया जाये जिसमें यह स्पष्ट हो जाये कि पंच/सरपंच के पद के लिये नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लिये निर्धारित केन्द्र पर ही रिटर्निंग आफिसर पंचायत या निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर पंचायत को प्रस्तुत किये जायें ।

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही कोई नामांकन पत्र दाखिल हो, सरसरी तौर पर उसकी जांच कर ले जैसे क्या अभ्यर्थी का मतदाता सूचि अनुकमांक सही अंकित है या नहीं आदि आदि । कोई लिपकीय त्रुटि हो तो उसे उसी समय उम्मीदवार को बताकर ठीक करवा लें ।

नामांकन पत्र प्राप्त करने पर रिटर्निंग आधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को नामांकन पत्र की संवीक्षा/जांच के लिये नियत दिन, समय तथा स्थान की सूचना दी जाये ।

नामांकन प्राप्त करने के लिये निर्धारित दिनों में प्रतिदिन उस दिन प्राप्त नामांकन पत्रों का विवरण रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त करने के स्थान के बाहर सूचना फलक पर प्रदर्शित किया जाये ।

नामांकन सूचना

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ————————————————————

के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र कमांक ————————————से पंच/सरपंच/सदस्य के लिये निर्वाचन ।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर वर्णित निर्वाचन के बाबत निम्नलिखित नामांकन 4.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुये हैं।

नामांकन पत्र का कम संख्यांक	*अभ्यर्थी का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*अभ्यर्थी की आयु*	*पता*	*अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का यदि हो तो जाति का विवरण*	*अभ्यर्थी का मतदाता सूचि कमांक*
1	2	3	4	5	6	7

दिनांकः
स्थानः

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/
सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

नोटः *इसी प्ररूप में एक पंजी भी संगृहित की जाये और उसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अतिरिक्त कालम जोड़कर नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्राप्त कर लिये जावे।*

5. ***जमा* (Deposits/Security)**–

(1) *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 28 के अन्तर्गत कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामांकित नहीं समझा जाएगा जब तक उसने नकदी में रिटर्निंग अधिकारी पंचायत के सरकारी खजाना या उप खजाना में निम्नलिखित जमा न कर दिया हो या न करवा दिया हो–*

क. किसी वार्ड से पंच की दशा में 100 रूपये की राशि तथा जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य है 40 रूपये की राशि,

ख. किसी सरपंच की दशा में 200 रूपये की राशि और जहां कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य है 100 रूपये की राशि,

ग. पंचायत समिति के किसी सदस्य की दशा में 300 रूपये की राशि तथा जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य है 150 रूपये की राशि,

घ. जिला परिषद् के सदस्य की दशा में 400 रूपये की राशि तथा जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य है 200 रूपये की राशि,

(2) *यदि कोई उम्मीदवार जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उक्त नकदी जमा करवाई गई है, निर्वाचित नहीं किया जाता है तथा उसके लिए डाले गए मतों की संख्या उस उम्मीदवार के लिए डाले गए मतों से एक तिहाई से कम है, जो निर्वाचित किया गया है तो उसका जमा/नकदी सरकार को जब्त कर दिया जाएगा ;*

परन्तु सरपंच के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की दशा में जमा धन तब जब्त किया जायेगा यदि सरपंच के पद के लिए डाले गये मतों की कुल संख्या का दसवां भाग प्राप्त करने में असफल रहता है।

(3) (*क*) *निम्नलिखित मामलों में जमा रिटर्निंग अधिकारी के एक लिखित आदेश द्वारा उम्मीदवार को अथवा जहां वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके विधिक/कानूनी प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा–*

(i) *जहां उम्मीदवार का नामाकंन पत्र रदद कर दिया जाता है ; या*

(ii) *जहां उम्मीदवार ने विनिर्दिष्ट/निर्धारित अवधि के भीतर अपना नामांकन पत्र वापिस ले लिया है; या*

(ii) *जहां उम्मीदवार मतदान आरम्भ होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया है ;*

(*ख*) *जहां धन खजाना या उप खजाना में जमा करवाया गया था, उम्मीदवार या उसके विधिक प्रतिनिधि तथा स्थिति के पक्ष में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चालान पृष्टाकिंत किया जायेगा ;*

(*ग*) *जहां धन रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करवाया गया था यथास्थिति पश्चातवर्ती उम्मीदवार या उसके विधिक प्रतिनिधि, को लौटा देगा ;*

(*ध*) *निम्नलिखित मामलों में निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के बाद तथा पूर्वोक्त लौटा दिया जायेगा–*

(i) *जंहा उम्मीदवार यद्यपि निर्वाचित नहीं किया गया है, नियम 28 के उप–नियम 2 के अधीन अपना जमा जब्त नहीं करता ;या*

(ii) *जहां उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है।*

(4) *जमा उम्मीदवार को यथास्थिति लौटा दिया जायेगा, या यदि व्यक्ति को जिसके द्वारा यह जमा किया गया था उसके द्वारा उस व्यक्ति को जमा नहीं किया जाता या उसके विधिक/कानूनी प्रतिनिधि को, जैसे भी स्थिति हो।*

6. ***नामांकन का नोटिस तथा छानबीन के लिए समय तथा स्थान***– *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम 29 के अन्तर्गत नामांकन पत्र प्राप्त करने पर रिटर्निंग अधिकारी पंचायत उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के नामांकन पत्र की छानबीन का दिन, समय तथा स्थान सूचित करेगा तथा नामांकन पत्र पर उसकी कम संख्या दर्ज करेगा और उस पर तिथि जिसको तथा घण्टा जिस पर उसे नामांकन पत्र प्रस्तुत किया गया का एक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा, तथा तत्पश्चात् यथाशीघ्र, उम्मीदवार के नामांकन पत्र में अन्दर लिखित विवरणों के समान विवरण वाला एक नोटिस अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवायेगा।*

7. ***नामांकन की संवीक्षा/छानबीन***– *जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन पत्रों की सवींक्षा/जांच रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा जिला मुख्यालय में की जायेगी, पंचायत समिति के सदस्यों के नामांकन*

पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी और पंच व सरपंच के मामले में संवीक्षा रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा सम्बन्धित ग्राम के लिये निर्धारित केन्द्र पर होगी। उपरोक्त सभी पदों के लिये सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों को रद्द करने के लिये सक्षम होगा।

सवींक्षा कार्य नियत दिनांक को ठीक 10.00 बजे पूर्वाहन प्रारम्भ कर दिया जाये । सवींक्षा के दौरान रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित रह सकते है :–

(i) *उम्मीदवार*

(ii) *उम्मीदवार का निर्वाचन अभिकर्ता/एजेंट और*

(iii) *उम्मीदवार द्वारा लिखित में प्राधिकृत* (authorise) *कोई अन्य व्यक्ति ।*

उम्मीदवारों को, जो उसी पद के लिये हों, नामांकन पत्रों का अवलोकन और परीक्षण करने की युक्तियुक्त सुविधा दी जाये ।

नामांकन पत्र को निम्न में किन्हीं आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है –

(i) *कि उम्मीदवार अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थान को भरे जाने के लिये अयोग्य है,*

(ii) *कि नियम 26, 27, 28 के उपबन्धों में किन्हीं का अनुपालन करने से असफलता रही है ,तथा*
नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर सही नहीं है ।

प्रत्येक नामांकन के बारे में आप अपना समाधान कर लें कि नामांकन पत्र विधिमान्य है, यदि नामांकन पत्र के सम्बन्ध में कोई आरोप लगाया जाता है तो आपको उसका निर्णय करने के लिये संक्षिप्त जांच करनी चाहिये ।

यदि आपत्ति को रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) प्रथम दृष्टि खारिज नहीं कर रहा है तो ऐसी दशा में उम्मीदवार को उसके खंडन का अवसर देना चाहिये और समय मांगने पर अधिक से अधिक अगले दिन तक का समय दिया जाये, रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को प्रत्येक आपति पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करना होगा ।

यह ध्यान रखा जाये कि किसी आपत्ति के तथ्यों को सिद्ध करने का भार सामान्यतः आपत्तिकर्ता पर है। सम्बन्धित ग्राम की मतदाता सूचि में नाम होना किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के सम्बन्ध में निश्चयात्मक साक्ष्य होगा जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि उम्मीदवार अन्यथा अयोग्य है। संवींक्षा/जांच में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या ऐसी त्रुटि जो सारभूत प्रकार की नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये, सामान्य दृष्टिकोण उम्मीदवारों को मतदाता के समक्ष जाने का अवसर देने का होना चाहिये। कोई नामांकन पत्र मात्र इस आधार पर कदापि अस्वीकार न किया जाये कि संवीक्षा के समय उम्मीदवार उपस्थित नहीं था ।

आपत्तियों के निराकरण के पश्चात प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकर करने का अस्वीकार करने सम्बन्धी निर्णय लिखित रूप में रिकार्ड किया जावें, यदि नामांकन पत्र नामाजूंर करने का निर्णय हो तो ऐसी नामजूंरी के लिये कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाये और इसकी एक प्रति उम्मीदवार को भी दे दी जाये ।

समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा/जांच कर दिये जाने तथा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने सम्बन्धी निर्णय को रिकार्ड करने के ठीक पश्चात रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)उन उम्मीदवारों की जिनके नामांकन पत्र स्वीकार कर लिये गये है एक सूचि तैयार करेगा और

संवीक्षा/जांच समाप्त होने के ठीक पश्चात उस सूचि को अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा। इस सूचि में उम्मीदवारों के नाम वर्णाकम में अर्थात हिन्दी वर्णमाला के अक्षरों के कम में लिखे जायें। यह सूचि निम्न प्रकार से होगी । रिटरनिंग अधिकारी पंचायत उपरोक्त की एक–एक प्रति उपायुक्त –एंव–जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा, पचंकूला को भी प्रेषित करेगा।

विधिमान्य नामांकन अभ्यर्थियों की सूचि

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ————————————————के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ————————के पंच/सरपंच/सदस्य के लिये निर्वाचन

क्रम संख्याक	*अभ्यर्थी का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*अभ्यर्थी का पता*
1	*2*	*3*	*4*

स्थानः
दिनांकः

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) /
सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

8. ***उम्मीदवारी वापिस लेना–*** *जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अपने नामाकंन पत्र वापिस की सूचना प्ररूप 5 में सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) या निर्दिष्ट सहायक आर0ओ0 को जिला मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगें, सदस्य पंचायत समिति के मामले में नामांकन वापिसी की सूचना दम्मीदवारों द्वारा प्ररूप 5 में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/ निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग अधिकारी को खण्ड स्तर मुख्यालय में प्रस्तुत की जायेगी और पंच /सरंपच के पदों के सम्बन्ध में यह सूचना प्ररूप 5 में खण्ड स्तर से नीचे जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत द्वारा निर्धारित केन्द्रो पर रिटर्निंग अधिकारी/निर्दिष्ट सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को दी जा सकेगी, जहां पर नामांकन पत्र प्रस्तुत/प्राप्त किये गये थे ।*

नामांकन वापिसी की सूचना या तो––

उम्मीदवार द्वारा स्वतः

या

उम्मीदवार द्वारा इस निमित लिखित रूप से प्राधिकृत किये जाने पर उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दी जा सकेगी। ऐसी सूचना उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये । नामांकन पत्र वापसी के नोटिस की रसीद विहित प्ररूप में अभ्यर्थी को दी जानी चाहिये ।

एक बार उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना देने के बाद ऐसी सूचना को वापस नहीं लिया जा सकेगा।

उम्मीदवारी वापस लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा सूचना की प्रमाणिकता तथा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेना चाहिये । यदि उम्मीदवार स्वयं उपस्थित नहीं हो, तब और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है ।

जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिये हों उनकी सूचि रिटर्निंग आफिसर अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा। यह निम्न प्रकार से होगी–

नामांकन पत्र वापिस लेने वाले अभ्यर्थियो की सूचि

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ——————————————के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र कमांक ——————————के पंच/सरपंच/सदस्य के लिये निर्वाचन

कम संख्याक	*अभ्यर्थी का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*अभ्यर्थी का पता*
1	*2*	*3*	*4*

स्थानः
दिनांकः

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) /
सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

9. ***चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची तैयार करना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 32 के अनुसार नामांकन पत्र वापिस लेने की अवधि की समाप्ति के तुरन्त बाद, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की प्ररूप 6, 7, 8 या 9 में एक सूची तैयार करेगा तथा प्रकाशित करेगा अर्थात उम्मीदवार जिनके नामांकन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गये हैं तथा जिन्होंने कमशः पंच, सरपंच के पद के लिए या पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के सदस्य के लिए उक्त अवधि के भीतर अपने नामांकन वापिस नहीं लिए हैं ।*

उक्त सूची में, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम देवनागरी लिपि में, हिन्दी में वर्णात्मक कम में तथा पते जैसे कि नामांकन पत्रों में दिए गए हों, के अधीन रहते हुए दिए जाएंगे ।

अध्याय–3

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आंबटित करना

1. ***चुनाव के लिए चिन्ह–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 33 के अन्तर्गत जहां मतदान आवश्यक हो गया हो, वहां रिटर्निंग अधिकारी पंचायत राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रकाशित चिन्हों में से कोई एक, आयोग द्वारा निर्धारित विधि अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को समान रूप से प्रदान करेगा । चुनाव चिन्हों की एक सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है तथा आयोग ऐसी सूची में कोई भी जोड़ तथा परिवर्तन कर सकता है । रिटर्निंग अधिकारी पंचायत द्वारा किसी उम्मीदवार को किसी चुनाव चिन्ह का आबंटन अन्तिम होगा । प्रत्येक उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता* (Election Agent) *को, उम्मीदवार को आबंटित किए गए चिन्ह की सूचना दी जाएगी ।*

2. ***पंच/सरपंच के पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करने की प्रकिया–***

पंच और सरपंच के चुनाव राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्हों के आधार पर नहीं लड़े जाते और उम्मीदवारों को उक्त पदों के लिए चुनाव चिन्ह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से आबंटित किए जाएगें । अतः उक्त पदों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित करते समय निम्न प्रकिया अपनाई जाएगी–

उम्मीदवारी वापिस लिये जाने के पश्चात चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूचि प्ररूप 6 और 7 में तैयार करना और उसका प्रकाशित करना आवश्यक है। यह सूचि देवनागरी लिपि के वर्णकमानुसार हिन्दी में तैयार किये जाने का प्रावधान है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम कुल नाम (सरनेम) के साथ है उनके सम्बन्ध में सरनेम के प्रथम अक्षर तथा जिनके नाम सरनेम सहित न हो उनके नाम के प्रथम अक्षर के वर्णकम से लिखे जायें । प्रावधानों को स्पष्ट करने तथा अन्य सम्भावित परिस्थितियों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतू निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जायः–

(i) *नामांकन पत्रों की सवींक्षा का कार्य समाप्त होने के पश्चात रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से उसके नाम के सही–सही स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, इस स्तर पर अभ्यर्थी को यह अवसर दिया जा सकता है कि वह अपना नाम मतपत्रों पर किस रूप में चाहता है, यह स्पष्ट कर दें। यदि अभ्यर्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा जानकारी न दी जाये तो नामांकन पत्र में उसके द्वारा अपना नाम जिस रूप में लिखा गया है उसी रूप में सूचि में अंकित किया जाएगा ।*

(ii) *अभ्यर्थी का नाम हिन्दी भाषा में देवनागरी लिपि के वर्णकम अनुसार लिखा जायेगा। नामों के स्वर तथा व्यजनों का कम वही होगा जैसा कि हिन्दी वर्णमाला में दिया गया है । नामों के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित किया जायेगा । यदि अभ्यर्थी अपने नाम के साथ अपना कुल नाम (सरनेम) लिखता है, तो सरनेम के प्रथम अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी अपने नाम के साथ कुल नाम नहीं लिखना चाहता है, तो उस दशा में उसके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर उसका वर्णकम निर्धारित किया जायेगा ।*

(iii) *यदि अभ्यर्थी का नाम आद्याक्षर/आधे अक्षर से प्रारम्भ होता है तो वर्णकम निर्धारित करते समय आद्याक्षर की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, जैसे यदि शिव कुमार अपना नाम एस0 कुमार लिखते है तो इस स्थिति में एस0 के बदले मे कु0 अक्षर के आधार पर वर्णकम निर्धारित होगा ।*

(iv) *किसी भी अभ्यर्थी के नाम के साथ आदर सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम या व्यवसाय दर्शाने वाले शब्द या किसी उपाधि को दर्शाने वाले शब्द जोड़ने में कोई आपति नहीं है परन्तु नामों का वर्णकम व्यवस्थित करते समय इन शब्दों के प्रथमाक्षर पर ध्यान नहीं दिया जायेगा जैसे : डा0 आनन्द मोहन इन नाम को आ अक्षर (आनन्द नाम के) से आने वाले कम में लिखा जायेगा। डा0 शब्द के आधार पर नहीं ।*

(v) *पूर्ण अक्षर से आरम्भ होने वाले नाम के बाद संयुक्त अक्षर से प्रारम्भ होने वाले नाम लिखे जायेगें लेकिन उनमें भी व्यजनों का कम वर्णमाला में दर्शाये अनुसार ही रखा जायेगा, उदाहारण के लिये :*

(1) *सरला सक्सेना*

(2) *स्मिता सक्सेना*

इस स्थिति में पहले ***सरला सक्सेना*** *नाम लिखा जायेगा बाद में* ***स्मिता सक्सेना*** *का नाम लिखा जायेगा ।*

(vi) *संयुक्त अक्षरों से प्रारम्भ होने वाला कोई नाम यदि उच्चारण में एक जैसे प्रतीत होते है किन्तु उन नामों को भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है जैसे–*

(1) *अम्बा प्रसाद*

(2) *अंबा प्रसाद*

तो उपरोक्त नामों में अम्बा प्रसाद प्रथम कम में लिखा जायेगा और अंबा प्रसाद उसके बाद लिखा जायेगा क्योंकि अम्बा में प्रथम ***स्वर अ*** *वर्णमाला में प्रथम है जबकि अंबा में* ***स्वर अं*** *वर्णमाला के अन्त में है ।*

(vii) *यदि दो अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे है तो उनके वर्णकम निर्धारित करने के लिये उनके पिता के नामों का प्रथमाक्षर ध्यान में रखा जायेगा जैसे–*

(1) *कन्छेदी लाल बाबू लाल*

(2) *कन्छेदी लाल आत्मा राम*

उपरोक्त नामों के ***कन्छेदी लाल आत्मा राम*** *का नाम पहले लिखा जायेगा। **कन्छेदी लाल बाबू लाल** का नाम उसके बाद लिखा जायेगा।*

(viii) *यदि दो अभ्यर्थियों का नाम तथा उनके पिता का नाम भी एक समान हो तो ऐसी दशा में उनके नामों को उनके द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्रों की तिथि एवं समय के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय कम पर लिखा जायेगा जैसे–*

(1) *बिसाउलाल केजू लाल*

(2) *बिसाउलाल केजू लाल*

उपरोक्त दोनों अभ्यर्थियों में यदि कम 1 पर उल्लेखित अभ्यर्थी द्वारा निर्देशन पत्र क0 2 पर उल्लेखित अभ्यर्थी के पहले प्रस्तुत किया गया है तो उसका नाम दूसरे अभ्यर्थी के पहले सूचि में लिखा जायेगा ।

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी पंचायत चिन्ह वितरित करते समय नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिससे यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह वितरित करने की सूचना दे दी गई है।

उपरोक्तानुसार तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूचि जिसमें अभ्यर्थी को आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी अंकित है, की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)/सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के कार्यालय सूचना फलक पर प्रदर्शित की जाये और एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता को प्रदान की जाये ।

3. पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य के पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करने की प्रकिया.

पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के चुनवा पार्टी आधार पर हो सकते हैं, अतः इन्ह पदों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह् आबंटित करते समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "हरियाणा पंचायती राज चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2014" में वर्णित प्रकिया की अनुपालना की जाए, जिसका विवरण निम्न अनुसार है:

(*क*) ***राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आबंटन–***

(i) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन में किसी राष्ट्रीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई उम्मीदवार उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।*

(ii) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन में राज्य स्तरीय दल द्वारा खड़ा किया गया ऐसा कोई उम्मीदवार उस दल का आरक्षित प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, चुनेगा, तथा वही उसे आबंटित किया जाएगा ।*

(iii) *पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी भी वार्ड के निर्वाचन मे आरक्षित प्रतीक का किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा चयन तथा उसे उसका आबंटन न किया जाएगा, जो उस राष्ट्रीय दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, या उस राज्यीय दल जो हरियाणा राज्य में राज्यीय दल है, ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न हो, भले ही उस पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के उस वार्ड में ऐसे राष्ट्रीय अथवा राज्यीय दल द्वारा कोई भी उम्मीदवार खड़ा न किया गया हो ।*

(*ख*) ***अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों/चुनाव चिन्हों का चयन और उनका आंबटन–***

(1) *पंचायत समिति व जिला परिषद के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार जोकि निम्न का सदस्य नहीं है –*

i) *राष्ट्रीय राजनैतिक दल,*

ii) *राज्य स्तरीय राजनैतिक दल (हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त), या*

iii) *आयोग की द्वारा जारी अधिसूचना {हरियाणा पंचायती राज चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश} दिनांक 13.03.2014 के पैरा 9 में वर्णित उम्मीदवार*

ऐसा उम्मीदवार वही चुनाव चिन्ह चुनेंगा या उसे वही चिन्ह आबंटित किया जाएगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से एक हो ।

(2) *जहां कि ऐसे निर्वाचन में एक मुक्त प्रतीक केवल एक उम्मीदवार द्वारा चुना गया है, वहां रिटर्निंग अधिकारी वह प्रतीक उसी अभ्यर्थी को आबंटित करेगा, न कि किसी अन्य को ।*

(3) *जहां कि ऐसे निर्वाचन में कई उम्मीदवारों द्वारा एक ही मुक्त चुनाव चिन्ह चुना गया है, वहां–*

i) *यदि उन कई उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार किसी अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा शेष सभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी, यह मुक्त प्रतीक उस अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को, आबंटित करेगा, और यदि उन कई उम्मीदवारों में से दो या अधिक*

उम्मीदवार विभिन्न अमान्यता प्राप्त राजैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए हैं, तथा शेष निर्दलीय उम्मीदवार हैं तो, रिटर्निंग अधिकारी, लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, उन दो या अधिक उम्मीदवारों में से किसको वह मुक्त चिन्ह आबंटित किया जाए तथा जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।

परन्तु, जहां विभिन्न अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, ऐसे दो या अधिक उम्मीदवारों में से एक, ऐसे निर्वाचन से, ठीक पूर्व, यथास्थिति, पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद का आसीन्न सदस्य है, या था (इस तथ्य पर विचार किए बिना कि पहले निर्वाचन में जब वही मुक्त ऐसा सदस्य चुना गया था, उसे वही मुक्त प्रतीक आबंटित किया गया था अथवा कोई अन्य प्रतीक), व रिटर्निंग अधिकारी उस उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।

ii) *यदि उन कई उम्मीदवारों में से कोई भी किसी अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा नहीं किया गया है लेकिन सभी उम्मीदवार निर्दलीय हैं, तथा उन निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक ऐसे निर्वाचन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद् का आसीन्न सदस्य है, या था, और पहले निर्वाचन में जब वह ऐसा सदस्य चुना गया था, तब उसे वही मुक्त चुनाव चिह्न/प्रतीक आबंटित किया गया था तो रिटर्निंग अधिकारी, उस उम्मीदवार को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त चुनाव चिह्न आबंटित करेगा ; तथा*

iii) *यदि उन कई उम्मीदवारों में सभी निर्दलीय हैं और कोई भी यथापूर्वोक्त आसीन सदस्य नहीं हैं या नहीं था, तो रिटर्निंग लॉट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि उन निर्दलीय उम्मीदवारों में से किसको वह मुक्त प्रतीक आबंटित किया जाए, तथा जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉट निकले, उसी को, न कि किसी अन्य को, वह मुक्त प्रतीक आबंटित करेगा ।*

परन्तु यह कि पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् का चुनाव लड़ रहे प्रत्येक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने नामाकंन पत्र में उस निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों में से तीन मुक्त प्रतीक प्राथमिकता के आधार पर कम वार देने होंगे।

(*ग*) ***कोई उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया कब माना जाएगा–***

किसी पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् के किसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को राजनैतिक दल द्वारा तभी और सिर्फ तभी खड़ा माना जाएगा यदि,–

(i) *उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ इस आशय की एक निर्धारित घोषणा की है;*

(ii) *उम्मीदवार उस राजनैतिक दल का सदस्य है और उसका नाम दल के सदस्यों की नामावली में शामिल है;*

(iii) *राजनैतिक दल द्वारा फार्म–ख में इस आशय की सूचना नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तारीख को दोपहर तीन बजे से पहले, उस वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी को दे दी गई हो;*

(iv) *उक्त नोटिस फार्म–ख में दल के अध्यक्ष, सचिव तथा किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो और नोटिस भेजने वाले अध्यक्ष, सचिव तथा अन्य पदाधिकारी को, उस राजनैतिक दल द्वारा ऐसी सूचना भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;*

(v) *ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और नमूना हस्ताक्षर दल द्वारा फार्म–'क' में पंचायत समिति तथा जिला–परिषद् के रिटर्निंग–अधिकारी को नामांकन भरने की अन्तिम तारीख को दोपहर तीन बजे से पहले सूचित कर दिए गए हैं, और*

(vi) *फार्म–'क' और 'ख' उक्त पदाधिकारी या दल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है:*

परन्तु यह कि ऐसे किसी प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किए हुए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और फैक्स द्वारा भेजा गया कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ध) ***हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अतिरिक्त अन्य राज्यीय/केन्द्र शासित राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए रियायतें–***

हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अतिरिक्त अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, कोई उम्मीदवार हरियाणा राज्य में पंचायत समिति अथवा जिला–परिषद् के किसी वार्ड से खड़ा करता है तो, उस वार्ड के अन्य सभी उम्मीदवारों का अपवर्जन करते हुए, उस दल के लिए, उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में, जहां वह मान्यता प्राप्त राज्यीय दल है, आरक्षित प्रतीक, निम्नलिखित शर्तों में से प्रत्येक को पूरा करने पर, ऐसे उम्मीदवार को आबंटित किया जाएगा,–

i) *कि उक्त दल ने, अपने द्वारा खड़े किए उम्मीदवार को प्रतीक अनन्य रूप से आबंटित करने के लिए आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को, चुनावों की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् उसके तीन दिन के भीतर आयोग को दिया है;*

ii) *कि उक्त उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की है कि निर्वाचन में उक्त दल द्वारा उसे खड़ा किया गया है और यह कि ऐसे उम्मीदवार के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 के पैरा–11 के साथ पठित पैरा–9 के खण्ड (ख),(ग), (घ) और (ङ.) कि अपेक्षाओं को भी पूरा किया है, और*

iii) *कि राज्य निर्वाचन आयोग के विचार में ऐसे आबंटन के लिए आवेदन नामन्जूर करने का कोई उचित आधार नहीं है।*

परन्तु यह कि अगर हरियाणा राज्य में किसी राज्यीय दल के लिए वही प्रतीक पहले ही आरक्षित है तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल द्वारा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के किसी वार्ड से खडे किये गये उम्मीदवार पर इस पैरा में अंतर्विष्ट कुछ भी लागू नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अन्य राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल का प्रतीक अगर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में मौजूद नहीं है, तो उक्त राज्यीय दल को ऐसे मुक्त प्रतीक की ड्राइंग/चित्र उक्त उप–पैरा (i) में वर्णित प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा ।

(ङ.) ***किसी राजनैतिक दल द्वारा किसी अभ्यर्थी का प्रतिस्थापन–***

किसी भी संदेह के निराकरण हेतु इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई राजनैतिक दल जिसने आयोग में जारी अधिसूचना दिनांक 13.03.2014 के पैरा 9 के अधीन फार्म 'ख' में अभ्यर्थी के पक्ष में नोटिस दिया है उसे उस नोटिस का विखंडन कर सकता है और उस वार्ड के लिए फार्म 'ख' में एक संशोधित नोटिस दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में दे सकता है ।

परन्तु यह कि फार्म 'ख' में पुनरीक्षित सूचना जो स्पष्ट तौर पर उसमें यह बताती हो कि फार्म 'ख' में पूर्व सूचना रद्द कर दी गई है और नामांकन–पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे से पूर्व उस वार्ड के रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाती है और फार्म 'ख' में उक्त पुनरीक्षित सूचना पर उक्त वर्णित अधिसूचना के पैरा 9 के खंड (घ) में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए है

परन्तु यह और कि रिटर्निंग आफिसर को यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के संबंध में फार्म 'ख' में एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है और राजनैतिक दल फार्म 'ख' में ऐसी सूचनाओं में यह बताने में असफल रहता है कि फार्म 'ख' में पूर्व सूचना या सूचनाएं रद्द कर दी गई है । रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के संबंध में, जिसका नामांकन–पत्र उन्हें प्रथमतः दिया गया था, फार्म 'ख' में सूचना स्वीकार करेगा और बाकी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को, जिनके संबंध में उन्होंने फार्म 'ख' में सूचना या सूचनाएं प्राप्त की थी, ऐसे राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(च) ***विधिमान्य मनोनीत उम्मीदवारों की सूची तैयार करना–***

पंचायत समिति/जिला परिषद के किसी भी वार्ड का चुनाव लड़ रहे विधिमान्य मनोनीत उम्मीदवारों की सूची कमशः प्ररूप 8 व 9 में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा देवनागरी लिपि के वर्णकमानुसार निम्न आधार पर तैयार की जाएगी–

(i) *मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम,*
(ii) *पंजीकृत परन्तु अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के नाम,*
(iii) *आजाद उम्मीदवारों के नाम ।*

(छ) ***मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा आचरण आदेश संहिता का अनुपालन न करने या राज्य निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निर्देशों और अनुदेशों का पालन न करने पर उनके उम्मीदवार के चुनाव लडने पर रोक व आरक्षित चुनाव चिन्हों को वापिस लेने की राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति–***

यदि राज्य निर्वाचन आयोग को अपने पास उपलब्ध सूचना से संतुष्टि हो जाती है कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल आयोग द्वारा इस बारे जारी आदेशों के उपबंधों के आधीन उनकी अनुपालना करने में असफल रहता है, यह अस्वीकार करता है या अस्वीकार कर रहा है या अवज्ञ दर्शा रहा है या अन्यथा–

(i) *राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी राजनैतिक दलों और उममीदवारों के मार्ग निर्दशन के लिए आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अनुसरण करना, और*

(ii) *समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निर्देशों और अनुदेशों का पालन और उनका कार्यान्वयन करना ताकि निष्पक्ष स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनावों को बढावा मिल सकें या सर्वसाधारण विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों की रक्षा हो सके,*

तो राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध तथ्यों और मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्व की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के सबंध में दलों को उपयुक्त अवसर देने के बाद जैसा उपयुक्त समझे, ऐसी शर्तों के अधीन या तो चुनाव लड रहे उम्मीदवार को चुनाव लडने से रोक सकता है या उस पार्टी के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को उस अवधि तक के लिए वापिस ले सकता है जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा करना उचित समझे ।

परन्तु यह कि अगर राजनैतिक पार्टी द्वारा खडे किये गये उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अगर वापिस ले लिया जाता है तो वह मुक्त चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड सकता है ।

4. ***अनुदेश तथा निदेश निकालने की राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति–***

राज्य निर्वाचन आयोग निम्न बारे समय समय पर कोई भी अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकता है –

i) *आयोग द्वारा जारी प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 2014 के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए,*

ii) *किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के कार्यान्वयन के सबंध में उत्पन्न हो, तथा*

iii) *ऐसे किसी मामले में जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन प्रतीक आदेश, 2014 में कोई प्रावधान नहीं है या अपर्याप्त हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के विचार में चुनावों को सही ढंग से करवाने के लिए एसा कोई उपबंध करना आवश्यक है ।*

अध्याय 4

चुनाव ड्यूटी पर अधिकारियों द्वारा मतदान

कोई मतदाता जो उस वार्ड से अन्यथा किसी एक में जिसमें वह मतदान करने का हकदार है, के मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य हैसियत में ड्यूटी पर लगाया गया है और ऐसे किसी मतदान केन्द्र में मतदान करने का इच्छुक है जिसमें वह चुनाव ड्यूटी पर है तो वह रिटरनिंग अधिकारी को प्ररूप–24 में मतदान केन्द्र जिसमें वह ड्यूटी पर है मतदान के लिए नियत किये गये दिनों से कम से कम 10 दिन पूर्व उसे मतदान के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवेदन करेगा तथा यदि रिटरनिग अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक लोकसेवक है तथा मतदाता चुनाव ड्यूटी पर है तो वह––

(i) *आवेदक को प्ररूप–26 में चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी करेगा;*

(ii) *मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने, "चु0ड्यूटी0प्र0" वह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तथा*

(iii) *यह सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता को उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये।*

(2) *ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पीठासीन अधिकारी––*

(i) *उस पर, इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;*

(ii) *उस प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित मतदान केन्द्र के नाम के साथ–साथ उस व्यक्ति का नाम और मतदाता सूची संख्यांक और भाग संख्या होगी; और*

(iii) *उसे अपना मत, उसी रीति में जो उस मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार किसी मतदाता के लिए है, डालने के लिए अनुज्ञात करेगा*

(3) *उक्त निर्दिष्ट प्रमाणपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा एक लिफाफे में रखा जायेगा और सीलबंद किया जायेगा*

(4) *कोई भी मतदाता जो एक से भिन्न वार्ड में जिसका वह मतदाता है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत में चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है जो चुनाव में डाक द्वारा मत देना चाहता है चुनाव क्षेत्र (वार्ड) जिसमें मतदाता के लिए नियत कम से कम 10 दिन से पूर्व डाक मतपत्र भेजने के लिए नामित है के रिटरनिंग अधिकारी को प्ररूप–25 में आवेदन भेजेगा, तथा यदि रिटरनिंग अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि आवेदक एक से भिन्न वार्ड में जिसका वह मतदाता है चुनाव ड्यूटी पर तो उसे निम्नलिखित के साथ डाक द्वारा, डाक प्रमाणित ऐसे वार्ड के डाक मतपत्र भेजेगा;–*

(i) *प्ररूप–27 में घोषणा*

(ii) *प्ररूप–28 में लिफाफा*

(iii) *प्ररूप–29 में बड़ा लिफाफा; और*

(iv) *प्ररूप–30 में मतदाता के लिए अनुदेश, एक डाक मतपत्र जारी करेगा ।*

परन्तु रिटरनिंग अधिकारी उसी समय––

(i) *डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर, मतदाता की मतदाता सूची संख्यांक अभिलिखित करेगा जो मतदाता सूची कि चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है;*

(ii) *मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे डाक मतपत्र दिया गया है, तथापि वह उस मतदाता को दिये गये डाक मतपत्र की क्रम संख्यांक को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और*

(iii) *यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं है;*

परंतु यह और कि प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और डाक मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसी डिजाईन में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें;

परंतु यह और कि रिटरनिंग अधिकारी, जो चुनाव ड्यूटी पर होगा और मत देने का हकदार होगा, को मतपत्र और प्ररूप, निजिरूप से दे सकता है या देने के लिए आदेश दे सकता है।

(5) *रिटरनिंग अधिकारी, मतदाताओं को दिये गये डाकमपत्रों के प्रतिपर्ण एक पृथक पैक्ट में सीलबंद करेगा ।*

(6) (*क*) *प्ररूप –30 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और उसे प्ररूप–28 वाले लिफाफे में बंद करेगा;*

(*ख*) *मतदाता, प्ररूप –27 में घोषणा पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र जिस पर वह ड्यूटी पर तैनात है, के पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करायेगा;*

(*ग*) *मतदाता अपना मत अभिलिखित करने और प्ररूप–27 में घोषणा करने के पश्चात वह डाक मतपत्र और घोषणा रिटरनिंग अधिकारी को प्ररूप –30 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुसार ऐसे लौटा देगा ताकि रिटरनिंग अधिकारी के पास मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय से पूर्व पहुंच जाये।*

(7) *डाक मतपत्र द्वारा मतदान के सम्बन्ध में ऐसी प्रकिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।*

अध्याय 5

उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतदान से पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु व निर्विरोध चुनाव

1. ***निर्वाचन अभिकर्ता* (Election Agent) *की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति को रद्द करना*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35 के अन्तर्गत यदि कोई उम्मीदवार कोई निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है, ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में या तो नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय या चुनाव से पहले किसी भी समय की जा सकती है, परन्तु उम्मीदवार किसी चुनाव में केवल एक व्यक्ति को अपने चुनाव अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है ।*

उम्मीदवार किसी भी समय, लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी पंचायत के पास देकर पहले से नियुक्त चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर सकता है । ऐसा रद्दीकरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को इस बारे प्रतिवेदन किया गया था । ऐसे रद्दीकरण की दशा में या निर्वाचन अभिकर्ता के चुनाव की अवधि से पूर्व या के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाने की दशा में, उम्मीदवार एक नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति, जो उस समय के लिए, यथास्थिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के किसी चुनाव में निर्वाचित किए जाने के लिए अथवा वोट डालने के लिए अधिनियम के अधीन अयोग्य है तो उसे निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

2. ***मतदान अभिकर्ता* (Polling Agent) *की नियुक्ति*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35–क के अन्तर्गत ऐसे किसी चुनाव पर, जिसमें मतदान किया जाना हो, चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता* ***(Election Agent)****, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ताओं* ***(Polling Agent)*** *के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता तथा एक राहत अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है । ऐसी नियुक्ति प्ररूप 22 में दो प्रतियों में लिखित पत्र में जिस पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, की जाएगी ।*

उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दोहरी प्रति मतदान अभिकर्ता को प्रस्तुत करेगा जो उसे मतदान के लिए नियत तिथि को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें लिखित घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसको प्रस्तुत की जाने वाली दोहरी प्रति अपनी अभिरक्षा में रखेगा। कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर किसी भी कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए तब तक उसे अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह उक्त नियम/ उप–नियम के उपबन्धों की अनुपालना नही करता है।

3. ***गणन अभिकर्ता* (Counting Agent) *की नियुक्ति*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35–ख के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना पर उसके गणन अभिकर्ता अथवा अभिकर्ताओं के रूप में होने हेतु प्ररूप 23 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जिस पर उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है, परन्तु ऐसी संख्या से अधिक नहीं जो जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्धारित की जाए ।*

उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दोहरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदान करेगा जो उसे मतगणना के लिए नियत की गई तिथि को रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को प्रस्तुत करेगा और उसके अन्दर लिखित घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। ऐसा अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दोहरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा । कोई भी गणन अभिकर्ता मतगणना

के लिए नियत स्थान पर, किसी भी कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने उक्त नियम/उप नियम के उपबन्धों का पालन न किया हो ।

4. ***मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का रदद करना या मृत्यु*** *–– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35–ग के अन्तर्गत मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किसी भी समय उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है।*

ऐसी घोषणाएं–

उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम पांच दिन पहले रद्द कर दी गई हो, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

किसी अन्य दशा में रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को या उस मतदान केन्द्र के जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

यदि किसी उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व हो जाती है, तो उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता तुरन्त ऐसी मृत्यु के तथ्य की लिखित रिपोर्ट–

ऐसी दशा में जहां मृत्यु मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम पांच दिन पूर्व हुई है, रिटर्निंग आफिसर पंचायत को, और

किसी अन्य दशा में, रिटर्निंग आफिसर पंचायत या उस मतदान केन्द्र के, जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

जब कभी रिटर्निंग आफिसर पंचायत को उपरोक्त अनुसार कोई घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो, तो वह तत्काल, यथास्थिति, ऐसी घोषणा या रिपोर्ट उस मतदान केन्द्र के, जहां ऐसा मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को सूचित करेगा ।

जहां किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति नियम 35 के उपनियम–1 के तहत रद्द कर दी जाती है या जंहा मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व हो जाती है, वहां उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय, नियम 35–क के उप नियम–1 के उपबन्धों के अनुसार नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है ।

परन्तु नए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति सम्बन्धी पत्र–

ऐसी दशा में, जहां ऐसी नियुक्ति मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम पांच दिन पहले की जाए रिटर्निंग आफिसर पंचायत को दिया जाएगा, और

किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर पंचायत को या उस मतदान केन्द्र के, जहां नए मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया हो, पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा।

5. ***गणन अभिकर्ता की नियुक्ति रद्द करना या मृत्यु*** *–– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35–घ के अन्तर्गत गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा रद्द की जा सकेगी, ऐसी घोषणा रिटर्निंग आफिसर को या ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, प्रस्तुत की जायेगी।*

यदि किसी उम्मीदवार के गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाती है तो उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता तुरन्त मृत्यु की लिखित रूप में रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर पंचायत या किसी अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, तत्काल देगा।

जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति नियम 35–घ के उप नियम 1 के अधीन रद्द की गई हो, या जहां गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाए, वहां उम्मीदवार या उसका निर्वाचन

अभिकर्ता, नियम 35–ख के उप नियम 1 में वर्णित विधि अनुसार नए गणन अभिकर्ता की नियुक्त कर सकता है।

6. ***मतदान से पूर्व उम्मीदवार की मृत्युः–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 36 के अन्तर्गत मतदान आरम्भ होने से पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रदद* (countermanded) *नहीं किया जाएगा । किन्तु यदि किसी स्थान के लिए लड़ रहे किसी उम्मीदवार की मृत्यु के परिणाम स्वरूप, केवल एक ही चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य की सन्तुष्टि हो जाने पर, मतदान को प्रत्याविष्ट/रद्द करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को तथ्यों की रिपोर्ट करेगा तथा चुनाव के निर्देश में सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से नए सिरे से नियमों के अनुसार प्रारम्भ की जाएंगी मानों यह नए चुनाव के लिए है ।*

ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में आगे और नामांकन आवश्यक नहीं होगा जो मतदान रद्दकरण के समय चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार था, और

कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान रद्दकरण से पूर्व नियम 31 के उप–नियम 1 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने का एक नोटिस दिया है, ऐसे रद्दकरण के बाद चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा ।

7. ***निर्विरोध निर्वाचन–*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 37 के अन्तर्गत यदि किसी स्थान के लिए, नामाकंन पत्र की वापसी के लिए नियत तिथि तथा समय के बाद, केवल एक उम्मीदवार रह जाता है, जिसका नामाकंन पत्र वैध पाया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत तुरन्त स्थान भरने के लिए उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर देगा तथा उसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को सूचित करेगा ।*

यदि किसी स्थान के लिए कोई नामांकन पत्र दायर नहीं किया गया है या यदि किसी स्थान के लिए उम्मीदवार उचित रीति से नामांकित नहीं किया गया है, तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के माध्यम से तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयुक्त को भेजेगा जो नियमानुसार स्थान को भरने के लिए आगामी कार्यवाही करेगा ।

अध्याय–6

मतदान दल का प्रशिक्षण

1. पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आपके साथ चार मतदान अधिकारी नियुक्त किये जायेगें। मतदान दल की नियुक्ति करते समय आपके दल के मतदान अधिकारी कमांक–1 को उस स्थिति में जब आप किसी बहुत ही आवश्यक कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहे, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निपटान करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा। आपको चाहिये कि दल के सदस्यों के बीच टीम भावना पैदा करे, इससे दल की कार्य क्षमता बढेगी और आपको अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी।

2. आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में अवश्य उपस्थित हों तथा अपनाई जाने वाली प्रकिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लें। मतपेटियों व ई0वी0एम0 को उपयोग में लाने सम्बन्धी कार्य स्वयं करके देख लें और केवल उनका प्रदर्शन देखकर ही सतुंष्ट न हो जायें। यदि प्रशिक्षण के दौरान यह कार्य आपने ठीक से करना नहीं सीखा तो मतदान केन्द्र में आप कठिनाई में पड़ सकते हैं। वहां आपको बताने वाला कोई नहीं होगा। इस कार्य को विश्वासपूर्वक कार्य करने के लिये बार–2 अभ्यास कीजिये। मतपेटियों व ई0वी0एम0 में उपयोग में लाई जाने वाली पेपर सील को लगाने की प्रकिया को ठीक से समझ लें।

3. मतपत्र लेखा ठीक से तैयार करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। भले ही आप पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हो परन्तु तब भी आपको प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना चाहिये, क्योंकि पंचायत सम्बन्धी निर्वाचन की विधि और प्रकिया में अनेक ऐसी बातें हैं जो लोक सभा/विधान सभा के चुनावों से भिन्न है। मतगणना सम्बन्धी निर्देशों का आपको विशेष तौर पर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिये।

4. अपनी नियुक्ति के बाद आप मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करने के लिये प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनसे मिलें।

मतदान केन्द्र पर पंहुचने के बाद प्रत्येक सदस्य को उसके दायित्वों को स्पष्टतः समझाएं और कार्यक्षेत्र तथा प्रकिया के बारे में उनकी शंकाओ का निवारण करें।

अध्याय –7

मतपेटी उपयोग में लाने सम्बन्धी अनुदेश

<u>गोदरेज टाईप</u>

1. ***मतपेटी का खोलना–***

(1) *बटन से खिड़की के ढक्कन (विण्डोकवर) को बांधने वाले तार को खोलिये।*

(2) *खिड़की के ढक्कन को दांहिनी ओर घुमाइए, ताकि खिड़की पूरी तरह से खुल जाये (जैसा कि आकृति 1 पर दिया गया है)*

(3) *अपनी हथेली उपर की ओर रखते हुये खिड़की में एक अंगुली डालिये और उसे ब्रेकेट तक पहुंचाने के लिये ढक्कन के पेदें में मध्य भाग तक पहुंचाये (यह ब्रैकेट आकृति 2 पर देखा जा सकता है)*

(4) *ब्रेकेट को खिड़की की ओर खीचियें तथा बटन की बांयी ओर तब तक घुमाईये जब तक एक चौथाई से भी कम घुमाव के बाद यह रूक न जाये जैसा कि आकृति 2 में है । (मतपेटी अब खुल गई है ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है)*

(5) *उम्मीदवारों या उनके ऐजेंटों को पेटी के कल पुर्जों में गड़बड़ी डाले बिना पेटी का निरीक्षण करने दीजिये ।*

2. ***मतदान के लिये मतपेटी तैयार करना–***

(1) *मतपेटी का ढक्कन खोलिये, खाली मतपेटी उपस्थित उम्मीदवार/उम्मीदवारों को दिखाईये। यदि आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतों की गिनती मतदान केन्द्र पर नहीं की जानी है तो मतपेटी में पते की चिट (एड्रैस टैग) भी डालें ।*

(2) *आपको दी गई एक कागज की सील लीजिये । ध्यान रहे कि प्रत्येक मतपेटी में एक ही कागज की सील का उपयोग किया जायेगा ।*

(3) *ऐसे उम्मीदवारों या उनके एजेंटों द्वारा जो हस्ताक्षर करना चाहते हो कागज की सील के एक छोर पर हस्ताक्षर करवायें । आप भी हस्ताक्षर कीजिए और दिनांक डालिये।*

(4) *चोखटे/फ्रैम के मध्य भाग की भीतरी दरारों में किसी एक में कागज की सील का सिरा डालिये।*

(5) *इसके बाद कागज की सील का प्रत्येक सिरा पीछे को घुमाईये और उस चोखटे के समावनवर्ती बाहरी दरारों में डालिये, यह सुनिश्चित कीजिए कि कागज की सील का छोर खिड़की से दूर है।*

(6) *कागज की सील के उस सिरे को जिस पर हस्ताक्षर हो, लम्बा रखियें, कागज की सील को पहुंचने वाली आकस्मिक क्षति या उसमें गड़बड़ करने सम्बन्धी प्रयत्न को रोकने के उदेश्य से कागज की सील के नीचे के चौखटे के मध्य भाग में <u>2-1/10"x1-7/16</u>" आकार के कार्ड बोर्ड/पुटठे की गददी रखकर उसे मजबूत बनाईये। गददी पर्याप्त मोटी होनी चाहिये ताकि कागज की सील अपनी जगह यथावत बनी रहे। कागज की सील के दोनों छोरों की धार खींच कर उसकी जांच कीजिये वह बिल्कुल भी नही हिलनी चाहिये ।*

(7) *इसके बाद पुटठे के उपरी दोनों कोनो, कागज की सील और मतपेटी ढक्कन के भीतरी भाग को सील लगाकर ढक दीजिए।*

(8) *यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट विलम्ब से आया हो और चौखटे/फ्रैम में डाले जाने से पहले कागज की सील पर हस्ताक्षर न कर सका हो तो, यदि वह चाहे तो इस समय भी कागज की सील के लम्बे भाग पर हस्ताक्षर करने या अपनी सील लगाने की अनुमति मांगे तो उसे अनुमति दी जानी चाहिये ।*

(9) *किसी भी स्थिति में कटी–फटी कागज की सील का उपयोग मत कीजिये । यह देखियें कि कागज की सील पर किये गये मतदान/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्ररूप –22 में उनकी घोषणा पर किये गये उनके हस्ताक्षरों से मिलते हैं।*

(10) *फिर मतपेटी का ढक्कन धीरे से बन्द कर दीजिये देखियें कि कागज की सील के खुले सिरे मतपेटी के भीतर है और सील पेटी में लटकती न रहे । बटन को दांहिनी ओर थोड़ा–थोड़ा तब तक घुमाईये जब तक कि खटके के साथ रूक न जाये । अब दरार (आकृति 3) पर बताये अनुसार मतदान के लिये सही स्थिति में पूरी तरह खुली रहेगी। बटन को ओर ज्यादा मत घुमाइये अन्यथा दरार बन्द हो जायेगी। यदि असावधानी के कारण ऐसा हो जाये तो कागज की सील नष्ट करने के बाद मतपेटी को फिर से खोलना पड़ेगा और एक बार से फिर मतदान के लिये नई कागज की सील लगाकर तैयार करना होगा ।*

(11) *खिड़की के ढक्कन को बांई ओर घुमाईये ताकि उससे खिडकी पूरी तरह ढक जाये । खिड़की के ढक्कन के सुराख और बटन के सामने के सुराख में तार का टुकड़ा डालिये और तार के छोरों को कसकर कई बार घुमाईये, ताकि खिड़की का ढक्कन बटन के साथ मजबूती से जम जाये जो बाद में घुमाया न जा सके (देखिये आकृति 3) अब मतपेटी मतदान के लिये तैयार है ।*

3. ***मतदान के बाद दरार (सिल्ट) बन्द करना और मतपेटी पर सील लगाना –***

(1) *जिस तार से खिड़की का ढक्कन बंधा हुआ है उसे खोलिये ताकि खिड़की का ढक्कन खुल जाये, खिड़की के ढक्कन को दांहिनी ओर घुमाईये, इस बात की जांच कीजिये कि कागज की सील ज्यों की त्यों लगी है ।*

(2) *बटन को दांहिनी ओर घुमाईये जब तक कि वह रूक न जाये कि दरार (सिल्ट) को पूरी तरह से बन्द न कर दें। यह भी जांच कर लीजिये कि इसके बाद बटन किसी भी ओर घुमता तो नहीं है ।*

(3) *अब खिड़की के ढक्कन को बांयीं ओर घुमाईये ताकि वह खिडकी को पूरी तरह से ढक दें तथा खिडकी के ढक्कन को एक साथ पकड़िये तथा खिडकी के ढक्कन के छेद सामने के बटन के छेद में एक तार पिरोकर तार के दोनों सिरों को कसकर कुछ बार मोड़ दीजिये ताकि खिड़की ढक्कन और बटन मजबूती से बंध जाये ।*

(4) *बटन तथा खिडकी के ढक्कन के छेदों में एक डोरे का टुकडा डालिये और उसके दोनों छोरों को बटन के नजदीक कई गांठें लगाकर मजबूती से कस दीजिये । डोरे के खुले सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकडा रखियें और यथा सम्भव गांठों के पास ही उस पर अपनी सील लगाईये ताकि बिना सील तोड़े गांठ न खोली जा सके ।*

(5) *मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को उपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बन्द कर सुरक्षित कर देने के पश्चात फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिये। ढक्कन पर हैण्डिल को नीचे से एक दूसरे को क्रास करते हुये एक मजबूत गांठ लगाये तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुटठे का टुकड़ा रख कर अपनी सील लगा दें । उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वे भी यदि चाहे तो अपनी सील लगा लें या हस्ताक्षर कर दें ।*

(6) *यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर बाद में कराई जानी है तो यह आवश्यक होगा कि उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बन्द कर दिया जावे। थैली में लगी डोरी को खींच कर उपरी*

हिस्से में गांठे लगा कर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गाठें लगा दें । डोरी की गाठों पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छुती हुई अपनी सील लगा लें । जिससे बगैर सील तोडे गांठ न खोली जा सके । उपस्थित मतदान एजेंटों से कह दें कि वे यदि चाहे तो अपनी सील लगा सकते हैं । थैली के उपरी हिस्से पर भी पते की चिट्ट (एड्रैस टैग) अच्छी तरह बांध दें ।

टिप्पणी *:– मतदान की समाप्ति के बाद सीलबन्द मतपेटी को जिस कपडे की थैली में रखा जाता है, उस पर स्याही से या रबर स्टैम्प से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिये । यह इसलिये आवश्यक है ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाये और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी न बना दी जाये । पुस्तिका में दिये गये निर्देशनुसार सभी लिखा–पढ़ी पते की चिट (एड्रैस टैग) पर की जानी चाहिये । इस बात की परम सावधानी रखी जाये कि उन्हें इस प्रकार से लगाया या चिपकाया जाये, ताकि वे ले जाते समय निकल न जाये ।*

गोदरेज टाईप्र मतपेटी

आकृति 1

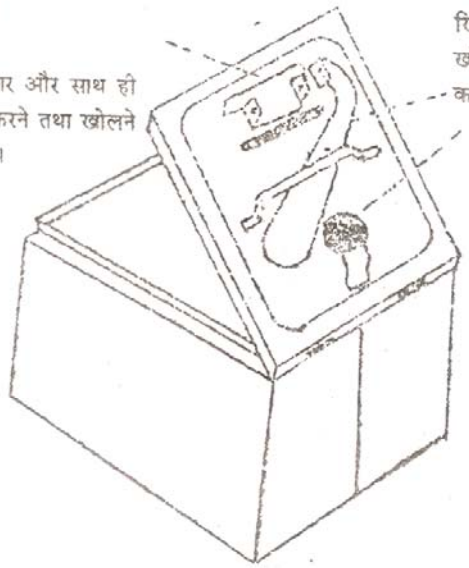

बाहरी दृश्य

आकृति 2

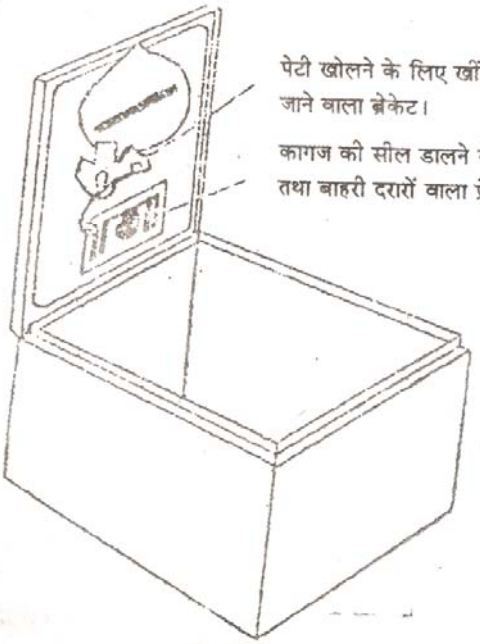

भीतरी दृश्य

आकृति 3

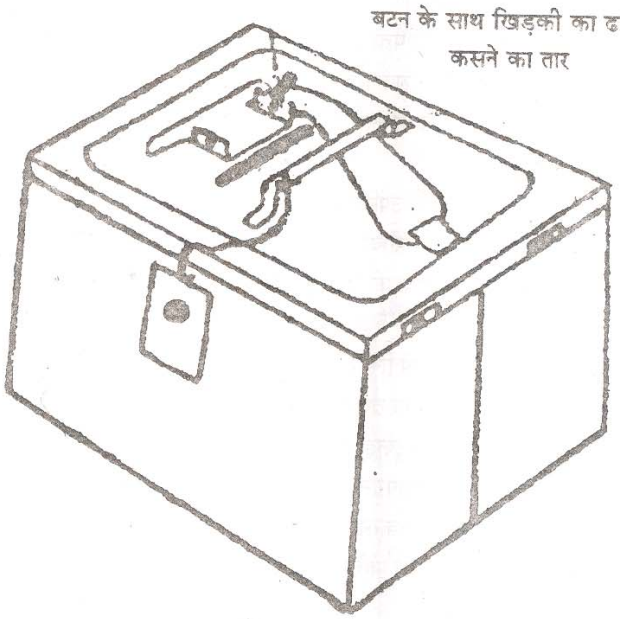

मतदान के लिये तैयार पेटी

आकृति 4

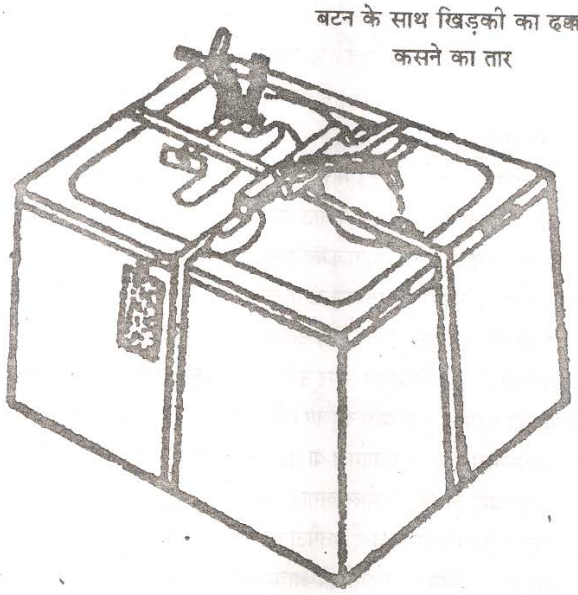

मतदान के बाद बंद की गई पेटी

मध्यप्रदेश टाईप मतपेटी उपयोग में लाने सम्बन्धी अनुदेश

1. ***मतपेटी को खोलना***–

(1) *डिब्बी के ढक्कन को उपर उठाकर खोलिये ।*

(2) *डिब्बी के अन्दर पेटी बन्द करने के लाक की पती को मतपत्र डालने के सुराख की ओर खींचियें। मतपेटी अब खुल गई है और ढक्कन उठाकर अन्दरूनी भाग दिखाया जा सकता है।*

(3) *अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पेटी के कलपुर्जो में गड़बड़ी डाले बिना, पेटी का निरीक्षण करने दीजिये ।*

2. ***मतदान के लिये मतपेटी तैयार करना*** :–

(1) *मतपेटी का ढक्कन खोलिये, खाली मतपेटी उपस्थित उम्मीदवारों/ऐजेंटों को दिखाईये । यदि आपके मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतों की गिनती मतदान केन्द्र पर नहीं की जानी है तो मतपेटी में पते की चिट (एड्रैस टैग) डालें ।*

(2) *डिब्बी के अन्दर लगे पेटी बन्द करने के लाक की पती को सामने वाली पती के साथ खींच कर मिलायें। (मतपेटी लाक हो गई है)*

(3) *डिब्बी के अन्दर पतियों के बीच लगे छोटे से लीवर को घुमाईयें जिससे लाक वाली पती को स्पोर्ट मिल सके ।*

(4) *डिब्बी के अन्दर लगी पतियों के छेदों में से तार तथा रस्सी का टुकड़ा डालिये और उसके दोनों छोरों को मजबूती से कस दीजिये तथा सिरों के नीचे मजबूत मोटे कागज का टुकडा रखियें और यथा सम्भव गांठों के पास ही उस पर अपनी सील लगायें ताकि बिना सील तोडे गांठ न खोली जा सके । तदोपरान्त मोटे कागज पर अपने हस्ताक्षर करें । यदि कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट भी इस कागज के टुकड़े पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें हस्ताक्षर करने दिया जाये ।*

(5) *मतपत्र डालने वाले सुराख पर लगी लीड को पीछे हटाकर दूसरी ओर पती लगी के साथ बांध देवें ताकि मतपत्र डालते समय असुविधा न हो ।*

(6) *डिब्बी के ढक्कन को बन्द करें । तार तथा रस्सी को डिब्बी तथा मतपेटी के छेदों में से निकालकर मजबूती के साथ कसकर गांठ लगायें। गांठों के नीचे कागज का टुकड़ा रखकर इसे सील कर दें । तदोपरान्त अपने हस्ताक्षर करें। यदि कोई उममीदवार या उसका ऐजेंट इस कागज के टुकडे पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उसे हस्ताक्षर करने देवें। मतपेटी मतदान के लिये तैयार है ।*

3. ***मतदान के बाद दरार (सिलट) बन्द करना*** :–

(1) *यदि मतगणना मतदान केन्द्र पर न कराकर बाद में कराई जानी है तो यह आवश्यक होगा कि डिब्बी के बाहर भी जो सील लगाई गई है वह मतदान केन्द्र में उपस्थिति उम्मीदवारों या उसके एजेंटों के समक्ष खोली जाये । मतपत्र डालने की सिलट को बन्द करने के लिये जो लीड पती के साथ बांधी हुई है उसे खोलकर डिब्बी का ढक्कन उठाकर डिब्बी की ओर लाईये और डिब्बी का ढक्कन बन्द कर देंवे तथा पैरा उपरोक्त 2 (6) में दर्शाये गये तरीके अनुसार दोबारा सील कर देवे। देखिये दरार/सीलट बन्द हो गई है तथा मतपेटी भी सील हो गई है ।*

(2) *उपयोग में लाई गई तथा मतपत्रों से भरी हुई मतपेटी/मतपेटियों को कपड़े की थैली/थैलियों में रखकर बन्द कर दिया जाये । थैली में लगी डोरी को खींचकर उपरी हिस्से में गांठे लगाकर कस दें और उसे 2–3 बार घुमाकर एक दूसरे से मिली हुई कुछ गांठे लगा दें । डोरी की गांठो पर नीचे एक मोटे कागज का टुकड़ा रखकर प्रथम गांठ से छूती हुई अपनी सील लगा दें जिससे बगैर सील तोड़े गांठ न खोली जा सके । उपस्थित मतदान एजेंटों से कहें कि यदि वे चाहे तो अपनी सील लगा सकते हैं। थैली के उपरी हिस्से पर भी पते की चिट (एड्रैस टैग) अच्छी तरह बांध दें ।*

(3) *मतदान केन्द्र की मतपेटी या मतपेटियों को उपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार बन्द कर सुरक्षित देने के पश्चात फीते से मतपेटी/मतपेटियों को चारों ओर से बांध दीजिये। ढक्कन पर हैडिंल को नीचे से एक दूसरे को कास करते हुये एक मजबूत गांठ लगायें तथा उसके नीचे एक मोटा कागज या पुटठे का टुकड़ा रखकर अपनी सील लगा दें उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से कहें कि वह भी यदि चाहे तो अपनी सील लगा लें या हस्ताक्षर कर दें ।*

टिप्पणी *:– मतदान की समाप्ति के बाद सीलबन्द मतपेटी को जिस कपड़े की थैली में रखा जाता है उस पर स्याही से या रबर स्टैम्पस से या अन्यथा रूप से कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिये । यह इसलिये आवश्यक है कि ताकि कपड़े की थैलियां खराब न हो जाये और भविष्य में उपयोग के लिये अनुपयोगी न बना दी जाये । पुस्तिका में दिये गये निर्देशनुसार सभी लिखा पढी पते की चिट (एड्रैस टैग) पर की जानी चाहिये । इस बात की परम सावधानी रखी जाये कि उन्हें ऐसे रूप से लगाया या चिपकाया जाये ताकि वे ले जाते समय निकल न जाये ।*

मध्यप्रदेश टाईप मतपेटी

आकृति नं० 1

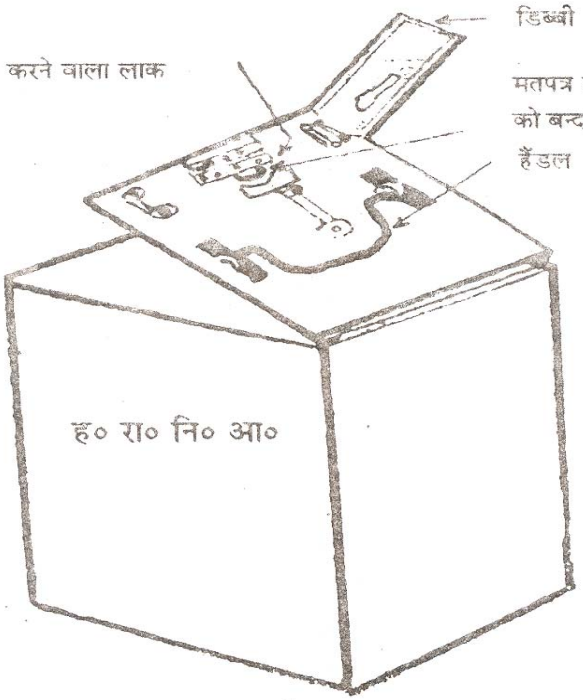

बाहरी दृश्य

आकृति नं० 2

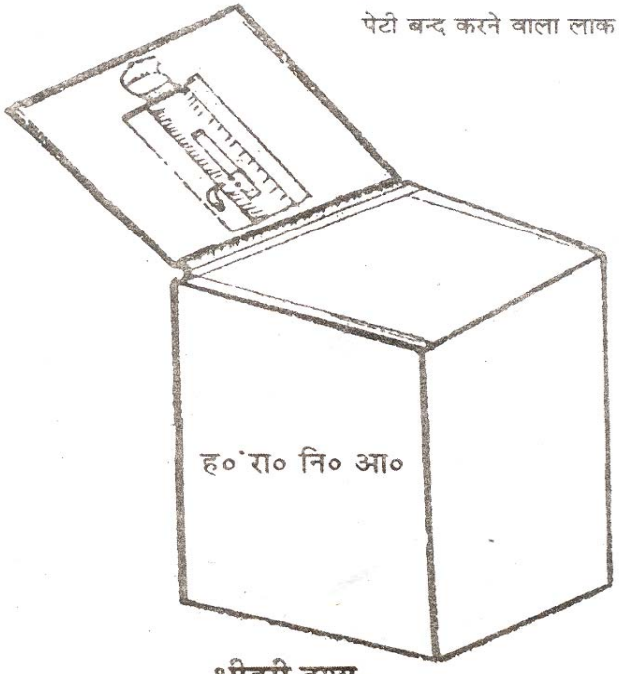

भीतरी दृश्य

आकृति नं० 3

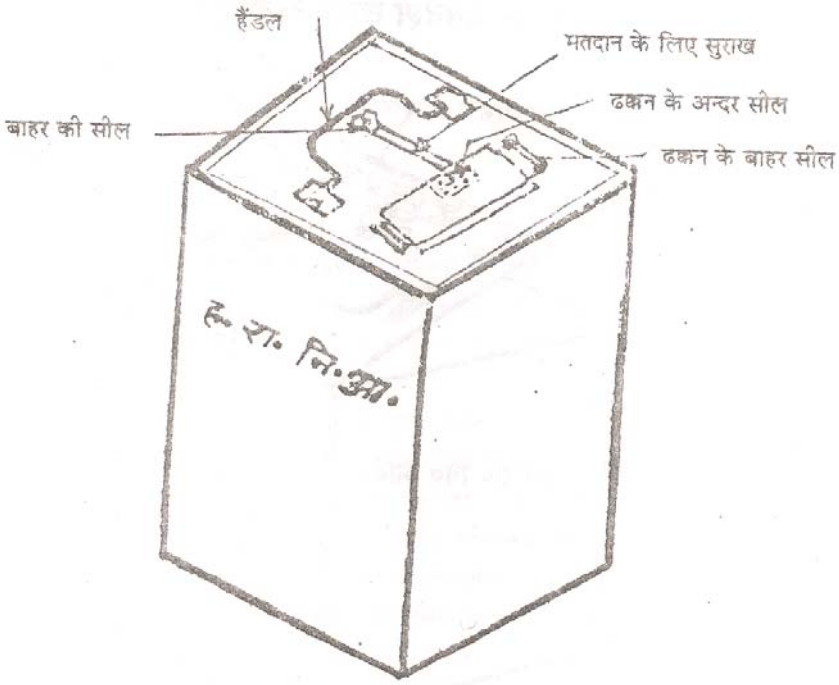

मतदान के लिये तैयार पेटी

आकृति नं० 4

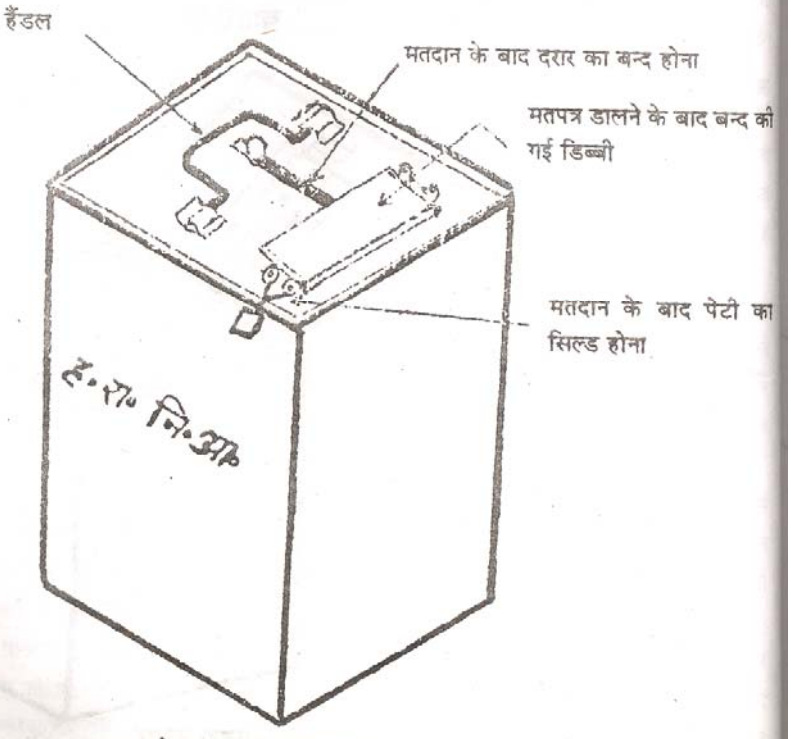

मतदान के बाद बन्द की गई पेटी

अध्याय–8

मतदान केन्द्र में व्यवस्था

1. आपको तथा आपके मतदान दल के सदस्यों को मतदान केन्द्र पर पहुंचाने और वापिस लाने की व्यवस्था, सामग्री वितरण केन्द्र पर की जायेगी। वहां तक आपको स्वयं ही उस तारीख को पहूंचना होगा जो आपको भेजे गये नियुक्ति आदेश में अंकित होगा। सामान्यतः आपको वितरण केन्द्र में मतदान की तारीख के 1 या 2 दिन पूर्व बुलाया जायेगा ताकि आप मतदान की तारीख के एक दिन पहले 4.00 बजे तक अपने मतदान केन्द्र पर पंहुच सके।

2. यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी मतदान की तारीख के पहले दिन की शाम तक मतदान केन्द्र में उपस्थित न हो तो आपको उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति करने की कार्यवाही करनी होगी। ऐसी नियुक्ति की सूचना आप यथाशीघ्र रिटर्निंग अधिकारी को दें। तथापि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करें जो किसी अभ्यर्थी का सकिय समर्थक हो या किसी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता हो।

3. यदि आप गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारण से अपने कर्तव्य निवर्हन करने की स्थिति में न हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा पहले से प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा।

4. आप मतदान केन्द्र पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं।

5. मतदान केन्द्र में पंहुच कर सबसे पहले प्रस्तावित मतदान केन्द्र के भवन का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित कर लें कि केन्द्र पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए–

पुरूषों और महिलाओं के लिये प्रतीक्षा करने के लिये पर्याप्त स्थान हो।

मतदाताओं के आने जाने के रास्ते अलग–अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांध कर अन्दर जाने और बाहर निकलने का अलग–अलग रास्ता बनाने की व्यवस्था करें।

मतदान अभिकर्ताओ को इस प्रकार बैठाने की व्यवस्था करें जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी कमांक–1 के सामने खड़ा हो तो अभिकर्तागण उसका चेहरा देख सके और जरूरत पड़ने पर उसकी पहचान को चुनौती दे सके। ऐसी जगह मतदान अधिकारी कमांक–1 के पीछे ही हो सकती है।

मतदान कक्ष में (जहां आकर मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगायेगा या ई0वी0एम0 का बटन दबायेगा) इस तरह की आड़ हो कि कोई यह न जान सके कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है ।

मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिये ।

केन्द्र के अन्दर मतदान कक्ष में ऐसे स्थान बनाये जाने चाहिये और मतपेटियों को ऐसी जगह रखा जाना चाहिये कि मतदाताओं को ज्यादा आड़ा–तिरछा न चलना पड़े।

मतदान केन्द्र के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका सम्बन्ध किसी मतदाता के चुनाव प्रतीक से जोड़ा जा सके, हटा लें।

मतदान केंद्र के बाहर प्रर्याप्त स्थान हो ताकि महिला और पुरूष मतदाताओं को अलग–2 पंक्तियों में खडे होने में कोई असुविधा न हो ।

मतदान केंद्र की व्यवस्था भवन के धरातल में ही हो ।

शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्र में रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे wheel chair *से मतदान केंद्र के अन्दर आसानी से प्रवेश कर सकें ।*

मतदान केंद्र में पीने के पानी एवं शौचालय का उचित प्रबन्ध हो ।

आकस्मिक मौसम की स्थिति में मतदाताओं की सुविधा के लिए आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था हो ।

प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेगी–

ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र दिखाया गया हो जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हो, और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों की हिन्दी देवनागरी वर्णकमानुसार तैयार की गई सूचि जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसे आबंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो ।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 180 के अनुसार मतदान केन्द्र के ईद–गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिये और न किसी मतदाता से मतों की याचना की जानी चाहिये। अतः मतदान केन्द्र के चारो ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दें। ये पर्चे आपको अलग से प्रदान किये जायेगें।

अध्याय–9

मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन

मतदान प्रकिया के सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपा जाना चाहिये–

मतदान अधिकारी कमांक–1 *यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा एंव मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूँढेगा । नाम खोज लेने के पश्चात वह उसे जोर से पढेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर मतदाता सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि मतदाता महिला हो तो उसके नाम के सामने सही (√) का चिन्ह भी लगायेगा। यही अधिकारी मतदाता के बांयें हाथ की तर्जनी (अगूंठे के बाद की उंगली) में अमिट स्याही का निशान लगायेगा, बांयें हाथ में तर्जनी ना होने कि स्थिति में उसके बाद की उंगली पर और बांयें हाथ में कोई उंगली ना होने पर दांयें हाथ की तर्जनी पर स्याही लगायेगा। तदुपरांत मतदाता मतदान अधिकारी–।। के सम्मुख जायेगा।*

मतदान अधिकारी कमांक–2 *चुनाव मतपेटी से होने की दशा में यह अधिकारी मतदाता को दो मतपत्र अर्थात एक पंच पद हेतू जो कि सफेद पेपर पर काले रंग का रहेगा तथा दूसरा सरपंच पद हेतू जो कि सफेद पेपर पर नीले रंग का रहेगा, देगा । इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी है कि मतदाता को पंच हेतू उसी वार्ड में सम्बन्धित मतपत्र दिया जाये जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है । कार्य निपटान में सुविधा के लिए इस अधिकारी को चाहिये कि वह कागज के चकोर टुकड़ों पर वार्डों के कमांक लिखकर उन्हे कमवार अपनी मेज पर चिपका लें और सम्बन्धित वार्ड के मतपत्रों की गड्डीयों को इन्ही के उपर रखें। ऐंसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की सम्भवाना नहीं रहेगी। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुकमांक पंच पद के लिए उसे दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण* (counterfoil) *में दर्ज करेगा ओर प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरंपच पद के लिए दिये गये मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका अनुकमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। मतपत्र देते समय यह अधिकारी मतदाता के नाम के सामने सही का निशान लगाता जायेगा। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने से या अगूंठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जायेगा। प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर कर दिये जाने या अंगूठे का निशान लगा दिये जाने के बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़ कर मतपत्र देगा ओर साथ में अंकित करने के लिए घूमते हुये तीरों वाली रबड़ सील स्याही लगाकर देगा तथा उसे प्रथम मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने तथा उसके बाद बीच में रखी मतपेटी में मतपत्र डालने के बारे में समझायेगा। मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में आड़ा करके मोड़ा जायेगा, लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक हो और इस कारण मतपत्र दो खानों में छपा हो तो उसे पहले अर्ध भाग के बीच में खड़ा मोड़ा जायेगा ओर तत्पश्चात दोनों भागों को बांटने वाली छायांकित (खड़ी) रेखा के उपर मोड़ा जायेगा। उपरोक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिया जायेगा।*

मतदान अधिकारी कमांक–3 :– *चुनाव मतपेटी से होने की दशा में, इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी कमांक–2 के समान ही है । अन्तर केवल इतना है कि यह अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य के लिए (सफेद पेपर पर पीला रंग) मतपत्र तथा जिला परिषद के सदस्य के लिए (सफेद पेपर पर लाल/गुलाबी रंग) मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक के प्रतिपर्ण* (counterfoil)*में मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुकमांक दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेगा। यह अधिकारी मतदाता को यह भी समझायेगा कि अब वह दूसरे मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करे और तत्पश्चात बीच में रखी मतपेटी में मतपत्र डाले।*

मतदान अधिकारी कमांक 4 :– *इस अधिकारी का कर्त्वय अन्य अधिकारियों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसे बीच रखी मतपेटी पर लगातार निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले । यह अधिकारी बीच बीच में पुशर के द्वारा मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को अन्दर धकेलता भी रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्षों की ओर भेजने, मतपेटी मे मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में उनकी सहायता करेगा।*

अध्याय–10

मतदान एवं मतगणना सामग्री

पंच व सरपंच पद के चुनाव में मतदान केन्द्र पर ही, मतदान कार्य पूरा हो जाने के बाद, मतगणना प्रारम्भ की जानी है। इसका अपवाद केवल कुछ ऐसे ही मतदान केन्द्र होगें जहां हिसां या उपद्रव की आशंका से मतगणना कार्य मतदान केन्द्र पर न कराने का निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा पहले ही लिया जा चुका हो। अतः आपको मतदान सामग्री के साथ–साथ मतगणना में लगने वाली सामग्री भी दी जायेगी। सामग्री लेते समय उसकी सावधानी से जांच पड़ताल कर लें और सुनिश्चित कर लें कि वह पूरी है और प्रत्येक आईटम सही हालत में है। यदि कोई वस्तु कम हो तो उसे प्राप्त करें तथा यदि कोई आईटम दोषपूर्ण हो अर्थात् अच्छी हालत में न हो तो उसे बदलवा लें। निम्नलिखित वस्तुएं बहुत महत्वूपर्ण है–

मतदाता सूची *– आपके मतदान केन्द्र के लिये वार्डवार मतदाता सूचियों की चार प्रतियां, जो कि हस्ताक्षारित एवं प्रमाणित होगी, दी जायेगी। इनका मिलान सावधानीपूर्वक कर लें और यह देख लें कि सभी प्रतियों में सभी प्रविष्टियां एक जैसी है तथा ग्राम पंचायत की मतदाता सूचि का जो भाग आपको दिया है वह उन्हीं वार्डों से सम्बन्धित है जिनके लिये आपका मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि प्रत्येक पूरक सूचि सभी दृष्टि से पूर्ण है। मतदाता सूचि की चार प्रतियों में से एक प्रति मतदान अधिकारी कमांक–। के पास रहेगी, एक प्रति मतदान अधिकारी कमांक–2 के पास, एक प्रति मतदान अधिकारी–3 के पास तथा एक प्रति आपके पास रहेगी।*

मतपेटियां *– यह जांच कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है तथा आसानी से खुल जाती है और बन्द हो जाती है। पेटी खोलने और बन्द करने का ठीक से पुनः अभ्यास कर लें। मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास भी एक सादे कागज के टुकड़े से पुनः कर लें। चूंकि सामान्यतः एक मतदान केन्द्र में लगभग 500 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना है । सभी पदों के चुनाव मतपेटियों से होने के दशा में आपको या तो चार छोटी मतपेटियां या दो बड़ी मतपेटी के साथ दो छोटी मतपेटी दी जायेगी। मतपेटियां खोलने, बन्द करने, सील लगाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का भी सावधानी से अध्ययन कर लें।*

मतपत्र– *आपको दिये गये मतपत्रों के बारे में यह सुनिश्चित कर लें कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिये चार प्रकार के मतपत्रों की गड्डियां आपको मिल गई हैं और उनमें मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है। यह भी देख लें कि उनके अनुकमांक आपको दिये गये विवरणों से मेल खाते हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्र की गड्डी के हर मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण* (counterfoil) *पर मुद्रित अनुक्रमांकों का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है। इसी प्रकार यह भी देख लें कि प्रत्येक मतपत्र में नाम व चुनाव प्रतीक ठीक से मुद्रित है। यदि अनुक्रमांक ठीक से मेल नहीं खाते हैं या किसी मतपत्र में प्रतीक ठीक से मुद्रित नहीं है तो ऐसे मतपत्र के उपर बड़ी सी तिरछी लाईन* (X) *खींच कर रद्द कर दें। ऐसा मतपत्र मतदाता को नहीं दिया जाना है।*

सुभेदक सीले– *प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुभेदक सील लगानी होगी एवं उसमें अंकित रिक्तियों को भरना होगा।*

स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी *– यह देख लें कि अमिट स्याही की शीशी में स्याही प्र्याप्त मात्रा में है तथा स्टाम्प पैड सुखा हुआ नहीं है।*

उम्मीदवारों की सूचियां– *हर पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की 3 सूचियां आपको दी जायेगी। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के लिये दिये गये मतपत्रों पर उनमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम लिखे जायेगें। इन सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम वर्णकम के अनुसार लिखे होगें तथा उनके चुनाव प्रतीक भी दर्शाये रहेगें। मतदान केन्द्र में पहुंचने पर इनमें से एक प्रति आपको मतदान केन्द्र के बाहर सूचना फलक पर लगानी होगी। दूसरी प्रति केन्द्र के अन्दर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी।*

पेपर सीलें *– जिन मतदान केन्द्रों में मतपेटी बन्द करते समय सादा पेपर सील लगाई जानी है। अतः यह देख लें कि आपको दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में है।*

घूमते हुये तीरों वाली रबड़ सीलें *– मतदाताओ को मत अंकित करने के लिये आपको घूमते हुये तीरों के चिन्ह वाली रबड़ सीले दी जायेगी। सादे कागज पर इनका ठप्पा लगाकर यह देख लें कि ये सभी सीलें पूरा और साफ निशान बनाती है।*

प्रारूप, लिफाफे, मतगणना सामग्री एंव शीटस *– मतदान सम्पन्न कराने के लिये आपको विभिन्न प्रकार के प्ररूप, लिफाफे, मतगणना सामग्री एंव शीटस दी जायेगीं ।*

अध्याय–11

पंचायत चुनाव से सम्बन्धित कुछ बुनियादी बातें

राज्य में पंचायतों के आम निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। ये निम्नांकित है–

1. *प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच के साथ–साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, अपने क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य व जिला परिषद के सदस्य (इस प्रकार 4 प्रतिनिधियों) का सीधे चुनाव करेगा। पंच/सरपंच का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होगा। अतः किसी भी उम्मीदवार को मान्यताप्राप्त राजैनतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान नहीं किये जायेगें। एक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या सामान्यतः 500 के आस–पास होगी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक या दो मतदान केन्द्र होगें। कहीं–कहीं 3 भी हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड का सामान्यतः पूरी तरह एक ही मतदान केन्द्र से सम्बन्ध रहेगा। सामान्यतः ऐसा नहीं होगा कि उसका एक भाग एक मतदान केन्द्र के अन्तर्गत आये और शेष भाग दूसरे के अन्तर्गत।*

2. *चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई गई मतदाता सूची* (voter list) *के आधार पर होगा। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है ।*

3. *मतदाताओं तथा गणना की सुविधा के लिये मतपत्र सफेद पेपर पर निम्नानुसार अलग–अलग रंगों से छपवाए गये होगें।*
   - (1) *पंच के लिये –काला*
   - (2) *सरपंच के लिये–नीला*
   - (3) *पंचायत समिति के सदस्य के लिये–पीला तथा*
   - (4) *जिला परिषद सदस्य के लिये –लाल/गुलाबी*

4. *सभी पदों के मतदान मतपेटियों से होने की दशा में प्रत्येक मतदान दल को दो बड़ी मतपेटी के साथ दो छोटी अथवा चार छोटी मतपेटियां दी जायेगी, जिनका उपयोग एक के बाद एक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा। मतपेटियां वे ही रहेगी जो विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन के काम में लाई जाती थी। पंच तथा सरपंच के मतपत्र के लिये एक मतपेटी में तथा पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद् के सदस्य के मतपत्र दूसरी पेटी में डाले जायेगें।*

5. *पंच और सरपंच के अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग–अलग रहेंगें चुनाव प्रतीक वही होगें जो आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं। प्रतीक अधिसूचना में जिस कम में दर्शायें गये होंगे उसी कम में हर मतपत्र में मुद्रित रहेंगें प्रतीको के बायें ओर अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णकम (अर्थात् वर्णमाला) अक्षरों के कम के अनुसार लिखे जायेगें। अतः अभ्यर्थियों को वर्णकम में उनके नाम के अनुसार प्रतीक आबंटित होगें ।*

प्रत्येक मतपत्र या उसके प्रतिपर्ण (काउन्टर फाईल) पर मतपत्र का नम्बर अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे निशान लिये जायेगें।

मतपत्र के पीछे रबड़ की निम्नांकित सुभेदक सील लगाई जायेगी और उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर रहेगें ।

(i) *पंच तथा सरपंच के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक सीले–*

सरपंच के लिये *पंच के लिये*

*खण्ड*_____	*खण्ड* _____	*वार्ड क0*
ग्राम पंचायत _____	*मतदान केन्द्र क0* _____	
मतदान केन्द्र क0 _____	*ग्राम पंचायत* _____	

इस सील में "वार्ड कमांक" केवल "पंच" के निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों में भरा जायेगा। अन्य प्रविष्टियां (entry) *सील में पूर्व से ही अंकित रहेगी।*

(ii) *पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुभेदक सीले–*

खण्ड _____	*नि0 क्षेत्र क्र0* _____
मत केन्द्र क्र0 _____	*पंचायत समिति* _____
	जिला परिषद् _____

मतदान केन्द्रों के नम्बर खण्डवार रहेगें न कि जिलेवार। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर भी खण्डवार (अर्थात् पंचायत समितिवार) रहेगें केवल जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के नम्बर सिलसिलेवार जिले के लिये रहेगें।

6. *मतदाता के बांयीं तर्जनी पर वही अमिट स्याही लगाई जायेगी जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिये काम में लाई जाती है। मतदाता को पहले पंच तथा सरपंच पद के अभ्यर्थियों से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेगें और उसके बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के अभ्यर्थियों से सम्बन्धित दो मतपत्र दिये जायेगें। मतपत्र सम्बन्धित मतपेटी में ही डाले जायेगें।*

मतदान केन्द्र के अन्दर केन्द्र में दो मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमैंन्ट) होगें जिनमें से एक का उपयोग पंच तथा सरपंच के चुनाव हेतू दिये गये मतपत्रों पर मत अंकित करने के लिये किया जायेगा तथा दूसरे (कक्ष) का उपयोग पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य के चुनाव हेतू दिये गये मतपत्रों का मत अंकित करने के लिये किया जायेगा। मतांकन घूमते हुये तीरों के चिन्ह वाली वैसी ही रबर सील से किया जायेगा जैसी विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन के लिये उपयोग में लाई जाती थी।

मतदान केन्द्र में उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट उपस्थित रह सकता है। कोई निर्वाचन ऐजंट या गणना एजेंट एक से अधिक उम्मीदवारों का एजेंट हो सकता है । यदि अभ्यर्थियों या उनके मतदान/गणन अभिकर्ताओं के बैठने के लिये कुर्सियां या बैंच न हो तो दरी पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी।

मतदान का समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगा ।

मतदान सम्पन्न होने के पश्चात पंचो एवं सरपंचों के मामले में, मतदान केन्द्र पर ही मतों की गणना की जायेगी। पंचायत समिति एवं जिला परिषद की गणना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर की जायेगी। यह कार्य मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने केन्द्र के मतदान अधिकारियों के सहयोग से किया जायेगा। मतगणना पूरी होते ही विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या का ऐलान किया जायेगा तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/गणन अभिकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर गणना पर्ची की एक प्रतिलिपि उसे निःशुल्क दी जायेगी। निर्वाचन के परिणाम की औपचारिक घोषणा निम्नांकित रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर करेगें–

(i)	*पंच और सरपंच के मामले में*	:	*पीठासीन अधिकारी नियम* 70 (1) (A) *के अनुसार*
(ii)	*पंचायत समिति के सदस्य के अभ्यर्थियों के मामले में*	:	*नियम* ***16*** *के अधीन नियुक्त रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*
(iii)	*जिला परिषद के सदस्य के अभ्यर्थियों के मामले में*	:	*जिला मुख्यालय पर : रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*

अध्याय–12

मतदान केन्द्र में प्रवेश पर नियन्त्रण तथा उसके आस–पास की व्यवस्था

1. प्रवेश को नियन्त्रित करना– *आपको चाहिये कि मतदान केन्द्र के अन्दर भीड़ न होने दें। इसके लिये आप केन्द्र के बाहर लगी कतारों में से बारी–बारी से महिला तथा पुरूष मतदाताओं को सीमित संख्या में मतदान केन्द्र के अन्दर आने की अनुमति दें। निम्नांकित प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर आप अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के अन्दर आने से रोक सकते हैं तथा वहां से हटा सकते हैं ।*

(1) *मतदान अधिकारी*

(2) *निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर कार्यरत लोक सेवक*

(3) *राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत या रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।*

(4) *अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता*

(5) *मतदाता के साथ गोद वाला बालक*

(6) *अन्धे या विकलांग मतदाता के साथ उसकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति*

(7) *ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे रिटर्निंग आफिसर या आप मतदाताओ को पहचानने के लिये नियोजित करें।*

मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यतः केन्द्र के बाहर ही ड्यूटी पर रहेगें जब तक कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये आप उन्हें अन्दर न बुलायें।

2. *उपरोक्तानुसार मतदान केन्द्र में प्रवेश को दृढ़ता से लागू करें अन्यथा वहां भीड़–भाड़ हो जायेगी और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या पैदा होगी।*

(1) *यदि आपको लगे कि मतदान केन्द्र पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान के सुचारू संचालन में व्यवधान पैदा कर रहा है तो आप उसे चले जाने के लिये कह सकते हैं। यदि फिर भी यदि वह न जाये तो आप उसे हटाये जाने के लिये केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी को निर्देश दे सकते हैं ।*

(2) *अपने कर्तव्य के पालन में आपको केवल राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और रिटर्निंग अधिकारी पंचायत के निर्देशों का अनुसरण करना है। निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य के बारे में तथा ड्यूटी के दौरान आपको अपने उच्चधिकारियों या अन्य किसी से कोई आदेश नहीं लेने हैं।*

(3) *मतदाताओ को पहचानने के लिये या महिला मतदाताओं की सहायता के लिये आप ग्राम स्तरीय किसी कर्मचारी या महिला परिचायक को नियोजित कर सकते हैं परन्तु उसे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठायें और मतदान केन्द्र के अन्दर तभी बुलायें जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिये या तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिये उसकी आवश्यकता हो।*

3. मतदान केन्द्र व उसके आस–पास की व्यवस्था बनाए रखना– *मतदान के सुचारू रूप से संचालन के लिये मतदान केन्द्र तथा उसके आस–पास शांति और व्यवस्था बनाये रखने तथा वहां पर गड़बड़ी या मतदान को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 180 से 187 तक जो प्रावधान दिये गये हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। उम्मीदवारों के चुनाव/मतदान एजेंट से मतदान आरम्भ होने से 20 मिनट पहले पहुंचने की अपेक्षा है ताकि जब मतपेटी तैयार करने की आरम्भिक कार्यवाही चल रही हो तो तब वे उसे देख सकें ।*

यदि कोई एजेंट समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरम्भिक कार्यवाही नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को नियुक्ति–पत्र निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत करने को कहें जिसके द्वारा उम्मीदवार या उसे निर्वाचन एजेंट ने नियुक्त किया हो । इस बात को देख लें कि नियुक्ति आपके मतदान केन्द्र के लिए ही की गई है । तत्पश्चात् उसे नियुक्ति पत्र की प्रविष्टियां पूर्ण करने और घोषणा पर हस्ताक्षर करने को कहें । प्राप्त नियुक्ति–पत्रों को सुरक्षित रखें और मतदान के बाद उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित लिफाफें में डालें ।

अभ्यर्थियों या उसके चुनाव मतदान एर्जेटों को मतदान अधिकारी क्रम–1 के ठीक पीछे बिठायें। यदि प्रवेश द्वार की विशिष्ट स्थिति के कारण ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो उन्हे मतदान अधिकारियों के सामने बिठायें। व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाताओं के चेहरे देख सके और आवश्यकता पड़ने पर पहचान के सम्बन्ध में अभ्याक्षेप कर सके। उन्हें मतदान केन्द्र में उठ कर इधर–उधर चलने से रोके।

मतदान केन्द्र में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता धुम्रपान करना चाहे तो उसे मतदान केन्द्र के बाहर जाने को कहे।

4. समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों और फोटोग्राफर द्वारा फोटो लिये जाना *:– पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओ के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु बगैर राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत या रिटर्निंग आफिसर पंचायत द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के उन्हे मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश न करने दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में (जहां कि मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है) नहीं जाने दें।*

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त पर्यवेक्षक मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान केन्द्र में आ सकते हैं। पहचान में आसानी के लिये वे या तो बैज पहने होगें या आपको पास या नियुक्ति पत्र दिखायेगें। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें और उनकी इच्छाओं का विनम्रता और आदरभाव से उतर दें। पर्यवेक्षक आपको कोई निर्देश नहीं देगें परन्तु यदि वे आपके मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को हो रही असुविधा को दूर करने या मतदान की प्रकिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव दें तो उस पर अवश्य विचार करें।

मतदान के दौरान बीच–बीच में आपके केन्द्र की स्थिति का जायजा लेने के लिये जिला/उप–जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत या रिटर्निंग आफिसर पंचायत या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जैसे कि मैजिस्ट्रेट आयेगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत कराएं, जिसका आप सामना कर रहे हैं। वे आपकी सहायता के लिये ही आपके पास आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मागंने या उन्हे अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें।

अध्याय–13

मतदान

1. ***मतदान केन्द्र में प्रवेश****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 44 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में किसी एक समय पर अनुज्ञात* (allowed) *किए जाने वाले मतदाताओं की संख्या निर्धारित करेगा तथा निम्नलिखित से अलग सभी व्यक्तियों को वहां से निकाल देगा–*

निर्वाचन अधिकारी,

चुनाव के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लोक सेवक,

राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अथवा रिटर्निंग अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

उम्मीदवारों तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं,

मतदाता की गोद में कोई बच्चा,

किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त मतदाता के साथ आने वाला कोई व्यक्ति जो उसकी सहायता के बिना नहीं चल सकता, और

ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा पीठासीन अधिकारी मतदाता की पहचान करने के प्रयोजन के लिए नियोजित करें ।

2. ***मतदान के प्रारम्भ से पहले मत पेटियों को ताला लगाना और उन्हें मुहरबंद करना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 45 के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान के प्रारम्भ से तुरन्त पहले, उम्मीदवारों तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं द्वारा मतदान पर उपयोग की जाने वाली प्रत्येक मत पेटी का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा जो ऐसे मतदान केन्द्र पर उपस्थित है तथा उनके तथा उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों को दिखाएगा कि यह खाली है ।*

पीठासीन अधिकारी, उक्त नियम का पालन करने के बाद, ऐसी रीति में पेटी प्राप्त तथा मुहरबन्द करेगा कि उसमें मत पत्रों को डालने के लिए पेटी का सुराख खुला रहता है तथा उम्मीदवारों अथवा उनके मतदान अभिकर्ताओं को अनुज्ञात करेगा तो उनके लिए पेटी में खाली स्थान पर अपनी मुहरें लगाने के लिए उपस्थित हों, यदि वे ऐसा चाहते हों।

मत पेटी के लिए उपयोग की जाने वाली मुहर ऐसी रीति में लगाई जाएगी कि ऐसी मुहर या कोई धागे, जिस पर मुहर लगाई गई है, को तोड़े बिना दोबारा मत पेटी को खोलना सम्भव नहीं होगा ।

3. ***महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 46 के अन्तर्गत जहां कोई मतदान केन्द्र पुरूष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हैं, वहां पीठासीन अधिकारी निदेश दे सकता है कि वे महिलाओं तथा पुरूषों की अलग–अलग टोलियों में थोड़े–थोड़े मतदान केन्द्र में प्रवेश होने दिए जाएंगे।*

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा पीठासीन अधिकारी महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए मतदान केन्द्र पर सहायक के रूप में सेवा करने तथा महिला मतदाताओं के सम्बन्ध में मतदान कराने में साधारणतया पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी, तथा विशेष रूप में किसी महिला मतदाता की तलाशी में सहायता करने के लिए किसी महिला को नियुक्त कर सकता है, यदि यह निर्बाध तथा निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जाता है।

4. ***नेत्रहीन अथवा अशक्त मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन****– यदि नेत्रहीनता अथवा अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र पर निशान को पढ़ने में अयोग्य है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे*

मतदाता के साथ, उसकी सहायता करने तथा मतपेटी में ऐसे मतदाता की इच्छानुसार मत डालने के लिए उसकी इच्छा के किसी व्यक्ति को मतदान कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा, पीठासीन अधिकारी ऐसे उदाहरण का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा।

5. ***मतदाताओं की पहचानः***— *पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को मतदान केन्द्र पर नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह मतदाताओं की पहचान करने में सहायता करने के लिए अथवा मतदान करवाने में अन्यथा उसकी सहायता करने के लिए उचित समझता है।*

जैसे ही प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करता है जो पीठासीन अधिकारी अथवा इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदाता का नाम तथा मतदाता सूची में सम्बन्धित प्रविष्टि सहित अन्य विवरणों की जांच करेगा और तब मतदाताओं की कम संख्या, नाम तथा अन्य विवरण बोलेगा।

मतपत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति अधिकार, का विनिश्चिय करने में पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो मतदाताओं की सूची में किसी प्रविष्टि में केवल लिपिकीय अथवा मुद्रण सम्बन्धित गलतियों की उपेक्षा करेगा, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति मतदाता के समाना है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है।

6. ***मतदाता की पहचान को चुनौती देना***—*कोई उम्मीदवार अथवा पोलिंग ऐजेंट प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये पीठासीन अधिकारी के पास नकदी में पांच रूपये की राशि पहले जमा करवाकर विशिष्ट मतदाता होने के दावेदार किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है।*

ऐसा नकदी जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी—

प्रतिरूपण चुनौती दिये गये व्यक्ति को शास्ति की प्रावधान करेगा,

पूर्णरूप में मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्ठि को पढ़ेगा तथा पूछेगा कि क्या यह वही व्यक्ति है जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट है,

प्ररूप 11 में चुनौती दिये गये मतों की सूची में उसका नाम तथा पता दर्ज करेगा, और उक्त सूची में उसके हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा।

पीठासीन अधिकारी इसके बाद चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए—

(*क*) *चुनौती देने वाले से, चुनौती के सबूत में साक्ष्य पेश करने तथा चुनौती दिए व्यक्ति से उसकी पहचान के सबूत में साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकता है,*

(*ख*) *चुनौती दिये गये व्यक्ति से उसकी पहचान को सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए किन्हीं आवश्यक प्रश्नों को पूछ सकता है तथा शपथ पर उनके उतर की उससे अपेक्षा कर सकता है, और*

(*ग*) *चुनौती दिये गये व्यक्ति तथा साक्ष्य देने के लिए पेश होने वाले अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकता है।*

(4) *यदि, जांच के बाद, पीठासीन अधिकारी समझता है कि चुनौती सिद्ध नही हुई है तो वह चुनौती दिये गये व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा, और यदि वह समझता है कि चुनौती सिद्ध हो गई है तो वह चुनौती दिये व्यक्ति को मत देने से रोक सकता है।*

(5) *यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि आक्षेप तुच्छ है अथवा सदभावपूर्वक नही किया गया तो उस निदेश करेगा कि उसके पास जमा कराई गई नगदी राज्य सरकार को जब्त कर दिया जाये तथा अन्य किसी अन्य मामले में जांच की समाप्ति पर इसे आपत्तिकर्ता को वापस कर सकता है।*

7. ***मतपेटियों, पैकैटों इत्यादि का रिटर्निंग अधिकारी पंचायत की प्रेषरम*** *(भेजना)— हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 58 (2) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी तब तक सभी मतपेटियों, पैक्टों तथा अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित प्रबन्ध करेगा जब तक मतों की गिनती प्रारम्भ नहीं हो जाती।*

8. ***आपातकाल में मतदान का स्थगनः—*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 59 के अन्तर्गत यदि किसी चुनाव में, मतदान के किसी मतदान केन्द्र पर कार्यवाहियां किसी दंगे अथवा खुली हिंसा द्वारा छिन्न—भिन्न अथवा बाधित की जाती है, अथवा यदि किसी निर्वाचन में, किसी प्राकृतिक विपत्ति अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करवाना संभव नहीं होता तो ऐसे मतदान केन्द्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा पीठासीन अधिकारी बाद मे नियत की जाने वाली तिथि तक मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा तथा जहां मतदान, पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां वह सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को तुरंत सूचित करेगा।*

उक्त के अधीन जब कभी मतदान स्थगित किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत), जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट करेगा जो यथा शीघ्र ऐसी तिथि नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारम्भ होगा तथा ऐसा मतदान केन्द्र जिस पर तथा ऐसा समय जिसके दौरान मतदान करवाया जायेगा, नियत करेगा। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) ऐसे निर्वाचन में तब तक मतों की गिनती नहीं करेगा जब तक ऐसे स्थगित मतदान पूरे नहीं कर दिये जाते।

उपरोक्त ऐसे प्रत्येक मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियम 25 में अधिकारिक रीति से नियत की गई मतदान की तिथि, समय तथा स्थान प्रकाशित करेगा तथा मूल मतदान को शासित करने वाले नियमों के उपबन्ध नियम के अधीन करवाये जाने वाले नये मतदान पर, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें ।

9. ***मतदान के स्थगन पर प्रकियाः***—*हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 59 के अधीन यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित किया जाता है तो नियम 55 से 58 (दोनों को मिलाकर) के उपबन्ध, यथासाध्य इस प्रकार लागू होगें मानों मतदान नियम 24 के अधीन उस निमित नियत किये गये समय पर बन्द किया गया था ।*

जब कोई स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसे मतदाता जो इस प्रकार स्थगित मतदान पर पहले ही मत दे चुके है पुनः मत देने के लिये अनुज्ञात किये जायेगें ।

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत ऐसे मतदान केन्द्र पर जिस पर ऐसा स्थगित मतदान करवाना है, के पीठासीन अधिकारी को मतदाताओ की सूचि की चिन्हकिंत प्रति रखने वाले मुहरबन्द पैकटों तथा एक नई मतपेटी की व्यवस्था करेगा ।

पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मुहरबन्द पैकेट खोलेगा तथा स्थगित मतदान पर मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की क्रम संख्या अभिलिखित (रिकार्ड)करने के लिये मतदाताओं की सूचि की चिन्हकिंत प्रति का उपयोग करेगा ।

10. ***पुर्नमतदान की कार्यवाही*** *:— उपरोक्तानुसार स्थगित किया गया मतदान जब पुनः प्रारम्भ किया जाये तो आपको रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति का मूल सीलबन्द पैकट दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा आपको सामग्री के साथ नई मतपेटी भी दी जायेगी। मतदान पुनः आरम्भ करने के पूर्व उस समय उपस्थिति मतदान अभिकर्ताओ के समक्ष आप सीलबन्द पैकेट खोलें तथा मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति के अनुसार आगे मतदान करायें। उन मतदाताओं को जिन्होने स्थगित मतदान के दौरान अर्थात पहले से ही अपने मत दे दिये हो फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस प्रकार कराये गये पुर्नमतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने*

वाली समस्त कार्यवाहियां ठीक उसी प्रकार से की जायेगी जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में कराये जाने वाली मतदान के लिये की जाती है ।

10. ***मतपेटियों इत्यादि के विनाश की दशा में नया मतदानः—*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 61 के अन्तर्गत यदि किसी चुनाव में—*

किसी मतदान केन्द्र में उपयोग की गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी पंचायत की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके ले ली जाती है अथवा संयोगवश, अथवा जानबूझकर नष्ट अथवा गुम कर दी जाती है अथवा ऐसी सीमा तक नष्ट की जाती है अथवा विरूपित की जाती है कि उस मतदान केन्द्र की मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जाता सकता, अथवा

प्रकिया में ऐसी कोई गलती अथवा अनियमितता जिससे मतदान के दूषित होने की सभांवना हो, किसी मतदान केन्द्र में की जाती है, तो रिटर्निंग अधिकारी पंचायत जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त को मामले की तुरन्त रिपोर्ट करेगा ।

उस पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त सभी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में लेने के बाद या तो—

मतदान केन्द्र पर मतदान के शून्य होने की घोषणा करेगा, तथा उस मतदान केन्द्र पर नया मतदान करवाने के लिये दिन नियत तथा समय निश्चित करेगा तथा इसी प्रकार नियत किये गये दिन तथा इस प्रकार निश्चित किये गये समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जिसे वह उचित समझे, अथवा

यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि उस मतदान केन्द्र पर किसी नए मतदान का परिणाम किसी भी प्रकार से निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा अथवा प्रकिया में गलती अथवा अनियमितता तात्विक नहीं है, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत को ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह निर्वाचन के आगे संचालन तथा पूरा करने के लिए उचित समझे।

अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नए मतदान को लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान को लागू होते हैं।

अध्याय–14

मतगणना

1. मतगणना कार्य चुनाव प्रकिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गलत या असावधानी से की गई मतगणना से सारे चुनाव का परिणाम विकृत हो सकता है ।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1994 के नियमों के अन्तर्गत मतदान केन्द्र सभी पदों के लिये डाले गये मतों की गणना के लिये आपको प्राधिकृत किया गया है। मतगणना के पश्चात आप विभिन्न पदों के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐलान का अभिप्रायः निर्वाचन परिणाम की घोषणा नहीं है। इसका आशय केवल यह है कि आप मतगणना केन्द्र में उपस्थिति उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/गणन एजेंटों को आप पढ़कर यह सुना देगें कि किस–किस उम्मीदवार को कितने कितने विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं।

3. सभी मतदान अधिकारी, मतों की गणना में गणना सहायक के रूप में आपकी सहायता करेगें।

4. सामान्यताः मतदान केन्द्र पर ही मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात पंचों व सरपंचों के मामले में मतों की गणना की जायेगी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामले में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान व निश्चित समय पर की जायेगी। यदि किसी मतदान केन्द्र पर हिंसा या गड़बड़ी की संभावना के कारण मतगणना करना उपयुक्त नहीं समझा गया हो तो, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा इसकी सूचना आपको अलग से दी जायेगी।

5. मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान यदि आपको लगे कि ग्राम में बहुत अधिक तनाव का वातावरण है और मतगणना में हिसां और गड़बड़ी हो सकती है जिसे उपलब्ध बल नहीं रोक पायेगा तो आप मतगणना के घोषित स्थान, तारीख और समय में परिवर्तन करते हुये मतदान केन्द्र में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओ को सूचित करें कि मतगणना का स्थान वह खण्ड या तहसील मुख्याालय रहेगा जहां से आपको मतदान सामग्री का प्रदाय किया गया था तथा उसकी तारीख ठीक अगले दिन की होगी और समय दोपहर बाद का रहेगा। ऐसी सूचना दो प्रतियों में तैयार की जाये। सूचना की एक प्रति पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान लिये जायें तथा इसे आप अपने पास रखें। दूसरी प्रति मतदान केन्द्र के बाहर आम लोगों की जानकारी के लिये प्रदर्शित करें।

6. मतदान स्थल पर मतगणना प्रारम्भ करने के पूर्व आप मतदान से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही जिसमें मतपत्र लेखा और ऐसे अन्य प्ररूपों को भरना, परिनियत और दूसरे लिफाफों को तैयार करके सील करना सम्मिलित है, पूर्ण कर लें। जिन लिफाफो तथा प्ररूपों की मतगणना में आवश्यकता नहीं है उन्हें व्यवस्थित ढंग से अलग रख दें।

7. यह ध्यान रखे कि मतगणना का समय भी हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम,1994 के नियम, 24 के तहत जारी अधिसूचना में पूर्व से अधिसूचित है। अतः आपको यह कार्य यथासंभव समय पर प्रारम्भ करना है। विलम्ब से होने से सुर्यास्त के बाद तक अर्थात् देर शाम तक मतगणना करनी पड़ेगी, जिसमें काफी असुविधा हो सकती है ।

8. मतगणना के उपरान्त लिफाफे सील करने में समय लग रहा हो तो मतपत्र लेखा तैयार करने के बाद सर्वप्रथम निम्नांकित लिफाफें सील करें–

(1) *मतदाता सूचि की चिह्नित प्रति वाले*

(2) *रद्द किये गये मतपत्रों वाले*

(3) *निविदत मतपत्रों एवं सूचि वाले*

(4) *उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण वाले*

(5) *मतदाताओ को जारी न किये गये मतपत्रों वाले*

9. मतगणना के लिये मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था को पुनः जमा लें। मेजों और कुर्सियों को पास में लाकर अपने तथा अपने सहायकों के बैठने का स्थान तय करें। मतगणना दल की कुर्सियों के पीछे या मेजों के किनारों से थोड़े फांसले से उम्मीदवारों तक उनके निर्वाचन/गणना एजेंटों के लिये कुर्सियां लगायें। यदि पर्याप्त संख्या में कुर्सियां न हो तो बैठने की व्यवस्था जमीन पर दरी या चादर बिछा कर करें। गणना अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओ को इस प्रकार बैठाना चाहिये कि वे मतगणना की कार्यवाही तथा मतपत्रों को देख सके। उन्हें मतपत्रों को छूने न दें। यदि मतगणना में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं उपस्थित हो तो फिर उसके गणना अभिकर्ता को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे विनम्रता से बाहर प्रतीक्षा करने को कहें। किसी अभ्यर्थी की ओर से मतदान या मतगणना के दौरान एक व्यक्ति का रहना पर्याप्त है। यह उल्लेखनीय है कि एक ही मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता एक से अधिक अभ्यर्थियों का अभिकर्ता हो सकता है ।

10. मतगणना में लगने वाले आवश्यक प्ररूप 14,15, 16 और 17 पर सम्मिलित है अपने पास रख लें। उनके साथ ही निम्नानुसार सामग्री की भी मतगणना में आवश्यकता पड़ेगी –

(1) *पैसिलें*

(2) *चाक*

(3) *कागज के दो पन्ने*

(4) *गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी*

(5) *सुतली*

(6) *रबड़ बैन्ड*

(7) *एक या दो पेपर वेट या पत्थर के छोटे टुकड़े*

(8) *गणना पर्चियां*

(9) *लपेटने के लिये शीट*

(10) *धागा*

(11) *ब्लेड*

(12) *सुंआ*

(13) *सीलिंग मैट्रियल (चपड़ी, मोमबती, मैटल सील)*

(14) *ट्रे (यदि उपलब्ध हो तो)*

11. (1) *यह सुनिश्चित करे कि मतगणना स्थल में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रहे। ऐसे व्यक्तियों में केवल निम्नांकित व्यक्ति हो सकते हैं –*

(क) *जिन्हें मतगणना करने में आपकी सहायता करने के लिये नियुक्त किया गया हो ।*

(ख) *आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ।*

(ग) *निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी*

(घ) *उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता ।*

यदि गणना कक्ष में अन्य व्यक्ति हो तो उन्हें हटा दें एवं आपके केन्द्र पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि वे उपरोक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसी को अन्दर न आने दें। कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार–2 अन्दर बाहर आवागमन नियन्त्रित करें।

(2) *गणना अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्ररूप–23 में की जावेगी। वह इसकी एक प्रति आपको प्रस्तुत करेगा। इस घोषणा वाले भाग पर आपके समक्ष गणन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगें एवं आपके द्वारा इसे सत्यापित किया जायेगा। इसके पश्चात ही गणना अभिकर्ता मतदान की प्रकिया में उपस्थित रहने का अधिकारी होगा।*

12. ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो मतगणना के दौरान अनुचित व्यवहार करे और आपके विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करे, गणना कक्ष से आप हटा सकते हैं।

13. मतपेटियों को खोलने से पूर्व आप उपस्थित उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ताओं को उनका निरीक्षण करा दें ताकि वे आश्वास्त हो सके कि मतपेटियों पर लगाई गई सीले जिस स्थिति में थी ज्यों की त्यों हैं और किसी भी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है ।

14. चूंकि पंच एवं सरपंच के मामले में मतगणना, मतदान स्थल पर ही मतदान की समाप्ति के तत्काल बाद की जायेगी। अतः मतपेटियों में गड़बड़ी की सम्भावना बहुत कम है। फिर भी यदि पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि किसी मतपेटी में कोई गड़बड़ की गई है तो मतगणना न करें और मामले की पूरी रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को भेजें तथा ऐसी स्थिति में मतपेटियां यथास्थिति सुतली से बांध कर सील करें। फिर उन्हें कपड़े के थैले में बांधकर सील करें और उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर अपनी सील लगाने दें। ऐसी मतपेटियां और लिफाफे, अन्य सामग्री तथा पी0ओ0 की रिपोर्ट के साथ मतदान सामग्री वितरण केन्द्र पर रिटर्निंग आफिसर /सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंपने होंगे।

15. मतपेटियों की हालत पर संतुष्टि के पश्चात एक–एक करके मतपेटी खोलें। मतपेटी को उल्टा कर के झटक कर यह भी देख लें कि उसके अन्दर कोई मतपत्र बचा तो नहीं रह गया है। प्रत्येक मतपेटी में से पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये डाले गये अलग–2 रंगों के मतपत्र निकलेगें। प्रथमतः रंग के आधार पर मतपत्रों की अलग–अलग गड्डियां बना लें। फिर पचास पचास मतपत्रों की गड्डियां बनायें। अतिंम गड्डी 50 मतपत्रों से कम की भी हो सकती है। मतदान केन्द्र पर यदि एक से अधिक मतपेटियां उपयोग में लाई गई हों तो पहली मतपेटी खोलने के बाद दूसरी मतपेटी खोलें और उपरोक्तानुसार कार्यवाही करके तीसरी और उसके बाद चौथी मतपेटी खोलें। मतपत्रों की छंटनी करके गड्डियां बनाते जायें।

(1) *निविदत मतपत्र वाला कोई भी लिफाफा ना तो खोला जायेगा और ना ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना की जायेगी ।*

16. इसके बाद पदवार मतगणना प्रारम्भ की जा सकती है। प्रथमतः पंच पद के लिये प्राप्त मतों की गणना करें। इसके बाद सरपंच के लिये मतगणना करें। चूंकि पंच पद के लिये डाले गये मतपत्रों में मतदान से सम्बन्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित हैं अतः उनकी वार्डवार गिनती तब तक सम्भव नहीं है जब तक उन्हें पलट कर उसके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्ड कमांक नहीं देख लिये जाते। अतः इन मतपत्रों को पलट कर सबसे पहले उनकी वार्डवार छंटनी करें। उसके बाद उन्हें फिर से सीधे करते हुये उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध लें। अब प्रत्येक वार्ड की गड्डी की बारी–बारी से गणना प्रारम्भ करें।

17. प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये मतपत्रों को पचास–पचास की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैंड से बांध लें। आखरी गड्डी पचास मतपत्र से कम की हो सकती है। उम्मीदवार को प्राप्त मतों की समस्त गड्डियां फिर एक ही टैग व रबर बैंड से बांध लें, जिन मतपत्रों को खारिज किये जाने की संभावना हो, उन्हें

सदेंहास्पद श्रेणी में रखकर उनकी एक अलग गड्डी बना लें। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 65 के अनुसार किसी मतपत्र को रद्द कर दिया जावेगा यदि–

(क) *उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या*

(ख) *वह बनावटी मतपत्र है, या*

(ग) *वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उनकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या*

(घ) *वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिये प्राधिकृत मतपत्रों के यथा स्थिति अनुकमांको से भिन्न अनुकमांक या भिन्न प्रकार का है, या*

(ङ) *उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है, या*

(च) *उस पर कोई चिन्ह (अर्थात घूमने वाले तीरों का चिन्ह) नहीं लगा है, या*

(छ) *एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिन्ह लगाया गया है, या*

(ज) *उस पर उस प्रयोजन के लिये विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई घूमने वाले तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है ।*

किन्तु यदि आपका समाधान हो जाये कि खण्ड (घ) या खण्ड (ङ.) में वर्णित कोई त्रुटि आपकी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है तो आप यह निर्देश दे सकते है कि वह इस त्रुटि पर ध्यान नहीं देकर इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा ।
किसी मतपत्र को केवल इस कारण रद्द नहीं किया जायेगा कि–

(एक) *किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाये गये है, या*

(दो) *एक से अधिक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग या गहरे रंग वाले भाग में भी चिन्ह लगे हुये हैं, या*

(तीन) *वह चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या*

(चार) *मूल चिन्ह किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार के खाने में भी उसकी छाप बन गई है । यदि मतपत्र को गलत मोड़ने के कारण छाप बन गई है तो उसमें तीरों की दिशा उल्टी तरफ (बांयीं ओर से दांयी ओर को) होगी तथा इन्हें मूल चिन्ह से सरलतापूर्वक विभेदित (अलग) किया जा सकता है क्योंकि मूल चिन्ह के निशान दांयी ओर से बांयी ओर को होगें, या*

(पांच) *चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगा है परन्तु किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या*

(छः) *मतपत्र के पीछे कोई विभेदक (अलग) चिन्ह और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु आपको यह समाधान हो जाये कि वह चूक आपकी या मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई या*

(सात) *मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह स्पष्ट है कि एक से अधिक बार लगाया गया है यदि मतपत्र चिहिनत किये जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाये कि वह चिन्ह किसी विशिष्ट उम्मीदवार को मत देने के आशय से लगाया गया है, या*

(आठ) *मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के प्रतिपर्ण (कांउटर फाईल) पर अंगूठे के निशान लेते समय लगाई गई थी मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो ।*

18. संदेहास्पद मतपत्रों की सुक्ष्म जांच की जावे। जिन मतपत्रों को खारिज करने योग्य न समझे उन्हें सम्बन्धित उम्मीदवारों की गड्डी में मिलायें। जो मतपत्र खारिज किये जायें उनके पीछे आदेश अभिलिखित करें इसके लिये निम्न प्रारूप में अलग से एक रबर सील दी गई है–

प्रतिक्षेपित (खारिज) "आर"

आधार

नियम 65 (1) (_____)

_____

हस्ताक्षर

19. उपरोक्त जांच के पश्चात उम्मीदवारों को मिले विधिमान्य मतों की गणना करें। गिने जा चुके विधिमान्य मतों को 50–50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबर बैड से बाधें। अतिंम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं। इसके पश्चात पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिये नियत मतगणना पत्रक/परिणाम जो कि प्ररूप 14,15, 16 और 17 पर है, में प्रविष्टियां करें। प्रत्येक पद के लिये मतगणना पत्रक तैयार हो जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतों की संख्या का ऐलान सर्व सम्बन्धित की जानकारी के लिये करें।

20. विधिमान्य मतों की संख्या का ऐलान किये जाने पर यदि कोई उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता मतपत्रों की पुर्नमतगणना की मांग करे तो उसे उन आधारों का वर्णन करते हुये जिन पर वह ऐसी पुर्नमतगणना की मांग करता है लिखित में आवेदन करना होगा। उसे ऐसा करने के लिये कुछ समय दें। आवेदन प्रस्तुत होने पर उसमें उल्लिखित आधारों के बारे में विचार करें। आवेदन को पूर्णतः या भागत मजूंर कर सकते हैं या उस दशा में जब वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त कारणों पर आधारित हो उसे अमान्य कर सकते हैं। ऐसा हर निर्णय कारणों सहित लिखित में होना चाहिये।

यदि प्रस्तुत आवेदन पत्र को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने का निर्णय करे तो–

(i) *निर्णय के अनुसार मतपत्रों की पुर्नमतगणना करें*

(ii) *गणना परिणाम पत्र को ऐसी पुर्नमतगणना के पश्चात संशोधित करें और*

(iii) *संशोधन के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या का पुनः ऐलान करें।*

तत्पश्चात गणना परिणाम पत्र को पूरा करके हस्ताक्षारित करें। इसके बाद पुर्नगणना के लिये कोई आवेदन मान्य नहीं होगा ।

21. किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता द्वारा उसे प्राप्त विधिमान्य मतों के विवरण की प्रति मांगने पर उसे निम्नांकित प्ररूप में एक गणना पर्ची हस्ताक्षारित करके दें–

गणना पर्ची

(पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य , जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन)

मतदान केन्द्र कमांक

वार्ड कमांक ———————— (केवल पंच के लिये)

ग्राम पंचायत ————————(केवल पंच और सरपंच के लिये)

निर्वाचन क्षेत्र कमांक ––––(सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद के लिये)

अभ्यर्थी का नाम

प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या

तारीख : *पीठासीन अधिकारी*
एवं मतगणना के लिये प्राधिकृत अधिकारी

इस हेतू खाली पर्चिंया पर्याप्त संख्या में मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी ।

22. मतगणना लगातार की जायेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारण जैसे कि हिंसा या प्राकृतिक आपदा से मतगणना स्थगित करनी पड़े तो चुनाव से सम्बन्धित मतपत्रों, पैकटों और अन्य कागजों को सीलबन्द करें । ऐसे सीलबन्द लिफाफों/पैकटों पर जो उम्मीदवार या उनके निर्वाचन/गणना अभिकर्ता अपनी सील लगानी चाहे उन्हें ऐसा करने दें। ऐसे लिफाफें और पैकटों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये पर्याप्त सावधानी बरतें।

23. उपरोक्त पूरी कार्यवाही के पश्चात अलग–2 उम्मीदवारों को मिले विधिमान्य मतों तथा खारिज मतपत्रों की गड्डियों का एक बण्डल बनायें और उनके उपर गणना पर्ची लगायें। पदवार बंडल बनाकर और उन्हें वर्णित प्रकिया के अनुसार सीलबन्द करें ।

भाग–2

*1. **मतों की गणना का अधीक्षण**– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 62 के अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान कराया जाता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के अधीक्षण तथा निर्देशन में करवाई जायेगी और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अथवा उसके गणन अभिकर्ताओं को मतगणना के समय उपस्थिति रहने का अधिकार होगा।*

*2. **मतगणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश**– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 63 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी निम्नलिखित के सिवाय मतों की गणना के लिए नियत किए गए स्थान से सभी व्यक्तियों को निकाल देगा–*

ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह गणना में उसकी सहायता के लिए नियुक्त करें,

राज्य निर्वाचन आयुक्त अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,

निर्वाचन के कार्य के सम्बन्ध में लगे सरकारी कर्मचारी, और

उम्मीदवार अथवा उनके गणन अभिकर्ता।

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी यह निर्णय करेगा कि किस गणन अभिकर्ता अथवा अभिकर्ताओं द्वारा किसी विशेष गणनाटेबल अथवा गणना टेबलों के समूह में गणना की निगरानी की जाएगी।

कोई व्यक्ति, जो मतगणना के समय स्वंय गलत व्यवहार करता है व निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अथवा ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अथवा निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जहां मतों की गणना की जा रही है, उसे इस स्थान से हटाया जा सकता है।

3. ***मतपेटियों की छानबीन तथा खोलना*** *:– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 64 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी एक से अधिक मतदान केन्द्रों के मतपत्र रख सकता है, उपयोग कर सकता है, खोल सकता है, एक साथ उनकी विषय वस्तुओं को गिन सकता है।*

गणना टेबल पर किसी मतपेटी के खोले जाने से पूर्व टेबल पर उपस्थित गणना अभिकर्ता पेपर अथवा ऐसी अन्य मोहर, जो उस पर लगी हुई है, निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किए जायेंगें और स्वयं को सन्तुष्ट करेंगे कि यही सही है।

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी संतुष्टि करेगा कि वास्तव में किसी भी मतपेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

यदि रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे अन्य अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि वास्तव में किसी मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उस मतपेटी में दिए गए मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उसे मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में नियम 61 में अभिकथित (दी गई) प्रकिया का अनुसरण करेगा।

4. ***मतपत्रों की छानबीन तथा रद्द करना:*** *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 65 के अन्तर्गत किसी मतपेटी में रखे मतपत्र को रदद कर दिया जाएगा, यदि–*

इस पर कोई चिह्न अथवा लिखाई है, जिसके द्वारा मतदाता पहचाना जा सकता है,

यह अप्रमाणिक मतपत्र है,

यह इस प्रकार नष्ट हो गया है अथवा कट कर गया कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती,

किसी विशेष मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की कम संख्या अथवा बनावट, जैसी भी स्थिति हो, से भिन्न कम संख्या तथा बनावट है,

इस पर ऐसा चिह्न नहीं है जो नियम 49 के उप नियम 3 के उपबन्धों के अधीन इस पर होना चाहिए,

यह चिह्नित नहीं किया गया है,

यह एक से अधिक उम्मीदवार के खानों में चिह्नित किया गया है अथवा

यह उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण तथा रीति से भिन्न किसी उपकरण तथा रीति में चिह्नित किया गया है:

परन्तु जहां रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की सन्तुष्टि होने पर कि कोई ऐसी त्रुटि जो कि उपर वर्णित है, सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्र में उपयोग किए गए सभी या किसी मतपत्र के सम्बन्ध में गलती अथवा चूक के कारण रही है, या निर्देश दिया है कि त्रुटि अनदेखी कर देनी चाहिए तो उपरोक्त के अधीन केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर कोई मतपत्र रदद नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि मतदाता द्वारा किया गया चिह्न मतपत्र के दोनों खानों में फैल गया है, तो मत उस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा, जिसके खाने में चिह्न का अधिकांश भाग आता है।

किसी मतपत्र को रदद करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई अन्य अधिकारी उपस्थित प्रत्येक गणन अभिकर्ता को मतपत्र के निरीक्षण का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करेगा किन्तु इसे अथवा किसी अन्य मतपत्र को छूने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी प्रत्येक मतपत्र जिसे वह रद करता है, "आर" लिखेगा और रद्द करने के आधार या तो उसके अपने हाथ से अथवा रबड़ की स्टाम्प द्वारा संक्षिप्त रूप में होंगे।

उक्त आधार पर रद्द किए गए सभी मतपत्र इक्टठे बंधे होंगे।

5. ***मतों की गणनाः***—*हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 66 के अन्तर्गत प्रत्येक मतपत्र जो नियमानुसार रद्द नहीं किया गया है, गिना जायेगा,*

परन्तु निविदा मतपत्र रखने वाला कोई कवर नहीं खोला जाएगा ओर ऐसा मतपत्र गिना नहीं जाएगा।

सभी मतपेटियों में रखे गये सभी मतपत्रों की गणना पूरी होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कमशः पंच, सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के सदस्यों के लिए प्ररूप 14, 15, 16, तथा 17 में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करेगा तथा विवरण घोषित करेगा।

उसके बाद विधिमान्य मतपत्र इक्टठे बांध दिये जाएंगें ओर रदद किये गये मतपत्रों के बंडल किसी अलग पैकेट में रखें जाऐगे जो मोहरबंद किये जायेगें और उन पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित किए जायेगे, अर्थात—

ग्राम पंचायत के पंच के निर्वाचन की दशा में वार्ड की संख्या तथा गांव का नाम, सरपंच के निर्वाचन की दशा में गांव का नाम अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में पंचायत समिति अथवा जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, की वार्ड संख्या,उस मतदान केन्द्र के विवरण जंहा मतपत्र उपयोग किए गए है, और गणना की तिथि

6. ***गणना जारी रखनाः***— *हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 67 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी जहां तक व्यवहार्य हो, मतों की गणना को जारी रखेगा और किसी अन्तराल के दौरान जब गणना निलम्बित रखी जानी है, निर्वाचन से सम्बन्धित गणन अभिकर्ता जो अपनी मोहर लगाने के इच्छुक हो, की मोहर से मोहरबंद किए जाएंगे अैर ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्व सावधानियां करवाई जाएगी।*

7. ***नए निर्वाचन के बाद मतों की गणना पुनर्रार्म्भः***—*हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 68 के अन्तर्गत यदि नया मतदान कराया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी उस मतदान के पूरे होने के बाद, उस तिथि, समय तथा स्थान, जो उसके द्वारा इस निमित नियत किए गए है, और जिसका पूर्ण नोटिस उम्मीदवारों तथा उसके गणन अभिकर्ताओं को दिया गया है मतों की गणना पुनः आरम्भ कर देगा।*

8. ***मतों की पुनः गणनाः—हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 69 के अन्तर्गत*** *मतगणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उस द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी नियमानुसार निर्धारित प्ररूप 14,15,16 व 17 में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये मतों की कुल संख्या अभिलिखित करेगा और उसकी घोषणा करेगा ।*

ऐसी घोषणा करने के बाद कोई उम्मीदवार अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसका गणक अभिकर्ता, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, पहले ही गिने गये

सभी अथवा किन्हीं मतपत्रों को, ऐसी पुनः गणना के लिये, आधारों को वर्णित करते हुये, जिन पर वह ऐसी गणना चाहता है लिखित रूप में आवेदन कर सकता है ।

ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मामले का निर्णय करेगा और आवेदन को पूर्ण अथवा भाग रूप में अनुज्ञात कर सकता है अथवा यदि उसे निरर्थक अथवा अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है तो उसे पूर्णतया रदद् कर सकता है ।

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का प्रत्येक निर्णय उपरोक्त अनुसार लिखित रूप में होगा और उसके लिये कारण दिये होगें।

यदि रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपरोक्तानुसार किसी आवेदक को या तो पूर्ण रूप में या भाग रूप में अनुज्ञात करने का निर्णय करता है तो वह,–

अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों को दोबारा गिनेगा,

ऐसी पुनः गणना के बाद आवश्यक सीमा तक परिणाम पत्र को संशोधित करेगा, और

उसके द्वारा इस प्रकार किये गये संशोधन की घोषणा करेगा ।

प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये मतो की कुल संख्या की घोषणा के बाद, रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी परिणाम पत्र को तैयार करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा

और उसके बाद किसी भी आवेदन पर पुनः गणना के लिये विचार नहीं किया जायेगा ।

मतगणना पूरी होने के बाद कोई भी कदम तब तक नहीं उठाया जायेगा, जब तक कि उम्मीदवारों तथा उपस्थित गणन अभिकर्ताओ को मतपत्रों की पुनः गणना करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिये, उसके पूरे होने का, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

अध्याय–15

परिणामों की घोषणा

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 70 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)–

उस उम्मीदवार को पंच के पद के लिए निर्वाचित घोषित करेगा, जिसने विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त की हो और प्ररूप 18 में निर्वाचन की विवरणी को प्रमाणित करेगा। इसी प्रकार से सरपंच का परिणाम भी तुरंत घोषित करेगा किन्तु यदि सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो सरपंच के पद के परिणाम पत्र उसी दिन मतदान केन्द्र की अध्यक्षता करने वाले इस प्रयोजनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा मनोनीत पीठासीन अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो प्ररूप 19 में परिणाम पत्र के तैयार करने के बाद जिसने विधिमान्य वोटों की अधिकतम संख्या प्राप्त की हो उस उम्मीदवार को तुरन्त सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित करेगा। पंच के पद के लिए परिणाम की घोषणा के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी समझा जायेगा और सभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान क्षेत्रों की दशा में सरपंच के पद के लिए परिणाम की घोषणा के लिए मनोनीत पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में समझा जायेगा।

पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों के पद के लिए परिणाम पत्र कमशः खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी तथा उपायुक्त को भेजे जाऐंगे ।

पंचायत समिति के निर्वाचन के लिए सभी परिणाम पत्र प्ररूप 16 में संकलित करेगा तथा प्ररूप 20 तैयार करेगा और उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जो विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करके निर्वाचित हो गया है और प्ररूप 20 में निर्वाचन की विवरणी प्रमाणित करेगा और जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिए परिणाम पत्र प्ररूप 17 में, संकलित करेगा और प्ररूप 21 तैयार करेगा और उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जो विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या लेकर निर्वाचित हो गया है और निर्वाचन की विवरणी प्ररूप 21 में प्रमाणित करेगा।

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत अथवा उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को विवरणी की हस्ताक्षरित प्रति भेजेगा।

***मतों की समानता**–– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 71 के अन्तर्गत यदि मतों की गणना के बाद, किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता पाई जाती है और एक अतिरिक्त मत निर्वाचित घोषित किए जाने वाले उन उम्मीदवारों में से हकदार बनाएगा, रिटर्निंग अधिकारी पंचायत उन उम्मीदवारों के बीच लाट द्वारा तुरंत निर्णय करेगा और ऐसे कार्यवाही करेगा मानों यदि उम्मीदवार जिसका लाट निकलता है, एक अतिरिक्त मत प्राप्त कर लिया हो।*

***विशेष–** सरपंच तथा पंच की स्थिति में लाट की प्रकिया सुपरवाईजर अथवा पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में की जाए ।*

परन्तु लाट की प्रकिया अपनाने से पूर्व दोनों उम्मीदवारों (जिके मत समान रहे हैं) की लिखित में सहमति ले ली जाए कि वे इस प्रकिया को अपनाने में सहमत हैं। लाट की प्रकिया उपनाते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाए–

i) *बराबर मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम की दो अलग–अलग पर्चियां (slips) तैयार करके दोनों उम्मीदवारों को दिखा दी जाए । पर्चियां बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए ।*

ii) *जिस थैले या बर्तन (जिसमें बाहर से देखने पर कुछ दिखाई न दे) में पर्चियां डाली जानी हैं उसे भी सम्बन्धित उम्मीदवारों को दिखा दिया जाये, ताकि उन्हें इस बात की पूरी संतुष्टी हो कि थैला या बर्तन पूर्णत्या खाली है ।*

iii) *तदउपरांत पर्चियों को थैले या बर्तन में डालकर अच्छी तरह से हिल्ला लिया जाये तथा फिर किसी बच्चे या बजुर्ग या किसी अन्य व्यक्ति को पास बुलाकर एक पर्ची निकालने को कहा जाए ।*

iv) *अंत में इस सारी प्रकिया की पूरी कार्यवाही लिखित में तैयार की जाए और उस पर दोनों उम्मीदवारों के हस्ताक्षर ले लिये जायें ।*

v) *लाट में सिक्का* (coin) *उच्छालने की प्रकिया न अपनाई जाए ।*

अध्याय–16

निर्वाचन के दौरान होने वाली त्रुटिया व उनके में बारे दण्ड विधान

1. ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप प्रचार पर प्रतिबंध***–*हरियाणा पंचायती राज अधिनयम, 1994 की धारा 180 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान केन्द्र में उस तिथि या उन तिथियों पर, जिन पर, कोई मतदान किया जाना है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में किन्हीं कृत्यों में से निम्नलिखित को नहीं करेगा, अर्थात–*

मतों के लिए प्रचार,

किसी मतदाता का मत मांगना,

किसी मतदाता को निर्वाचन पर मत न देने के लिए प्रेरित करना,

किसी मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिए प्रेरित करना,

निर्वाचन से संबन्धित कोई नोटिस या चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न, प्रदर्शित करना,

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त अनुसार नियमों की उल्लंघना करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जोकि एक हजार रूपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय (कार्यवाही योग्य)होगा।

2. ***मतदान केन्द्र में या उसके समीप विषवत संचालन के लिए शास्ति***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 181 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों पर, जिन पर किसी मतदान केन्द्र पर चुनाव होता है,–*

मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के भीतर या पर या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव आवाज को परिवर्धित करने के लिए किसी संयंत्र का, जैसे कि कोई मैगाफोन या कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा या संचालित नहीं करेगा, अथवा

मतदान केन्द्र के प्रवेश–द्वार के भीतर या पर, या उसके आसपास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मतदान केन्द्र पर मत के लिए जा रहे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए या मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिए शोर नहीं मचाएगा या अन्यथा विच्छृंखल (व्यवधान) रीति में कार्रवाई नहीं करेगा ।

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों की उल्लंघना करता है या जानबूझकर उल्लंघन के लिए सहायता करता है या उकसाता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक हो सकता है दंडनीय होगा ।

यदि किसी मतदान केन्द्र के किसी पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर रहा है अथवा किया है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के निर्देश दे सकता है तथा उस पर पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी करेगा ।

कोई भी पुलिस अधिकारी उपरोक्त नियमों की उल्लंघना को रोकने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है तथा ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे उल्लंघन के लिए प्रयोग किए किसी यंत्र को कब्जे में ले सकता है ।

3. ***मतदान केन्द्र पर दुराचार के लिए दण्ड***– *हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 182 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र पर, मत के लिए नियुक्त घंटों के दौरान स्वयं दुराचार करता है अथवा पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों की पालन करने में असफल रहता है, तो पीठासीन अधिकारी*

द्वारा या ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे मतदान केन्द्र से हटाया जा सकता है ।

उपरोक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किसी मतदाता को जो उस मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र पर मतदान का कोई अवसर प्राप्त करने से रोकने के लिये नहीं किया जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार मतदान केन्द्र से हटाया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह दोषसिद्ध पर, जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।

4. ***मतदान को गुप्त बनाये रखना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 183 के अन्तर्गत जहां कोई निर्वाचन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो मतों को अभिलिखित करने या गिनने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा तथा बनाये रखने में सहायता करेगा तथा (किसी विधि द्वारा या के अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी गोपनीयता का उल्लघंन करने के लिये संगणित कोई सूचना किसी व्यक्ति को सूचित नहीं करेगा।*

अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है या पांच सौ रूपये के जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

5. ***निर्वाचन पर अधिकारी इत्यादि का उम्मीदवारों के लिये कार्य न करना या मतदान को प्रभावित न करना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 184 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिये रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या कर्मचारी है, निर्वाचन के संचालन में किसी उम्मीदवार के निर्वाचनों को संभाव्यता को अग्रसर करने के लिये कोई भी कृत्य (अपना मत देने से भिन्न) नहीं करेगा ।*

यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई व्यक्ति, तथा किसी भी पुलिस बल की कोई संख्या निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा–

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रेरित करने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर अपना मत देने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने का, अथवा

किसी निर्वाचन पर किसी भी रीति में, मतदान या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का ।

अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या एक हजार रूपये कें जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

6. ***निर्वाचन से सम्बन्ध में सरकारी कार्य का उल्लंघन****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 185 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, उसके किसी युक्तियुक्त कारण बिना अपने सरकारी कर्तव्यों के उल्लंघन में, या किसी कार्य या लोप का दोषी है, तो वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा ।*

ऐसे व्यक्ति जिनको यह धारा लागू होती है, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा कोई अन्य व्यक्ति हो, जो मतदान सूचि के रखरखाव, नामांकनों की प्राप्ति या उम्मीदवारी वापिस लेने या अभिलेखन या किसी निर्वाचन में मतो की संगणना से सम्बन्ध किसी कर्तव्य के अनुपालन के लिये नियुक्त किये गये हैं तथा "सरकारी कर्तव्य" पद का अर्थ इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार लगाया जायेगा, लेकिन इसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य शामिल नहीं है ।

7. ***मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होना****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 186 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में, किसी मतदान केन्द्र से बाहर कपट से कोई मतपत्र ले जाता है, या ले जाने का प्रयत्न करता है या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करने में सहायता करता है, या करने के लिये उकसाता है, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।*

यदि किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति उपरोक्तानुसार दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है या किया है, ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले, गिरफतार कर सकता है या पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये निर्देश दे सकता है तथा ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकता है ।

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी करवाई जानी आवश्यक हो तो तलाशी दूसरी महिला द्वारा शालीनता का सख्त ध्यान रखते हुये की जायेगी ।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तलाशी पर पाया गया कोई मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जायेगा अथवा जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, ऐसे अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा ।

8. ***अन्य अपराध और उसके लिये दण्ड/सजा*** *– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम, 1994 की धारा 187 के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी होगा, यदि वह किसी निर्वाचन पर–*

किसी नामांकन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा

किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई सूचि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करता है या नष्ट करता है, अथवा हटाता है, अथवा

किसी मतपत्र अथवा किसी मतपत्र पर सरकारी चिन्ह को कपटपूर्वक विरूपित करता है अथवा नष्ट करता है, अथवा

सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपत्र को किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, अथवा

किसी मतपत्र से भिन्न किसी वस्तु को कपटपूर्वक किसी मतपेटी में डालता है जो उसमें डाला जाना विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, अथवा

सम्यक् प्राधिकार के बिना निर्वाचन के प्रयोजन के लिये तब उपयोग में किसी मतपेटी अथवा मतपत्र को नष्ट करता है, लेता है, खोलता है, अथवा अन्यथा दखल देता है, और

(छ) *कपटपूर्वक अथवा प्राधिकार के बिना, जैसी भी स्थिति हो, किसी पूर्वगामी कार्यो को करने का यत्न करता है अथवा ऐसे कार्यो को करने में जानबूझकर सहायता करता है अथवा दुष्प्रेरित करता है या तथा*

(ज) *नामांकन भरते समय, यथास्थिति, मिथ्या घोषणा करता है या शपथ–पत्र में मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करता है या कोई सूचना छुपाता है।*

धारा 187 के अधीन किसी अपराध का दोषी कोई व्यक्ति –

यदि वह किसी मतदान केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी अथवा कोई पीठासीन अधिकारी है अथवा निर्वाचन के सम्बन्ध में सरकारी डॅयूटी पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी है, दोषसिद्धि पर

किसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकती है अथवा एक हजार रूपये के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है, दोषसिद्ध पर किसी अवधि के लिये कारावास से जो छः मास तक हो सकती है अथवा पांच सौ रूपये जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डनीय होगा ।

इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर समझा जायेगा यदि उसकी ड्यूटी किसी निर्वाचन अथवा निर्वाचन के किसी भाग के संचालन में, भाग लेने के लिये है, जिसमें ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग किये गये मतपत्रो अथवा अन्य दस्तावेजो के लिये मतगणना अथवा निर्वाचन के बाद उतरदायी होना शामिल है, किन्तु "सरकारी ड्यूटी" अभिव्यक्ति में इस अधिनियिम द्वारा अथवा के अधीन लगाई गई कोई ड्यूटी शामिल नहीं है ।

उपरोक्त के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

9. ***किन्ही अपराधों का अभियोजन****– हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के अधिनियम 188 के अन्तर्गत कोई न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग से किसी आदेश द्वारा अथवा प्राधिकार के अधीन की गई किसी शिकायत पर सिवाय धारा 184 के अधीन अथवा धारा 185 के अधीन अथवा धारा 187 की उप–धारा 2 के खण्ड ख के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।*

उपरोक्त वर्णित धारा 188 के तहत प्रदत शक्तियों के आधार पर आयोग द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी अधिसूचना कमांक एस0ई0सी0/3ई–।।/2010/737 दिनांक 23.03.2010 के तहत सभी उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय

समय पर निर्वाचन से सम्बन्धित

कुछ महत्वपूर्ण आदेश, अधिसूचना, परिपत्र

व अन्य दस्तावेजों का संकलन ।

STATE ELECTION COMMISION HARYANA
S.C.O. NO. 16-17, SECTOR 20-D,
CHANDIGARH.

NO. SEC/E-III/97/7756-72 Dated: 23.5.97

To

All the Deputy Commissioners-cum
District Election Officers (Panchayat)
in the State of Haryana.

Subject: Panchayat Election-Submission of information in respect of nomination forms etc.

Sir/Madam,

I am directed to address you on the subject noted above and to say that in order to ensure free and fair election to the office of Panches/Sarpanches/Member Panchayat Samiti and Zila Parishad, the State Election Commission Haryana hereby prescribe the following Forms: -

(i) Notice of nominations (Annexure-I)
(ii) Submission of daily information in respect of candidates who present their nominations (Annexure-II).
(iii) Wardwise information of all the nomination papers received (Annexure-III)
(iv) List of Candidates whose nomination papers rejected (Annexure-IV)
(v) List of validly nominated candidates (Annexure-V) and
(vi) Notice of withdrawal of candidature (Annexure-VI)

Forms 6,7,8 and 9 in respect of list contesting candidates for the election for the Panch/Sarpanch/Member Panchayat Samiti and Zila Parishad are also annexed at Annexure-VII, VIII, IX and X.

2. The State Election Commission further directs that the concerned Returning Officer (Panchayat) Assistant Returning Officer (Panchayat) shall prepare a notice of the nominations containing descriptions similar to those contained in the nomination papers in the above mentioned prescribed Form (Annexure-I) and cause to affix in some conspicuous places in his office and at the office of the concerned Gram Panchayat/Panchayat Samiti or Zila Parishad as the case may be each day on which the nomination papers are presented. Similar information shall be tabulated in the Forms annexed at Annexure II and III and paste the same at some conspicuous places, at his office and at the office of the Gram Panchayats/Panchayat Samitis or Zila Parishad as the case may be.

3. The State Election Comission further directs that the list of Candidates whose nomination papers rejected (Annexure-IV) and the list of validly nominated candidates (Annexure-V) shall be prepared by the concerned Returning Officers (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) and pasted at some conspicuous places at the notice board of his office as well as in the concerned Gram Panchayat/Panchayat Samiti or Zila Parishad as the case may be.

4. The State Election Commission further directs that the concerned Returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officers (Panchayat) prepare a notice or withdrawal of candidature (Annexure-VI) and cause to affix at some conspicuous places, at his office and at the office of the concerned Gram Panchayat/Panchayat Samiti or Zila Parishad as the case may be.

5. The Commission further directs the Returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) to prepare a list of contesting candidates in Form VI, VII VIII or IX as applicable (Annexure-VII to X) and affix the same at some conspicuous places, at the notice board of his office as well as at the office of the concerned Gram Panchayat/Panchayat Samiti or Zila Parishad as the case may be.

6. The State Election Commission further directs that the concerned Returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) shall submit information in respect of notice of nomination, submission of daily information in respect of candidates who presented their nominations and wardwise information of all the nomination papers received, in the Forms (Annexure-I,II and III) to the State Election Commission daily after the close of time of receipt of nominations directly by post as well as submit one copy through the concerned Deputy Commissioner-cum-District Election Officers (Panchayat). The information in respect of nomination rejected/validly nominated and the withdrawal of candidature and list of contesting candidates in the Forms (Annexure IV, V,VI and VII to X) shall be submitted by the concerned Returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) to the State Election Commission immediately after the expiry of the time for the purpose directly through fax and also submit a copy of the same through Deputy Commissioner-cum-District Election Officer (Panchayat). The returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) are further directed that while communicating the information in the Forms (Annexure –I to X) to the State Election Commission it may further be ensured that there is no clerical mistake in the entries made therein.

7. The State Election Commission further directs that the Returning Officer (Panchayat)/Assistant Returning Officer (Panchayat) shall follow the above mentioned directions strictly.

8. The receipt of this letter may kindly be acknowledged immediately.

परिशिष्ट–I

नामांकन की सूचना
(नियम 29 देखिये)

**सभा क्षेत्र /पंचायत समिति क्षेत्र /जिला परिषद क्षेत्र के वार्ड कमांक ––––––से पंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद तथा सरपंच का निर्वाचन ।*

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर वर्णित निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नामांकन पत्र आज 4.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुये है :–

नामांकन पत्र का कमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*उम्मीदवार की आयु*	*पता*
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का यदि हो तो जाति का विवरण	*उम्मीदवार का मतदाता सूचि कमांक*	*जमा कराई गई राशि का विवरणी*		
		यदि सरकारी खजाने में जमा कराई गई है तो सकोल न, तिथि तथा खजाने का नाम	*यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराई गई है तो निर्वाचन आयोग की पुस्तिका रसीद नम्बर तथा तिथि*	
6	7	8	9	

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

दिनांक: *सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)*

**जो विकल्प उचित न उसे काट दीजिये ।*

नोट :–

(1) *उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ण कमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जायें जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है ।*

(2) *विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये ।*

परिशिष्ट–II

**ग्राम पंचायत/सदस्य पंचायत समिति/जिला परिषद ————————नामांकन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दैनिक जानकारी ।*

दिनांक ————————————

वार्ड कमांक	*वार्ड का आरक्षण स्टेटस*		*उम्मीदवारों की संख्या जिनके नामांकन पत्र प्राप्त हुये*	
	अ.जा./पि.व./सामान्य	*मुक्त महिला*	*आज की संख्या*	*प्रगतिशील योग*
1	2	3	4	5

उम्मीदवारों द्वारा दर्शायी गई दलीय सम्बन्धता
राजनैतिक दलों से सम्बन्ध

बसपा	*भाजपा*	*भाकपा*	*भाकपा (मा.)*	*इंडियन नेशनल कांग्रेस*	*नेशनलिस्ट कांग्रेस*	*हजकां*	*इनलो*	*निर्दलीय*	*योग*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

स्थानः

दिनांक :

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/
सहायक रिटर्निंग अधिकारी(पंचायत)

**जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये ।*

नोटः–

(1) *कमांक 5 के स्तम्भ में उम्मीदवारों की शुद्ध संख्या दर्शायी जाये यदि उम्मीदवार ने एक से अधिक नामांकन पत्र भरे है तो गणना में केवल एक ही लिखा जाये आज की संख्या के अन्तर्गत यदि ऐसे उम्मीदवार का नाम पुनः सम्मिलित है जो पूर्व की तारीखों में भी नामांकन*

पत्र प्राप्त कर चुका है तो स्तम्भ 5 के अन्तर्गत प्रगतिशील योग में उसे पुनः सम्मिलित न किया जाये।

(2) *स्तम्भ कमांक 6 से 14 तक की जानकारी स्तम्भ कमांक 5 के आधार पर ही हो तथा इनका महायोग स्तम्भ 5 की संख्या होना चाहिये।*

(3) *आरक्षण स्टेटस के अन्तर्गत स्तम्भ 3 में मुक्त वार्ड से अभिप्राय ऐसे वार्ड से है जो महिलाओ के लिये आरक्षित नहीं है । यदि किसी मुक्त वार्ड से महिला अभ्यर्थी खड़ी हो तो भी वार्ड का स्टेटस मुक्त ही माना जायेगा, आरक्षित नहीं।*

(4) *उक्त विवरणी की एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये।*

परिशिष्ट– III

प्राप्त समस्त नामांकन पत्रों की वार्डवार विवरणी

**सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद के वार्ड कमांक ——————*

आरक्षण स्टेटस (1) *जाति/वर्ग* ——————

(2) *मुक्त/महिला* ——————

कमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार की जाति वर्ग का विवरणी (जैसे कि अ.जा. /पि.व./सामान्य*	*उम्मीदवार का पता*	*नामांकन पत्र में दर्शित राजनैतिक दल से सम्बन्धता (यदि सम्बन्ध न हो तो निर्दलीय लिखा जाये ।*
1	2	3	4	5

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

**जो विकल्प उचित न उसे काट दीजिये ।*

नोट :–

(1) *उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग कमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जाये जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है ।*

(2) *विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये।*

परिशिष्ट– IV

रद्द किये गये उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की सूचि

**ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र कमांक ——————————के पंच/सरपंच सदस्य के लिये निर्वाचन ।*

क0 सं0	*उम्मीदवार का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*जमा कराई गई राशि की विवरणी*	
				यदि सरकारी खजाने में जमा कराई गई है तो सकोल नम्बर तिथि तथा खजाने का नाम	*यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराई गई है तो निर्वाचन आयोग की पुस्तिका रसीद नम्बर तथा तिथि*
1	2	3	4	5	6

स्थानः
दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

**जो विकल्प उचित न उसे काट दीजिये ।*

नोट :–

(1) *उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग कमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जाये जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है ।*

(2) *विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये।*

परिशिष्ट– V

विधिमान्य नामांकन उम्मीदवारों की सूचि
(नियम 30 (7) देखिये)

*ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ———————— के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ——————————के पंच/सरपंच सदस्य के लिये निर्वाचन ।

क्र0 सं0	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	उम्मीदवार का पता	जमा कराई गई राशि की विवरणी	
				यदि सरकारी खजाने में जमा कराई गई है तो सकोल नम्बर तिथि तथा खजाने का नाम	यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराई गई है तो निर्वाचन आयोग की पुस्तिका रसीद नम्बर तथा तिथि
1	2	3	4	5	6

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

*जो विकल्प उचित न उसे काट दीजिये ।

नोट :–

(1) उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग क्रमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जाये जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है ।

(2) विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये।

परिशिष्ट– VI

नामांकन पत्र वापस लेने वाले उम्मीदवारों की सूचि

(*नियम* 31 (4) *देखिये*)

**ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ———————— के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र कमांक ————————के पंच/सरपंच सदस्य के लिये निर्वाचन ।*

क्र0 सं0	*उम्मीदवार का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*जमा कराई गई राशि की विवरणी*	
				यदि सरकारी खजाने में जमा कराई गई है तो सकोल नम्बर तिथि तथा खजाने का नाम	*यदि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) /सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कराई गई है तो निर्वाचन आयोग की पुस्तिका रसीद नम्बर तथा तिथि*
1	2	3	4	5	6

स्थानः

दिनांकः

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

**जो विकल्प उचित न उसे काट दीजिये ।*

नोट :–

(1) *उक्त विवरणी में उम्मीदवारों के नाम वर्ग कमानुसार और ठीक उसी तरह लिखे जाये जैसे कि नामांकन पत्र में अंकित है ।*

(2) *विवरणी तैयार होते ही उसकी एक प्रति रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सीधी तथा एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से भेजी जाये।*

प्ररूप–6
(*देखिये नियम* 32)
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि

ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन वार्ड संख्या से ————————————

क्र0स0	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार का पता*	*आबंटित किये गये चिन्ह*
1	*2*	*3*	*4*
इत्यादि			

स्थानः

दिनांकः *निर्वाचन अधिकारी* (*पंचायत*)

परिशिष्ट–VIII

प्ररूप–7
(देखिये नियम 32)
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

क्र0स0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
इत्यादि			

स्थानः

दिनांकः

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप–8
(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि

——————————————पंचायत समिति के वार्ड संख्या ———————से पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन

क्र0स0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
इत्यादि			

स्थानः

दिनांकः

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

परिशिष्ट–X

प्ररूप–9

(देखिये नियम 32)

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूचि

जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन वार्ड संख्या से ————————————————————————————————

क्र0स0	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार का पता	आबंटित किये गये चिन्ह
1	2	3	4
. इत्यादि			

स्थानः

दिनांकः

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप 4

(*नियम* 26)

नामांकन पत्र

सभा क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद् का नाम _____

*वार्ड संख्या (पंच तथा सदस्य की दशा में)*_____

उम्मीदवार का नाम _____

पिता अथवा पति का नाम _____

आयु _____

व्यवसाय _____

पता _____

जहां उम्मीदवार अनुसूचित जाति /पिछडे वर्ग का सदस्य है तो वह विशेष जाति जिससे सम्बन्धित है

_____

क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचन नामावली पर उम्मीदवार की संख्या ।

"***उम्मीदवार द्वारा घोषणा***

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं सरपंच/पंच /सदस्य, पंचायत समिति/सदस्य, जिला परिषद के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में स्वयं नामांकित हो गया हूँ /हो गई हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं नीचे अभिकथित तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में दी गई कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ/रखती हूँ।

कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो:

(*क*) *इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में :–*

(i) *जब तक उसको सिद्ध दोषी से पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 22), के अधीन किसी अपराध ; या*

(ii) *जब तक उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः माह के कारावास से दण्डित रहा हो ; या*

(*ख*) *किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित न्याय निर्णीत किया गया है ; अथवा*

(*ग*) *न्याय निर्णीत दिवालिया है और उन्मुक्ति प्राप्त न की हो ; अथवा*

(*घ*) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत, पंचायत*

समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाये जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किये गये सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से ऐसे हटाये जाने के मद्दे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओ से निर्मुकत न कर दिया गया हो ; अथवा

(ङ.) *इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया हो और अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो ; अथवा*

(च) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है ;*

(छ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किये गये किसी कार्य में स्वयं का या उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ;*

(ज) *किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिये गये धन के किसी संव्यवाहार में स्वयं का अथवा उसके भागीदार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अशं या हित है ; या*

(झ) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का उसके द्वारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबन्धों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाये गये नियमों के अनुसार उस पर तामील किये गये किसी नोटिस के पश्चात, तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है ;*

(ञ) *सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का सेवक है ; या*

(ट) *स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है; अथवा किसी विदेशी राज्य की सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा की किसी अभिस्वीकृति के अधीन है ; अथवा*

(ठ) *इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन अयोग्य है तथा अवधि, जिसके लिये वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है ; अथवा*

(ड) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पट्टे के लिये किसी अभिधृति का धारक, अभिधारी या पट्टाधारी है अथवा उसकी ओर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे या अभिधृति के किराये के बकाया है ; या*

(ढ) *निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से सम्बन्धित भूमि या अन्य अचल सम्पति का अप्राधिकृत कब्जा है अथवा रखता है ; या*

(ण) *सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुये, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रति वर्ष इक्कीस प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है ; अथवा*

(त) *ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप–प्रधान या सदस्य होते हुये, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित अथवा उसमें निहित अभिलेख तथा पंजिया तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विर्निदिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता ;*

(थ) *आलोपित ;*

(द) *इस सम्बन्ध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है;*

(ध) *नामांकन भरते समय मिथ्या जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है :*

परन्तु खण्ड (द) तथा (ध) के अधीन ऐसी निर्रहता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी

व्याख्या 1 :– *कोई भी व्यक्ति खण्ड छः के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिये केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति :–*

(क) *किसी सयुंक्त स्टाक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी विधि के अधीन किसी पंजीकृत सोसयटी में कोई अशं या हित रखता है, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसके द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जायेगा ; अथवा*

(ख) *किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाये ; अथवा*

(ग) *किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से लिये गये किसी ऋण में किसी डिबेन्चर का धारक है या अन्यथा सम्बन्ध है ; अथवा*

(घ) *एक विधि व्यवसायी के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर से व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है ; अथवा*

(ङ) *अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के वि क्रय या क्र म में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या कय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित रखता है; अथवा*

(च) *किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यदा–कदा किये जाने वाले विकय जिसमें वह नियमित रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय में जिसका मूल्य दोनों में से किसी भी दशा में किसी वर्ष में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, शेयर या हित रखता है।*

व्याख्या 2 *:– कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिये विहित दिन से पूर्व उपरोक्त खण्ड* (i) *में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जायेगा।*

तिथि _____ *उम्मीदवार के हस्ताक्षर*

..... *।}*

उम्मीदवार द्वारा घोषणा जो किसी अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग का सदस्य है

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं _____ *जाति का/की सदस्य हूं जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित की गई है ।*

तिथि :– *उम्मीदवार के हस्ताक्षर*

_____

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाना)

सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

कम संख्या _____ *यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय* _____ *में (तिथि तथा समय)* _____ *सपुर्द किया गया है ।*

तिथि :– _____ *रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर*

_____

जांच का प्रमाण पत्र

मैने उम्मीदवार की पात्रता की जांच कर ली है और यह पाया है कि वह निर्वाचन के लिये खड़ा होने के योग्य है और इसलिये मैं _____ नामांकन पत्र स्वीकार करता हूं _____मैने इस नामांकन पत्र की जांच की है और इसे निम्नलिखित कारणो से रद्द करता हूं ।

_____
_____
_____

तिथि

नामांकन पत्र की जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक _____है ।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

_____

प्ररूप 4–क
(देखिए नियम 26 (3) तथा 27)

कृप्या अपना पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो यहां चस्पा दें

.... (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के वार्ड संख्या ....ब्लाक ....जिला .... के निर्वाचन लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र सहित शपथ प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाएगा ।

भाग – क

मैं...........................**पुत्र/पुत्री/पत्नी..................................आयु...........................वर्ष, जो.. (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

(1) मैं...;...........................(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम..............................(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) में वार्ड नं0 .... के कम सं0..................पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं0.......................है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ....है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थितिः

कम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं			
2.	पति /पत्नी			
3.	आश्रित–1			
4.	आश्रित–2			
5.	आश्रित–3			

(5) मैं ऐसे किसी भी लम्बित मामला/मामले में जिसमें छः माह या इससे अधिक के कारावास या दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी किसी ऐसे अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें छः माह या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	*मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (संख्याएं) सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे*	
(ख)	*संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।*	
(ग)	*न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख*	
(घ)	*न्यायालय/न्यायालयों जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई*	
(ङ.)	*तारीख (तारीखें) जिनको आरोप/आरोपों विरचित किए गए थे*	
(च)	*क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय /न्यायालयों द्वारा रोकी गई है/हैं*	

(ii) *निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्व लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामले से भिन्न]:-*

(क)	*न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख*	
(ख)	*उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।*	
(ग)	*पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्व पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे*	

(6) *मुझे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का 11) की धारा 175 कि उप–धारा (1)के खंड (क) के उपखण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और छः मास या इससे अधिक के लिए कारावास या दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है ।*

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्वदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगाः

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्वदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया हैः

(क)	*उन मामलों के ब्यौरे सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्वदोष ठहराया गया है।*	
(ख)	*न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)*	
(ग)	*अधिरोपित दंड*	
(घ)	*क्या सिद्वदोष ठहराने के आदेश के विरूद्व कोई अपील फाईल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।*	

(7) *मैं स्वयं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल और अचल इत्यादि) के ब्यौरे नीचे देता हूंः*

अ. चल आस्तियों के ब्यौरेः

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों भी दी जानी है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में, कम सं0, रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए गए हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्व कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्व कंपनियों की दशा में खाते के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जैसा उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में नियत किया गया है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैंः–

कम सं0	*विवरण*	*स्वयं*	*पति/पत्नी*	*आश्रित–1*	*आश्रित–2*	*आश्रित–3*
(i)	*हाथ में नकदी*					
(ii)	*बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम*					
(iii)	*कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम*					
(iv)	*राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम*					
(v)	*किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा राशि*					
(vi)	*मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और राशि)*					
(vii)	*जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)*					
(viii)	*कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावे/हित का मूल्य*					
(ix)	*सकल कुल मूल्य*					

ख. अचल आस्तियों के ब्यौरेः–

टिप्पणः 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शित करते हुए संयुक्त स्वामित्व में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

कम सं0	*विवरण*	*स्वयं*	*पति या पत्नी*	*आश्रित–1*	*आश्रित–2*	*आश्रित–3*

(i)	*कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)*					
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नही)					
	स्वार्जित सम्पति की दशा में कय की तारीख					
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा मे)					
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	*गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)*					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नही)					
	स्वार्जित संपति की दशा में कय की तारीख					
	(कय की दशा मे) कय के समय भूमि की लागत					
	विकास, सनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	*वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)*					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नही)					
	स्वार्जित संपति की दशा में कय की तारीख					
	(कय की दशा मे) कय के समय भूमि की लागत					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	*आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)*					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नही)					
	स्वार्जित संपति की दशा में कय					

	की तारीख					
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	*अन्य (जैसे कि संपति में हित)*					
(vi)	*पूर्वोक्त* (i) *से* (v) *का कुल चालू बाजार मूल्य*					

(8) *मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ देयों के ब्यौरे यहां नीचे देता हूं:–*

(*टिप्पण. कृपया बैंक, संस्था, हस्ती या व्यष्टि के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष राशि के ब्यौरों का पृथक विवरण दें*)

कम सं0	*विवरण*	*स्वयं*	*पति या पत्नी*	*आश्रित–1*	*आश्रित–2*	*आश्रित–3*
(i)	*बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय*					
	बैंक या वित्तीय संस्था/संस्थाओं के नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति *उपरोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य वैयष्टिक, हस्ती को ऋण या देय*					
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	*सरकारी देयः* *सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को देय*					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को देय					
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को देय					
	आय–कर देय					
	धन कर देय					

	सेवा कर देय					
	नगरपालिका/संपति कर देय					
	विकय कर देय					
	कोई अन्य देय					
(iii)	*सभी सरकारी देयों का कुल योग*					
(iv)	*क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि इस प्रकार अंतवर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का उल्लेख करें।*					

(9) *वृति या उपजीविका के ब्यौरेः*

(*क*) *स्वयं*.....

(*ख*) *पति या पत्नी*.....

(10) *मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार हैः–*

.....

(*प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयकम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयकम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे*)

भाग–ख

(11) *भाग–क के* (1) *से* (10) *तक में दिए गए ब्यौरों का उद्वधरण*

1.	*अभ्यर्थी का नाम*	*श्री/श्रीमति/कु.*
2.	*डाक का पूरा पता*	
3.	*ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की संख्या, नाम व वार्ड संख्या*	
4.	*उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखे)*	
5.	(i) *लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें छः माह या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।* (ii) *लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है उपरोक्त मद* (i) *में उल्लिखित मामलों से भिन्न*	

6.	*कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्वदोष ठहराया गया हो और छः माह या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडित किया गया है।*					
7.		*...पैन*	*वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है*	*कुल दर्शित आय*		
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति/पत्नी					
	(ग) आश्रित					

8.	*आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे रूपए में*						
	विवरण		*स्वयं*	*पति या पत्नी*	*आश्रित–1*	*आश्रित–2*	*आश्रित–3*
क.	*चल आस्तियां (कुल मूल्य)*						
ख.	अचल *आस्तियां*						
	I.	*स्वार्जित अचल संपति की कय कीमत*					
	II	*कय के पश्चात अचल संपति की विकास/सर्न्निमाण लागत (यदि लागू हो)*					
	III.	*अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत*					
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) *(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)*					
9.		*दायित्व*					
	(i)	*सरकारी शोध्य*					
	(ii)	*बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)*					
10.	*ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है*						
	(i)	*सरकारी देय (कुल)*					

	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हताः— (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयकम, विद्यालय/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठयकम पूरा किया गया था, के पूर्ण रूप से उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें।)						

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं किः

(क) मेरे विरूद्व उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्व का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्वि का मामला या लंबित मामला नहीं हैः

(ख) मैं, मेरे पति /पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आरित या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है ।

आज के दिन ——————————को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1 शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तारीख वाले दिन 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2 पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के मामले में जो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायलय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले उपमंडल अधिकारी (नागरिक) / तहसीलदार /नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो) के सम्मुख शपथ पत्र पर प्रस्तुत की जायेगी ।

टिप्पणः 3 पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव लड रहे अभ्यर्थियों के मामले में सूचना सादे कागज पर तैयार कर देनी होगी ।

टिप्पणः4 सभी कालम भरे जाने चाहिए और कोई कालम खाली न छोडें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शुन्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 5 शपथपत्र/घोषणा टंकित या सुपाठयरूप तथा साफ साफ लिखित होना चाहिए।

प्रेषक

वार्ड संख्या _____ ग्राम पंचायत,

पंचायत समिति/जिला परिषद्

_____के लिये रिटर्निंग अधिकारी।

सेवा में

_____

(*उम्मीदवार का नाम*)

विषय :– *वार्ड _____से _____पद के लिये निर्वाचन ।*

आज दिनांक _____को आपसे प्राप्त नामांकन पत्र के सन्दर्भ में, आपका नाम, नामांकन रजिस्टर में कम संख्या _____पर दर्ज किया गया है। आपकी जमानत राशि आपको पृथकत जारी की गई रसीद संख्या _____दिनांक _____के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। नामांकन की संवीक्षा दिनांक _____को _____बजे _____ (स्थान) पर की जायेगी।

आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय लेखा रखना होगा तथा निर्वाचन प्रकिया के दौरान जब भी अपेक्षा की जाये, इसे निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन का परिणाम घोषित होने के पश्चात एक मास के अन्दर–अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा उपायुक्त–एवं–जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्रस्तुत करना होगा ।

रिटर्निंग अधिकारी

तारीख :

स्थान :

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) /
सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा,
एस.सी.ओ. नम्बर 16–17, सैक्टर 20–डी,
चण्डीगढ।

कमांकः एस.ई.सी./1ई–III/96/8922 दिनांक 9.7.1996

हरियाणा राज्य पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 16 तथा 17 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पूर्व प्रसारित अधिसूचना कमांक 434/एस.ई.सी./ई–III/94 दिनांक 24–11–94 की निरन्तरता में एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 2 में उल्लेखित पदों के निर्वाचन के लिये कालम 3 में उल्लिखित रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को उसके कर्तव्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिये कालम 4 में उल्लेखित अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) नियुक्त करने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपने जिले के कार्यक्षेत्र में प्राधिकृत करता है।

सारणी

क्रमांक	पद जिसे भरने के लिये निर्वाचन किया जा रहा है ।	रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का पद नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) का पदनाम
1	2	3	4
1.	सदस्य जिला परिषद	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)नियम 15(2) के अन्तर्गत	अतिरिक्त उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी (ना) सचिव, प्रादेशिक वाहन प्राधिकारी, कार्यकारी अधिकारी (हुडा), सामान्य प्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन, उप–आयुक्त आबकारी एवं काराधान, जिला खादय एवं आपूर्ति नियन्त्रक, उप–निदेशक (कृषि)
2.	सदस्य पंचायत समिति	उप–मण्डल अधिकारी (ना) सचिव (आर.टी.ए.) कार्यकारी अधिकारी (हुडा) सामान्य प्रबन्धक राज्य परिवहन, उप–आयुक्त काराधान एवं आपूर्ति नियन्त्रक,उप–निदेशक (पशुपालन), उप–निदेशक (कृषि)	तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रार, सरकारी समितियां, सहायक अभियन्ता(लोक निमार्ण विभाग) कृषि गन्ना विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी , जिला क्षेत्र अधिकारी
3.	सरपंच/पंच (चार से पांच गावों के लिये)	तहसीलदार, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहायक अभियन्ता(लोक निमार्ण विभाग) कृषि गन्ना विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी ।	नायब तहसीलदार, कानूनगो, आबकारी एवं काराधान निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ।

हरियाणा राज्य पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 18 में रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के किसी निर्देश में सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) यदि वह इस प्रकार रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है परन्तु सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) सरपंचों तथा पंचों के पदों के अभ्यर्थियों के नामांकनों की छानबीन करने के लिये सक्षम नहीं होगें। सरपंचों तथा पंचों के पदों के अभ्यर्थियों के नामांकनों की छानबीन के लिये केवल रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) (चार से पांच गांवों के लिये) ही सक्षम होगें ।

राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त आदेशों की उपायुक्तों द्वारा कठोरता से पालना की जाये ।

दिनांक 8 जुलाई, 1996
चण्डीगढ़

जे.के.दुग्गल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
S.C.O. NO. 16-17, SECTO 20-C,
CHANDIGARH.

No. SEC/E-III.//2005/17925-943 Dated: 14.03.2005

To

All the Deputy Commissioners-cum-
District Election Officers (Panchayat)
in the State of Haryana.

Subject: Printing of Ballot papers—Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads.

Sir/Madam,

The State Election Commission Haryana hereby directs that the ballot papers for an election to the Panchayati Raj Institutions in the State of Haryana shall be prepared and printed in Devnagri script and from the printing presses and its form and design shall be prescribed as under: -

(i) The ballot papers for each ward of Panches, Member of Panchayat Samiti, Member of Zila Parishad and for Sarpanches are to be printed by name of the contesting candidates, the name of Gram Panchayat, Block, Ward No. and name of Panchayat Samit and Zila Parishad as the case may be. Every ballot paper, shall have a counterfoil attached to it. The counterfoil shall contain the following:-

  (a) Space for stitching at the top centre of the counterfoil;

  (b) A black border of 1 em at the top of the counterfoil;

  (c) The particulars of the election i.e. the Name of Panchayat, Block and ward No., name of Panchayat Samiti and Zila Parishad as the case may be, shall be printed immediately below item(b) above in the following manner;

  (d) “Serial No. of Elector,” and “Serial Number of ballot paper” one below the other on the left hand side;

  (e) Place for signature or thumb impression of elector just above the words “Signature or thumb impression” on the right hand side;

  (f) One Block of lines of 1 em with a disjointed straight line, below, separating the ballot paper from the counterfoil.

(ii) There shall be one block of lines of 1 em below the disjointed line on the ballot paper.

(iii) The front face of the ballot paper will contain the serial number of the ballot paper, the Name and particulars of election as described in para (i) (c) above, the names of the contesting candidates, and the symbols of the candidates. These particulars will be printed on the right hand side of the first shaded area.

(iv) Serial Number of the ballot paper shall be printed on the left hand side of the ballot paper either on the front which shall be printed in the first shaded areas.

(v) The width of the ballot paper will be 3 ¼ inches as may be considered convenient by the State Election Commissioner, for printing the ballot papers.

(vi) The names of the candidates will appear on the left side and their respective symbol on the right side in a panel.

(vii) The names of candidates will be printed on the ballot papers in Hindi in the same order in which they appear in the list of contesting candidates.

(viii) The width of the space allotted to each candidate shall be 7 ems and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates will be 3 ems. There will be a thick black border of 1 em width at the bottom.

(ix) The size of the each symbol will not be more than 9 ems x 6 ems.

(x) The Serial Number of the ballot papers will be in a separate series for each ward, each series commencing from No.000001.

(xi) Where the number of contesting candidates at an election exceeds 9, the ballot paper will be printed differently. The ballot paper in such a case shall be printed in two column and the width of ballot paper and its counterfoil shall be twice the width of ballot paper of a single column as specified in paragraphs(v) above. Along the middle, there shall be a shaded area from top to bottom of 2.5 ems width. The names of half the number of contesting candidates will appear in the alphabetical order, one below the other; on the left half of the ballot paper and the names of the remaining contesting candidates will appear in the alphabetical order on the other half. Where the number of contesting candidates is odd, the last penal on the right half of the ballot paper will be completely shaded.

(xii) The ballot papers will be stitched into convenient bundles with consecutive Serial Numbers. The Serial Number on each ballot paper and its counterfoil shall be identical.

(xiii) The quantity of ballot papers would be printed 2% extra as required by each ward of Panchayat Samiti and Zila Parishad and 5% extra in case of Panches and Sarpanches. The ballot papers should also be printed to the next 10^{th} round figure not for 100^{th} round figure

(xiv) The Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(Panchayat) to depute the responsible officers/officials to get ballot papers printed and their proof reading and checking and receiving after checking their serial number, names of the contesting candidates, symbols extra and should be kept under tight and safe custody till handed over to the concerned Presiding Officers . The MSS (Dummy Ballot paper) should be hand over to the concerned presses and the date of handing over and completion of the printing work may be intimated to the Commission.

(xv) All types of ballot papers i.e. for Panches, Sarpanches, Panchayat Samitis and Zila Parishads would be printed in Black , Blue, Yellow, Red ink on the Crème Wove paper respectively.

(BY ORDER AND IN THE NAME OF THE STATE ELECTION COMISSIONER)

Sd/-
Superintendent/E-III,
for State Election Commissioner,
Haryana.

LIST OF ELECTION MATERIAL TO BE DISTRIBUTED FOR GENERAL ELECTIONS TO PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

SR.NO.	NAME OF ITEMS **FORMS/ITEMS**
1.	*पीठासीन अधिकारी की डायरी*
2.	*प्ररूप–2 निर्वाचन का नोटिस (पंच)*
3.	*प्ररूप–3 निर्वाचन का नोटिस (सरपंच)*
4.	*प्ररूप–4 नामांकन पत्र*
5.	*प्ररूप–4 क नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ/घोषणा पत्र*
6.	*प्ररूप–5 उम्मीदवार की वापिसी का नोटिस*
7.	*प्ररूप–6 चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूचि (पंच)*
8.	*प्ररूप–7 चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूचि (सरपंच)*
9.	*प्ररूप–8 चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूचि (पंचायत सूचि)*
10.	*प्ररूप–9 चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूचि (जिला परिषद्)*
11.	*प्ररूप–10 निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का पारूप*
12.	*प्ररूप–11 आक्षेप किये गये मतों की सूचि*
13.	*प्ररूप–12 निविदत्त मतों की सूचि*
14.	*प्ररूप–13 मतपत्रों का लेखा*
15.	*प्ररूप–14 पंच के निर्वाचन के लिये परिणाम पत्र*
16.	*प्ररूप–15 ग्राम सरपंच के लिये मतों की गणना*
17.	*प्ररूप–16 पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन में मतों की गणना का परिणाम*
18.	*प्ररूप–17 जिला परिषद के मतों की गिनती का परिणाम*
19.	*प्ररूप–18 ग्राम पंचायत के पंच की निर्वाचन विवरणी का प्ररूप*
20.	*प्ररूप–19 सरपंच के निर्वाचन की विवरणी का प्ररूप*
21.	*प्ररूप–20 पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन का प्ररूप*
22.	*प्ररूप–21 जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन का प्ररूप*
23.	*निर्वाचन प्रमाण पत्र*
24.	*प्ररूप–22 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति*
25.	*प्ररूप–23 गणन अभिकर्ता की नियुक्ति*
26.	*प्ररूप–24 निर्वाचन ड्युटी प्रमाण –पत्र के लिए आवेदन*
27.	*प्ररूप–25 रिटर्निंग अधिकारी को सूचना–पत्र*
28.	*प्ररूप–26 चुनाव ड्यूटी प्रमाण–पत्र*
29.	*प्ररूप–27 मतदाता द्वारा डाक मतपत्र के प्रयोग के लिए घोषणा*
30.	*प्ररूप–28 लिफाफा–'क'*

31.	*प्ररूप–29 बड़ा लिफाफा –'ख'*
32.	*प्ररूप–30 डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें*
33.	Expenditure Register (Annexure-I)
34.	Expenditure Form (Annexure-II)
35.	Form of Affidavit(Annexure-III)
36.	*ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों लिये शपथ पत्र*
37.	Specimen Symbol of Political Parties.
38.	Specimen free symbol of Zila Parishad.
39.	Specimen free symbol of Panchayat Samiti.
40.	Specimen free symbol of Sarpanch
41.	Specimen free symbol of Panch.
42.	*आदर्श आचार संहिता*
43.	*वोटरों को वोट पर्चियों पर निशान लगाने के लिये हिदायतें।*
44.	Polling Station Name Number
45.	Notice Specifying Polling Area (Notice)
46.	Pass for Polling Agents
47.	*मतपेटी के लिये लेबल*
48.	*पोलिंग थैले/किट बैग के लिये लेबल*
49.	*नामांकन की सूचना*
50.	*नामांकन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की दैनिक जानकारी*
51.	*प्राप्त नामांकन पत्रों की वार्डवार विवरणी*
52.	*रदद किये गये उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की सूचि*
53.	*विधिमान्य नामांकन उम्मीदवारों की सूचि*
54.	*नामांकन पत्र वापिस लेने वाले उम्मीदवारों की सूचि*

BOOKLETS

55.	*अभ्यर्थियों के लिये मार्गदर्शिका*
56.	*पीठासीन अधिकारियों के लिये मार्गदर्शिका*
57.	*हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों का संलकन (रिटरनिंग अधिकारियों के लिये)*
58.	Receipt book for deposit of security amount
59.	*आक्षेप किये गये मतों के लिये जमा की गई राशि की रसीद बुक*

ENVELOPES

60.	*मतदाता सूचियों की अंकित प्रति के लिये*
61.	*अप्रयुक्त मतपत्र (अधिष्ठाता द्वारा हस्ताक्षारित)*
62.	*मतपत्र की काउटर फाईल*
63.	*अप्रयुक्त मतपत्र*
64.	*वापिस किये गये तथा रदद मतपत्र*
65.	*प्रयुक्त टैण्डर्ड मतपत्र और टैण्डर्ज मतपत्रों की सूचि*
66.	*मतदान किया विधि का उल्लघंन करने पर मतपत्र*
67.	*मतपत्रों का लेखा*
68.	*कोई अन्य दस्तावेज जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोहरबन्द पैकेट में रखने के निर्देश*
69.	*मतदाता सूचि की कार्यकर प्रतियां अंकित प्रति के अतिरिक्त)*
70.	Cover for Presiding Officer Diary.
71.	*पोलिंग एजेंटो के नियुक्ति पत्र*
72.	*प्राप्ति पुस्तकें*
73.	*मैटल सील, डिस्टींगविशिंग मार्क रबड स्टैम्पस तथा एरोकास रबड स्टैम्प*
74.	*वैधमतपत्रों का लेखा*
75.	*व्यवस्था से स्थापित*
76.	*मतपेटी के बाहर पाये गये मतपत्र*
77.	*अन्य लिफाफो के लिये*
78.	*आपतिजनक मतपत्रों की सूचि*
79.	*आशक्त अथवा अन्धे मतदाता के सहायक की घोषणा तथाउनकीसूचि*

STATIONERY

80.	Indelible Ink (In Phials of 5 CC each)
81.	Sealing Wax (One Packet of 10 Sticks)
82.	Gum Paste (In Bottles)
83.	Ink for Stamp Pad (In Phials)
84.	Ball Pen
85.	All-Pin
86.	Tags
87.	Typing Papers
88.	Carbon Paper
89.	Rubber Band.
90.	Cello Tape
91.	Needle
92.	Sutli
93.	Steel Sealing Wire
94.	Stamp Pad
95.	Blade
96.	Candle

97.	Match Box
98.	Thin Twine Thread.
99.	Duster/Cloth Piece
100.	KIT BAG
101.	Screen
102.	Metal Rule
103.	Steel Pushers
104.	Arrow Cross Rubber Stamp
105.	Metal Seal for Returning Officer.
106.	Metal Seal for Presiding Officer.
107.	Polling Station (Display Card)
108.	Layout of Polling Stations

bZ-oh-,e- ds fy;s iz;qDr gksus okys vfrfjDr pquko lkexzh dh lwfp

109.	Control Unit
110.	Battery/Power Pack
111.	Ballot Units
112.	Register of voters (Annexure-I appended with EVM Order, 2008.
113.	Voters Slip
114.	Ballot Papers (for tenders votes)
115.	Address Tags for Control Unit.
116.	Address Tags for Ballot Unit.
117.	Special Tag (From Sr.No. _____to _____)
118.	Strip Seals for EVMs (From Sr.No. _____to_____)
119.	Paper Seals for EVM (From Sr.No. _____to_____)
120.	Accounts of Votes recorded/report of Paper Seals used.(Annexure-II appended with EVM Order, 2008)
121.	Declaration by the Presiding Officer before the commencement of Poll and at the end of Poll (Part I to IV)
121.	Step by step operations during sealing of EVMs by the R.O.
122.	List of Polling Material
123.	For unused and spoiled paper seals.
124.	Cover for Register of Voters containing signature of votes.(Annexure-I appended with EVM Order, 2008)
125.	Cover for unused and damaged special tag
126.	Cover for unused and damaged strip seal.
127.	Cover for tendered votes
128.	Card Board Piece
129.	Hand Book EVM for Returning Officer.
130.	Hand Book EVM for Presiding Officer.

131.	EVM Anudesh Nirdeshika
132.	Performa for submission of the report to the SEC on the day of polling.
133.	Notice to Candidate or their Election Agents regarding the date, time and Place for counting.

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

क्रमांक : एस.ई.सी./III/94 *दिनांक : 17–10–1994*

प्रति

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
समस्त हरियाणा ।

विषय :– *पंचायत निर्वाचन में निर्वाचित उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रदाय ।*

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161(3) *सहपठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 14 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि उक्त नियमों के नियम 70 के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी को जिसे रिटर्निंग आफिसर पंचायत द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाये संलग्न प्रारूप में "निर्वाचन प्रमाण पत्र" प्रदाय किया जाये ।*

(2) *निर्वाचन प्रमाण पत्र आवश्यक संख्या में स्थानीय तौर पर मुद्रित या चकमुद्रित करा लिया जाये ।*

संलग्न : उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर
उप राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा।

निर्वाचन प्रमाण पत्र

*खण्ड ————————————की *ग्राम पंचायत ——————————से सरपंच/के वार्ड कमांक —————————से पंच/*पंचायत समिति/*जिला परिषद ——————————————————————————————— के निर्वाचन क्षेत्र कमांक ——————————————से सदस्य के लिये निर्वाचन।*

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री ———————————————पता ———————————————————————————————जो उपार्युक्त पद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी थे,/थी, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये /गई है ।

स्थानः ————————————————

दिनांकः *रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*

सील

**जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।*

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा
एस0सी0ओ0 नं0 16–17, सैक्टर 20 डी
चण्डीगढ़।

क्रमांक एस0ई0सी0/2ई–।।।/2005/20555–73 *दिनांक 28/3/2005*

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्त एंव
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

विषयः– *पंचायत आम चुनाव अप्रैल,2005–चुनाव परिणाम की घोषणा सम्बन्धित निर्देश।*

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह अनुरोध करूं कि आप कृप्या सभी रिटर्निंग अधिकारियों को यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के मतपत्रों की गिनती के उपरांत विजयी उम्मीदवार को मौके पर ही चुनाव जीतने का लिखित प्रमाण पत्र देंगे, साथ विजयी उम्मीदवार से इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की रसीद भी प्राप्त करेंगें तथा उस रसीद को रिकार्ड में शामिल करें। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद सभी उपस्थित उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर भी उस फार्म पर करवायें जिस पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी

पंचायत निर्वाचन
पीठासीन अधिकारी की डायरी
भाग–एक
मतदान

<u>पंच/सरपंच/पंचायत</u> समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में

1.	*खण्ड का नाम*	*:*
2.	*मतदान की तारीख*	*:*
3.	*मतदान केन्द्र का कमांक व नाम*	*:*
4.	*मतदान केन्द्र किस प्रकार के भवन में स्थित है।*	*शासकीय/अर्ध शासकीय/निजी /अस्थाई झोपडा :*
5.	*जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के आदेश के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता (यदि कोई हो) और नियुक्ति का कारण*	*नाम :* *पता :* *कारण :*
6.	*उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार*	*बड़ी :* *छोटी :*
7.	Voting Machine:	
	(i) Number of Control Units used	
	(ii) S.No.(s) of Control Units used	
	(iii) Number of balloting units used	
	(iv) S.No. of balloting units used	
8.	(i) Number of paper seals used	
	(ii) S. Nos. of paper seals used	
9.	(i) Number of special tags supplied	
	(ii) S.No.(s) of special tags supplied	
	(iii) Number of special tags used	
	(iv) S.No.(s) of special tags used	
	(v) S.No.s (s) of special tags returned as unused	
10.	(i) Number of Strip Seals supplied	
	(ii) S.No.(s) of Strip Seals supplied	
	(iii) Number of Strip Seals used	
	(iv) S.No.(s) of Strip Seals returned as unused	
11.	(i) Total No. of voters assigned to the polling station	
	(ii) Number of voters allowed to vote according to marked copy	

	of the electoral roll	
	(iii) Number of voters who actually voted as per the Register of Voters (Annexure-1) appended with EVM Order, 2008.	
	(iv) Number of votes recorded as per the voting machine	
12.	Number of voter's slips issued at the closing hour of the poll	
13.	Voters offences with details:	
	(a) Canvassing within one hundred metres of the polling station.	
	(b) Impersonation of voters	
	(c) Fraudulent defacing, destroying or removal of the list of notice or other document at the polling station	
	(d) Bribing of voters	
	(e) Intimidation of voters and other persons	
	(f) Booth capturing	
14.	Was the poll interrupted or obstructed by	
	(1) riot	
	(2) open violence	
	(3) natural calamity	
	(4) booth capturing	
	(5) failure of voting machine	
	(6) any other cause	
	Please give details of the above.	
15.	Was the poll vitiated by any voting machine used at the polling station having been	
	(a) unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer	
	(b) accidentally or intentionally lost or destroyed	
	(c) damaged or tampered with	
	Please give details	
16.	Serious complaints if any, made by the candidate/agents.	
17.	Number of cases of breach of law and order	

<table>
<tr><td>18.</td><td colspan="4">Report of mistakes and irregularities committed, if any, at the polling station</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>19.</td><td colspan="4">Whether the declarations have been made before the commencement of the poll and if necessary during the course of poll when a new voting machine is used and at the end of poll as necessary</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>20.</td><td colspan="6">मतदाता सूचि में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं के विवरण</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">मतदाता सूचि में दर्ज कुल मतदाता</td><td colspan="2">मतदाता जिन्होंने मतदान किया</td><td colspan="2">मतदान का प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">पुरूष
महिला
योग</td></tr>
<tr><td>21.</td><td colspan="6">मतदान के दौरान अभ्यर्थियो और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति</td></tr>
<tr><td></td><td>कमांक</td><td>पद जिसके लिए निर्वाचन हो रहा है</td><td>निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या</td><td colspan="3">उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं की संख्या</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">अभ्यर्थी / उनके निर्वाचन अभिकर्ता</td><td>मतदान अभिकर्ता</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">पंच
(केन्द्र के अन्तर्गत सभी वार्डो के लिए मिलकर)
सरपंचः
पंचायत समिति सदस्यः
जिला परिषद सदस्यः</td></tr>
<tr><td>22.</td><td colspan="4">अंधेपन अथवा शारिरीक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई ।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>23.</td><td colspan="4">अभ्याक्षेपित (चैलैजेड) मतों की संख्या, जबत की धनराशि</td><td colspan="2">रू</td></tr>
<tr><td>24.</td><td colspan="4">निविदित (टैन्टर्ड) मतों की कुल संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>25.</td><td colspan="4">यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि (विस्तृत टीप पृथ्क से संलग्न करें)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>26.</td><td colspan="4">जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही–सही समय</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>27.</td><td colspan="4">पुलिस को सौंपे गये प्रकरणों की संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>28.</td><td colspan="4">अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

दिनांकः

हस्ताक्षर (पीठासीन अधिकारी)

भाग–दो

गणना
(पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य
के सम्बन्ध में मतगणना)

1. मतगणना प्रारम्भ करने का समय ——————————————

2. मतगणना में उपस्थिति 1. अभ्यर्थी 2. निर्वाचन अभिकर्ता 3.गणना अभिकर्ता
संख्या लिखें । ————— ————————— ————————

3. यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी हो तो ऐसे स्थगन की अवधि एवं कारण :
अवधि————————बजे से ———————बजे तक
कारण
——
——

4. मतगणना समाप्त होने का समय ————————————————————————————————————

5. अन्य महत्वपूर्ण घटना (यदि कोई घटी हो तो) ———————————————————————————
——
——

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर (पीठासीन अधिकारी एवं मतगणना के लिये
रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)

(A&T No. 323 S.T.R. 3)	Provincial
No. _____20	No. _____20
Received from _____	Received from _____
with letter No. _____dated _____20	with letter No. _____dated _____20
the sum of Rupees _____	the sum of Rupees _____
in Cash/by Cheque account of _____	in Cash/by Cheque account of _____
in _____payment of _____	in _____payment of _____
Rs. _____Accountant Signature ____	Rs. _____Accountant Signature _____
_____Treasury Designation _____	_____Treasury Designation _____

प्ररूप–5

{देखिये नियम 31 का उपनियम (1)}
उम्मीदवार की वापसी का नोटिस

––––––––––––––––––के लिये निर्वाचन

––

जिला परिषद् ––––––––––––––––––––––––––की वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––––

पंचायत समिति ––––––––––––––––––––––––––की वार्ड संख्या ––––––––––––––––––––––

ग्राम पंचायत –– का

सरपंच ग्राम पंचायत ––– की

वार्ड संख्या

निर्वाचन अधिकारी

––––––––––––

मैं ––––––––––––पिता/पति का नाम ––––––––––––––––उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित रूप से उम्मीदवार इसके द्वारा नोटिस देता हूं कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापिस लेता हूं ।

स्थानः *–––––––––––––––––*

विधिमान्य रूप से नामांकित
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तिथि

यह नोटिस मेरे कार्यालय में –––––––––––––––––––––––(बजे)–––––––––––––––––– (दिनांक) ––––––––––––––द्वारा (नाम)उम्मीदार/उम्मीदवारों से अभिकर्ताओं द्वारा मुझे सुपुर्द किया गया था।

तिथिः............................ *––––––––––––––––––*

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जो लागू न हो उसे काट दें ।

–––

वापसी के नोटिस की रसीद

(नोटिस सुपुर्द करने वाले व्यक्ति को दिया जाना)

उम्मीदवार की वापसी का नोटिस ——————————————के निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मेरे कार्यालय में ——————————(बजे) ——————————————दिनांक को सुपुर्द किया गया था ।

तिथिः *निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)*

नामांकन पत्र वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ग्राम पंचायत /पंचायत समिति/जिला परिषद ——————————————

के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र कमांक ——————————के पंच/सरपंच/सदस्य के लिये निर्वाचन

क्रम संख्या	*अभ्यर्थी का नाम*	*पिता/पति का नाम*	*अभ्यर्थी का पता*
1	*2*	*3*	*4*

स्थानः
दिनांकः *रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)*
सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

प्ररूप–10

{देखिये नियम 35 के उप–नियम (1)}
निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप

मैं, _____ निर्वाचन के लिये उम्मीदवार वार्ड संख्या _____से पंच _____ग्राम पंचायत _____सरपंच, ग्राम पंचायत _____वार्ड संख्या _____से पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति का _____वार्ड संख्या ____ से जिला परिषद् का सदस्य रखा जायेगा _____इसके द्वारा नियुक्ति _____

श्रीमान_____

अभिकर्ता का नाम

स्थान _____ *_____*

दिनांक _____ *_____*

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं उपरोक्त नियुक्ति से स्वीकार करता हूं ।

स्थान _____ *_____*

दिनांक _____ *_____*

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुमोदित

स्थान _____

_____

दिनांक _____

_____

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

प्ररूप–11

(*देखिये नियम* 48)
आक्षेप किये गये मतों की सूची

निर्वाचन के दौरान चुनौती किये गये मतों का विवरण ———————

ग्राम पंचायत का पंच ——————————वार्ड संख्या ——————————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ——————————————————————————————————

वार्ड संख्या ——————————————————————से पंचायत समिति के सदस्य वार्ड संख्या ——————————————————से जिला परिषद का सदस्य मतदान केन्द्र संख्या ——————————स्थान ——————————————————————.

क्र0सं0	*मतदाता का नाम*	*मतदाता की सूची में क्र0स0*	*ग्राम का नाम जिससे मतदाताओं की सूची सम्बन्धित है*	*चुनौती देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
आक्षेप किये गये व्यक्ति का पता	*पहचानने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो*	*आक्षेपकर्ता का नाम*	*पीठासीन अधिकारी का आदेश*	*निक्षेप की प्राप्त हुई वापसी पर चुनौती व्यक्तियों के हस्ताक्षर*
6	*7*	*8*	*9*	*10*

स्थान :

दिनांकः

जो लागू न हो उसे काट दिया जाये ।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप–12

(देखिये नियम 53)
निविदत मतों की सूची

निर्वाचन

ग्राम पंचायत का पंच ——————————————————————वार्ड संख्या ——————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ——

पंचायत समिति का वार्ड संख्या ——————————————————से पंचायत ——————————————————

समिति का सदस्य ——

जिला परिषद का सदस्य ——————————————————————वार्ड संख्या ——————————————————

मतदान केन्द्र संख्या ——————————————————————स्थान ——————————————————————

क्र0 सं0	मतदाता का नाम	मतदाता की सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाताओं की सूची सम्बन्धित है।	निविदत मतपत्रों की संख्या	व्यक्ति को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या जो पहले ही वोट डाल चुके हों ।	मतदाता के हस्ताक्षर तथा अंगूठे के निशान
1	2	3	4	5	6	7

स्थान : पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्ररूप–13
(देखिये नियम 56)
मतपत्र लेखा

चुनाव ———————————————————————————————————

ग्राम पंचायत ————————————————————————————————का

पंच वार्ड संख्या ————————————————————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————————

वार्ड संख्या ——————————————————————————से पंचायत समिति का सदस्य

वार्ड संख्या ——————————————————————————से जिला परिषद का सदस्य

मतदान केन्द्र संख्या ————————————————————————————————

		क्रम संख्या (1)	कुल संख्या (2)
1.	मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये मतपत्रों की संख्या		
2.	मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की संख्या		
3.	वापस किये गये अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या		
4.	रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या		
5.	उपयोग में लाये गये निविदत मतपत्रों की संख्या		
6.	मतपेटी में मतपत्रों की संख्या		

स्थानः

दिनांकः पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–14
{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2) }
पंच के निर्वाचन के लिये परिणाम पत्र

——————————————ग्राम पंचायत ————————————————वार्ड संख्या से

मतदान केन्द संख्या ———————————————— स्थान ——————————————

क्र0 संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या
1	2	3

(क) वैध मतों की क्रम संख्या : ————————————————————————

(ख) रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————

स्थान :

दिनांकः

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /निर्वाचन
अधिकारी (पंचायत)

प्रारूप–15

{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2)}

ग्राम के सरपंच के लिये मतों की गणना ————————

भाग–1

मतदान केन्द्र संख्या : ————————————————————————————————

शामिल किये गये वार्डों की क्रम संख्या : ——————————————————————————

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————

स्थान :

दिनांकः

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये मत			कुल
		मतदान केन्द्र संख्या–1	मतदान केन्द्र संख्या–2	मतदान केन्द्र संख्या–3	
1	2	3	4	5	6

गांव में वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

गांव में रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————

गांव में डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————

स्थान :

दिनांकः

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप–16

{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2) }

पंचायत समिति के वार्ड संख्या ———————————के सदस्य के निर्वाचन में मतों की गणना का परिणाम ——————————————————————

भाग–1

मतदान केन्द्र संख्या : ——————————————————————————————————————

मतदान केन्द्र में शामिल किये गये वार्डों की क्रम संख्या : ——————————————————————

क्रमांक	*उम्मीदवार का नाम*	*उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या*
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————

स्थान :

दिनांकः ————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये वैध मत मतदान केन्द्र संख्या	मतों की कुल संख्या
		1. 2. 3. 4. 5.	
1	2	3	4

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————

स्थान :

दिनांकः

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप–17
{देखिये नियम 66 का उप–नियम (2) }

जिला परिषद वार्ड संख्या ——————————————————————————के मतों की गणना का परिणाम ——————————————————————————————

भाग–1

मतदान केन्द्र संख्या : ——

शामिल किये गये वार्डों की क्रम संख्या : ——————————————————————————————————————

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————————————

मतदान केन्द्र में डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

————————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–II

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	पंचायत समिति के विभिन्न केन्द्रों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये वैध मत	वैध मतों की कुल संख्या
1	2	3	4

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

रद्द किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

पचांयत समिति के क्षेत्र में डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————

स्थान :

दिनांकः ——————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

भाग–III

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	भिन्न भिन्न पंचायत समिति में स्थित किये गये मतदान केन्द्रों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गए मतों की संख्या			वैध मतों की कुल संख्या
		पंचायत समिति	पंचायत समिति	पंचायत समिति	
1	2	3	4	5	6

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

रदद् किये गये मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————

जिला परिषद के सम्बद्ध वार्ड में डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————

स्थान :

दिनांकः ——————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

प्ररूप–18
{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड क}

ग्राम पंचायत ——————————————————के पंच के निर्वाचन की विवरणी का प्ररूप वार्ड संख्या ———————————————से पंच के लिये निर्वाचन

क्र0 संख्या	उम्मीदवार का नाम	उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ———————————————————————————————————————

(नाम)——

——

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

——————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी /रिटर्निंग
अधिकारी (पंचायत)

20............................के दिन...........................दिनांक

प्ररूप–19

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड क}

सरपंच के निर्वाचन के लिये विवरणी का प्ररूप

ग्राम पंचायत ————————————

सरपंच के निर्वाचन के लिये ————————

क्रम संख्या	*उम्मीदवार का नाम*	*मतदान केन्द्र में उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या* *1. 2. 3. 4. 5.*	*वैध मतों की कुल संख्या*
1	2	3	4
1.			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ————————————————————————————————

(नाम)——

पता——

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

20.....के दिन.....दिनांक.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

————————————

निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप–20

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड ग}

पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन के लिये विवरणी का प्ररूप

पंचायत समिति के ————————————

वार्ड संख्या सें पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन

क्रम संख्या	*उम्मीदवार का नाम*	*मतदान केन्द्र संख्या में उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या* *1. 2. 3. 4. 5.*	*कुल वैध मतों की संख्या*
1	2	3	4

वैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ————————————————————————————————

(नाम)——

पता——

सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है ।

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

20.....के दिन.....दिनांक

प्ररूप–21

{देखिये नियम 70 के उप–नियम (1) का खण्ड घ}

जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिये विवरण का प्ररूप

——————————————वार्ड संख्या से जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या
1	2	3

वैध मतों की कुल संख्या : ——————————————————————————————

अवैध मतों की कुल संख्या : —————————————————————————————

डाले गये मतों की कुल संख्या : ————————————————————————————

मैं घोषणा करता हूं कि ———————————————————————————————

(नाम)————————————————————————————————————

पता—————————————————————————————————————

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गया है ।

————————————

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

20...............................के दिन............................दिनांक

प्ररूप–22
{देखिये नियम 35–क का उप–नियम (1)}
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*–––––––––––––––––––ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या –––––––––––––––से पंच/*सरपंच, ग्राम पंचायत ––––––––––––––––––––––*वार्ड संख्या –––––से ––––––––––––––––––पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या –––––––––––––––से –––––––––––––जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।

मैं ––––––––––––––––उम्मीदवार –––––––––––––––––––––––जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा ––––––––––––––––––––––––––––––––––(नाम तथा पता) को ––––––––––––––––– पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या –––––––––––––––––पर हाजिर होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ––––––––––––––––––––––––––––

तिथि : <u>उम्मीदवार/निर्वाचन</u> अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं ।

स्थानः ––––––––––––––––––––––

दिनांकः मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी के समक्ष मतदान अभिकर्ता की घोषणा का हस्ताक्षरित किया जाना

मैं इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि मैं उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्व कोई भी कार्य नहीं करूंगा।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया । –––––––––––––––––––––

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः

–––––––––––––––––––––

दिनांक पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप–23
{देखिये नियम 35–ख का उप–नियम (1)}
गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*वार्ड संख्या ——————————————से ——————————ग्राम पंचायत से पंच ——————————————*सरपंच, ग्राम पंचायत ——————————————*वार्ड संख्या —————से —————पंचायत समिति के सदस्य *वार्ड संख्या ————————से ————————जिला परिषद के सदस्य का निर्वाचन ।

मैं ——————————जो उपर्युक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हूं, ———————— का, जो उपर्युक्त उम्मीदवार है/निर्वाचन अभिकर्ता हूं इसके द्वारा ————————————————(नाम तथा पता) को ——————————————पर स्थित मतदान केन्द्र संख्या —————पर हाजिर रहने के लिये गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थानः ——————————————————

तिथिः उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं /हम गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं।हैं

स्थानः

——————————————————

दिनांकः गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा

मैं /हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं /करते हैं कि मै/हम उपरोक्त निर्वाचन में अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्व कोई भी कार्य नहीं करूंगा।/करेंगे।

मेरे सामने हस्ताक्षारित किया गया ।

——————————————————

गणन अभिकर्ता /अभिकर्ताओ के हस्ताक्षर

स्थानः

तिथि

——————————————————

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

गणन पर्ची

(पंच/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन)

मतदान केन्द्र कमांक :—

वार्ड कमांक ———————————————— (केवल पंच के लिये)

ग्राम पंचायत ———————————————— (केवल पंच और सरपंच के लिये)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक —— (केवल सदस्य पंचायत समिति /जिला परिषद के लिये)

अभ्यर्थी का नाम

प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या

दिनांक

पीठासीन अधिकारी एवं मतगणना
के लिये प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप–24
(देखिए नियम 53क)

निर्वाचन डयूटी प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन

चुनाव

पंच, ग्राम पंचायत —————————————— वार्ड संख्या ——————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ——————————————————————————

सदस्य पंचायत समिति ——————————— वार्ड संख्या ———————————

सदस्य जिला परिषद ——————————— वार्ड संख्या ———————————

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत),

वार्ड संख्या————————————————————

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ——————————

श्रीमान् जी,

मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड की मतदाता सूची की भाग संख्या......................पर दर्ज है ।

मैं वार्ड संख्या.......................के मतदान केन्द्र संख्या......................मतदान केन्द्र का नाम...................... ....पर निर्वाचन डयूटी पर तैनात हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे प्ररूप 26 में निर्वाचन डयूटी प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र जहां पर मैं मतदान के दिन डयूटी पर रहूंगा, में मतदान हेतु मुझे समर्थ बनाने के लिए जारी किया जाए। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाएं:–

....

....

....

भवदीय

दिनांकः..................................

(आवेदक का नाम)

प्ररूप–25
(देखिए नियम 53क)
रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

चुनाव

पंच, ग्राम पंचायत ———————————— वार्ड संख्या ————————————
सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————
सदस्य पंचायत समिति ———————————— वार्ड संख्या ————————————
सदस्य जिला परिषद ———————————— वार्ड संख्या ————————————

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत),

वार्ड संख्या————————————————————————————
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ————————————————

श्रीमान् जी,

मैं पंच/सरपंच ग्राम पंचायत...../सदस्य पंचायत समिति/सदस्य जिला परिषद .....वार्ड संख्या.....के आगामी चुनाव के लिए अपना मत डाक द्वारा डालना चाहता हूं।

मैं वार्ड संख्या.....के मतदान केन्द्र संख्या.....मतदान केन्द्र का नाम..... .....पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात हूं।

मुझे निम्नलिखित पते पर मतपत्र भेजा जाएः–

.....

.....

.....

भवदीय

स्थान.....

दिनांकः.....

प्ररूप–26
(देखिए नियम 53क)
चुनाव डयूटी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....पुत्र/पुत्री/पत्नी ....'वार्ड ....में मतदाता है और उसकी मतदाता सूची संख्या..................... है।

कि उसके चुनाव डयूटी पर होने के कारण वह मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान केन्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को डयूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान.......................

दिनांक.................... *रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर*

मोहर

**समुचित ब्यौरे दिए जाएं।*

प्ररूप–27

(*देखिए नियम 53 क*)

मतदाता द्वारा डाक मतपत्र के प्रयोग के लिए *घोषणा*

(इस तरफ का केवल तब प्रयोग किया जाना है जब मतदाता स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)

चुनाव

पंच, ग्राम पंचायत ———————————— वार्ड संख्या ————————————
सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————
सदस्य पंचायत समिति ———————————— वार्ड संख्या ————————————
सदस्य जिला परिषद ———————————— वार्ड संख्या ————————————

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह मतदाता हूं जिसे .....

.....संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त चुनाव में जारी किया गया है।

दिनांक..... *मतदाता के हस्ताक्षर*

पता

.....
.....
.....

हस्ताक्षर का सत्यापन

उपरोक्त..... (मतदाता) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप में जानता है/जिसे.....(पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर *तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर*

यदि कोई हो..... *नाम.....*

पता..... *पद.....*

..... *पता.....*

.....

दिनांक.....

(इस तरफ का तब प्रयोग किया जाना है जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह मतदाता हूं जिसे .....कम संख्या वाला डाक मतपत्र उपरोक्त चुनाव में जारी किया गया है।

मतदाता की ओर से तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

मतदाता का पता

.....
.....
.....

प्रमाण–पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि–

(1) *उपरोक्त नामित मतदाता व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है जिसे..... ;पहचानकर्ताद्ध द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।*

(2) *मैं सन्तुष्ट हो गया हूं कि मतदाता निरक्षर है। जो.....;अशक्तताद्ध से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।*

(3) *उसने मुझे उसकी ओर से मतपत्र चिहिन्त करने और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।*

(4) *मेरे द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिहिन्त और घोषणा हस्ताक्षरित की थी।*

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर *तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर*

..... *पदनाम.....*

यदि कोई हो

पता..... *पता.....*

....

दिनांक.....

प्ररूप–28
(देखिए नियम 53क)

लिफाफा– क''

गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

चुनाव

पंच, ग्राम पंचायत ——————————————— वार्ड संख्या ————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————————————

सदस्य, पंचायत समिति ———————————— वार्ड संख्या —————————————————

सदस्य जिला परिषद ————————————— वार्ड संख्या ————————————————

डाक मतपत्र

डाकपत्र की कम संख्या...

प्ररूप–29
(देखिए नियम 53क)
बड़ा लिफाफा–ख"

चुनाव में प्रयोग किया जाना है–

पंच, ग्राम पंचायत ———————————————— वार्ड संख्या ————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————————————

सदस्य, पंचायत समिति ————————————————वार्ड संख्या ————————————————

सदस्य, जिला परिषद ————————————————वार्ड संख्या ————————————————

लिफाफा–ख सरकारी बिना टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब प्रेषिती को इसका वितरण सुनिशिचित करेगा।

निर्वाचन अविलम्ब

*डाक मतपत्र

पंच, ग्राम पंचायत ———————————————— वार्ड संख्या ————————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————————————

सदस्य पंचायत समिति ———————————————— वार्ड संख्या ————————————————

सदस्य जिला परिशद ———————————————— वार्ड संख्या ————————————————

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)

**..

....

भेजने वाले के हस्ताक्षर...

*रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) यहां पर वार्ड के समुचित ब्यौरे लिखें।

**रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

प्ररूप–30
(देखिए नियम 53क)

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

चुनाव

पंच, ग्राम पंचायत ———————————————— वार्ड संख्या ——————————————

सरपंच, ग्राम पंचायत ————————————————————————————————

सदस्य, पंचायत समिति ——————————————— वार्ड संख्या ——————————————

सदस्य, जिला परिषद ———————————————— वार्ड संख्या ——————————————

व्यक्ति जिनके नाम इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। यदि आप अपना मत देना चाहते हैं, तो आप नीचे भाग–I में दिए गए निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग–ण्ण में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग–I
मतदाताओं के लिए हिदायतें

1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।

2. आपका केवल एक मत है।

3. आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए अपना मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. अभ्यर्थी जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं के नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुए मत अभिलिखित करें।

5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो अभ्यर्थी जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करे तथा सन्देह से परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जो अभ्यर्थी जिसको आपने अपना मत दिया है, को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर न करें या कोई श्शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी न करें।

7. मतदाता प्ररूप–27 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह चुनाव ड्यूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिसमें वह निर्वाचन ड्यूटी पर है।

भाग–II
मतदाताओं के लिए हिदायतें

1. आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गए "क" चिहिन्त छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।

2. इसके उपरांत आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप–27 में घोषणा भी मैजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की

उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि हो जाने के बाद उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को न तो दिखाना है और न ही बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।

3. *यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिहिन्त करने और अपनी घोषणा पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से अपना मत चिहिन्त करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिए हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिहिन्त करेगा। वह इस निमित आवशयक प्रमाण पत्र भी पूरा भरेगा।*

4. *आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (क) और मद (ख) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप–27 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले "क" चिहिन्त छोटे लिफाफे, "ख" चिहिन्त बड़े लिफाफे में भी रखें। बड़े लिफाफे को बन्द करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या सन्देशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको "ख" चिहिन्त लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।*

5. *आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास .....**को .....बजे से पूर्व पहुंच जाए।*

6. *कृप्या यह भी ध्यान रखें कि:–*

(i) *यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं, तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा य तथा*

(ii) *यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास.....**को.....बजे के पश्चात पहुंचेगा, तो **आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।*

**निर्वाचन के समुचित ब्यौरे अन्तः स्थापित करें।*

यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय तथा तिथि विनिर्दिष्ट करें।'

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
Nirvachan Sadan, Plot No.2, Sector 17, Panchkula

Notification

The 13th March, 2014

No.SEC/3E-II/2014/314 - Whereas, the superintendence, direction and control of all elections to Panchayati Raj Institutions in the State are vested in the State Election Commission by the Constitution of India and the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act No. 11 of 1994),

And whereas, it is necessary and expedient to provide in the interest of purity of elections to Panchayati Raj Institutions in the State of Haryana and in the interest of conduct of such elections, in a fair and efficient manner, for the specification, reservation, choice and allotment of symbols, for the recognition of political parties in relation thereto and for matters connected therewith;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under article 243K of the Constitution of India, section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act No.11 of 1994), and rule 33 of the Haryana Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, the State Election Commission, Haryana hereby makes the following Order:-

1. Short title, extent, application and commencement.- (1) This Order may be called the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Haryana in relation to elections in Panchayati Raj Institutions.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Haryana Government Gazette, which date hereinafter referred to be the date of commencement of this Order.

2. Definitions and interpretation.- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, ----

a. "Act" means the Haryana Panchayati Raj Act, 1994;
b. "clause" means a clause of the paragraph or sub-paragraph in which the word occurs;
c. "contested election" means an election to Panchayati Raj Institutions i.e. Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad ward where a poll is taken;
d. "election" means an election to fill a seat or seats of Panch, Sarpanch, Member Panchayat Samiti & Zila Parishad to which this Order applies;
e. "Form" means a form appended to this Order;

f. “National party” means and includes every political party which has been recognised by the Election Commission of India as a National Party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

g. “political party” means an association or body of individual citizens of India registered with the Election Commission of India as a political party under section 29A of the Representation of the People Act,1951(43of 1951);

h. “State party” means and includes every political party which has been recognised by the Election Commission of India as a State party in the State of Haryana under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

i. “registered but un-recognised political party” means and includes every political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 with the Election Commission of India, and head office of which is located in the State of Haryana ;

j. “paragraph” means a paragraph of this Order;

k. “rules” mean the Haryana Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994;

l. “State Election Commission” means the State Election Commission, Haryana constituted under Article 243K and 243ZA of the Constitution of India vide Haryana Government, Development and Panchayat Department, Notification No. S.O.101/Const./Art. 243K/243ZA/93, dated the 18th November, 1993;

m. “sub-paragraph” means a sub-paragraph of the paragraph in which the word occurs.

n. “ward” means a ward for; Panch in a Gram Panchayat, Member in a Panchayat Samiti and Member in a Zila Parishad, formed under rule 4 of the Haryana Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 for the purpose of election of Panch or Member; and

o. words and expressions used but not defined in this order but defined in the Representation of the People Act, 1950, or the rules made thereunder or in the Representation of the People Act, 1951, or the rules made thereunder or the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, and rules made thereunder, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts and rules.

(2) The Punjab General Clauses Act, 1898 (Punjab Act 1 of 1898) shall, as far as may be, apply in relation to the interpretation of this Order as it applies in relation to the interpretation of a Haryana Act.

3. Allotment of symbols.- In every contesting election, a symbol shall be allotted to a contesting candidate in accordance with the provisions of this Order and different symbols shall be allotted to different contesting candidates at an election in the same ward.

4. Classification of symbols.- (1) For the purpose of this Order, symbols are either reserved or free.

(2) Save as otherwise provided in this Order, a reserved symbol is a symbol which is reserved by the Election of India under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 for a recognised political party.

(3) A free symbol is a symbol other than a reserved symbol.

5. Notification by the State Election Commission containing lists of political parties and the symbols.- (1) The State Election Commission shall, by one or more notifications in the State Gazette, publish lists specifying-

(a) the National parties and the symbols, respectively reserved for them;

(b) the State parties for the State of Haryana and the symbols, respectively reserved for them ; and

(c) the free symbols for the independent candidates.

(2) Every such list shall, as far as possible, be kept up-to-date.

6. Allotment of symbols in election for the office of Panches and Sarpanches.- (1) The election of the office of Panches and Sarpanches cannot be contested by any candidate on a symbol reserved for the political party and symbols shall be allotted to the contesting candidates seriatim-wise from the list of free symbols notified by the State Election Commission under para 5 (1) (C) above, as the case may be, in order of the list of contesting candidates prepared in Hindi in alphabetical order of Devnagri Script on the last day of withdrawal of nomination.

(2) Each candidate or his election agent shall be intimated the symbol allotted to him in writing, and signature obtained in token of having received that intimation. He shall also be given specimen copy of that symbol, along with the said information.

7. Choice of symbols by candidates of National and State parties and allotment thereof.- (1) A candidate, set up by a National Party at any election in any ward of Panchayat Samiti or Zila Parishad, shall be allotted the symbol reserved for that party and no other symbol.

(2) A candidate, set up by a State party at an election in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, shall be allotted the symbol reserved for that party in the State of Haryana and no other symbol.

(3) A reserved symbol shall not be chosen by, or allotted to, any candidate in any ward of Panchayat Samiti or Zila Parishad other than a candidate set up by a National party for whom such symbol, has been reserved or a candidate set up by a State party in the State of Haryana for whom such symbol has been reserved in the State of Haryana even if no candidate has been set up by such National or State party in that ward.

8. Choice of symbols by other candidates and allotment thereof.- (1) Any candidate of an election in a ward in any Panchayat Samiti or Zila Parishad other than-

(a) a candidate set up by a National party, or

(b) a candidate set up by State Party (recognised for the State of Haryana), or

(c) a candidate referred to in paragraph 9,

shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions hereinafter set out in this paragraph, one of the symbol specified as free symbol for that Panchayat Samiti or Zila Parishad by notification under paragraph 5.

(2) Where any free symbol has been chosen by only one candidate of such election, the returning officer shall allot that symbol to that candidate and to no one else.

(3) Where the same free symbol has been chosen by several candidates of such election, then –

(a) if, of those several candidates, only one is a candidate set up by a registered but unrecognized political party and the rest are independent candidates, the returning officer shall allot that free symbol to the candidate set up by the unrecognized political party, and to no one else and, if, of those several candidates, two or more are set up by different unrecognised political parties and the rest are independent candidates, the returning officer shall decide by lot to which of the two or more candidates set up by the different unrecognized political parties that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidate on whom the lot falls, and to no one else:

Provided that where of the two or more such candidates set up by such different unrecognised political parties, only one is, or was, immediately before such election, a sitting member of Panchayat Samiti or Zila Parishad (irrespective of the fact as to whether he was allotted that free symbol or any other symbol at the previous election when he was chosen as such member), the returning officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else;

(b) if, of those several candidates, no one is set up by any unrecognised political party and all are independent candidates, but one of the independent candidates is or was, immediately before such election a sitting member of Panchayat Samiti or Zila Parishad, and was allotted that free symbol at the previous election when he was chosen as such member, the Returning Officer shall allot that free symbol to that candidate, and to no one else; and

(c) if, of those several candidates, being all independent candidates, no one is, or was, a sitting member as aforesaid, the returning officer shall decide by lot to which of those independent candidates that free symbol shall be allotted, and allot that free symbol to the candidates on whom the lot falls, and to no one else.

Provided that every independent candidate of Panchayat Samiti/Zila Parishad shall give in his/her nomination form, choice of three symbols in order of preference, from the list of free symbols published by the State Election Commission for these elections.

9. When a candidate shall be deemed to be set up by a political party.- For the purposes of this order, a candidate shall be deemed to be set up by a political party in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, if, and only if, -

(a) the candidate has enclosed a declaration to that effect along with the nomination paper;

(b) the candidate is a member of that political party and his name is borne on the rolls of members of the party;

(c) a notice by the political party in writing, in Form B, to that effect has, not later than 3.00 P.M. on the last date for making nominations, been delivered to the Returning Officer of the ward;

(d) the said notice in Form B is signed by the President, the Secretary or any other office bearer of the party, and the President, Secretary or such other office bearer sending the notice has been authorised by the party to send such notice;

(e) the name and specimen signature of such authorised person are communicated by the party, in Form A, to the Returning Officer of the Panchayat Samiti or Zila Parishad not later than 3.00 P.M. on the last date for making nominations; and

(f) Forms A and B are signed, in ink only, by the said office bearer or person authorised by the party:

Provided that no facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any such office bearer shall be accepted and no form transmitted by fax shall be accepted.

10. Concession to candidates set up by a State party recognised for the States/Union Territories other than the State of Haryana.- If a political party which is recognised as a State party, in the State or Union Territory other than the State of Haryana, sets up a candidate at an election in a ward in any Panchayat Samiti or Zila Parishad in the State of Haryana, then such candidate may, to the exclusion of all other candidates in the ward, be allotted the symbol reserved for that party in the States or Union Territories in which it is a recognised State party, on the fulfilment of each of the following conditions, namely :-

(a) that an application is made to the State Election Commission by the said party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it, not later than the third day after the publication in the Official Gazette of the notification calling the election;

(b) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of paragraph 9 read with paragraph 11 in respect of such candidate ; and

(c) that in the opinion of the State Election Commission there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment:

Provided that nothing contained in this paragraph shall apply to a candidate set up by the State party recognised for other State or Union Territory at an election in any ward of the Panchayat Samiti or Zila Parishad where the same symbol is already reserved for State party recognised for the State of Haryana.

Provided further that, if the symbol reserved for the said State party recognised for other State/ Union Territory by the Election Commission of India, is not

available in the list of free symbols published by the State Election Commission, the party concerned shall make available the sketch/drawing, of symbol alongwith application to be submitted under sub para (a) of this paragraph.

11. Substitution of a candidate by a political party.- For the removal of any doubt, it is hereby clarified that a political party which has given a notice in Form B under paragraph 9 in favour of a candidate may rescind that notice and may give a revised notice in Form B in favour of another candidate for the ward:

Provided that the revised notice in Form B, clearly indicating therein that the earlier notice in Form B has been rescinded, reaches the Returning Officer of the ward, not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations, and the said revised notice in Form B is signed by the authorized person referred to in clause (d) of paragraph 9:

Provided further that in case more than one notice in Form B is received by the Returning Officer in respect of two or more candidates, and the political party fails to indicate in such notices in Form B that the earlier notice or notices in Form B, has or have been rescinded, the Returning Officer shall accept the notice in Form B in respect of the candidate whose nomination paper was first delivered to him, and the remaining candidate or candidates in respect of whom also notice or notices in Form B has or have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party.

12. Preparation of list of validly nominated candidates.- (1) List of validly nominated candidates shall be prepared by the Returning Officer alphabetically in Hindi in Devnagari script as per the following Order:-

(a) name of the candidates set up by the recognised political party;
(b) name of candidates set up by the registered but un-recognised political party; and
(c) names of independent candidates.

13. Power of State Election Commission to debar the contesting candidate or to withdraw the reserved symbol of a recognized political party for its failure to observe Model Code of Conduct or to follow lawful directions and instructions of the State Election Commission.- Notwithstanding anything contained in this Order, if the State Election Commission is satisfied on information in its possession that a recognized political party under the provisions of this Order, has failed or has refused or is refusing or has shown or is showing defiance by its conduct or otherwise

(a) to observe the provisions of the " Model Code of Conduct for Guidance of Political parties and candidates" as issued by the State Election Commission or as amended by it from time to time, or
(b) to follow or carry out the lawful directions and instructions of the State Election Commission given from time to time with a view to furthering the conduct of free, fair and peaceful elections of safeguarding the interests of the general public and the electorate in particular,

the State Election Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and after giving the party a reasonable opportunity of showing cause in relation to the action proposed to be taken against it, either debar

the contesting candidate or to withdraw the reserved symbol of such party for such period as the State Election Commission may deem appropriate.

Provided that if a symbol of a contesting candidate set up by a political party has been withdrawn, he can contest election on a free symbol.

14. Power of State Election Commission to issue instructions and directions.- The State Election Commission may issue instructions and directions,-

(a) for the clarification of any of the provision of this Order;

(b) for the removal of any difficulty which may arise in relation to the implementation of any such provisions; and

(c) in relation to any matter with respect to which this Order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is in the opinion of the State Election Commission necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

15. Repeal and savings.- The Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1996, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the order so repealed shall be made or taken under the corresponding provisions of these orders**.**

FORM-A

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY RECOGNISED NATIONAL OR STATE POLITICAL PARTY OR REGISTERED UN-REGISTERED POLITICAL PARTY.

[See paragraph 9)

To

The Returning Officer for the
_____Panchayat Samiti/Zila Parishad.

Subject: Elections to Member Panchayat Samiti or Zila Parishad _____ -Allotment of Symbols-Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2013, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorised by the party, which is National party/State party in the State of _____Registered but Un-recognised party to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	Name of Panchayat Samiti or Zila Parishad and it's Ward No. in respect of which he has been authorised.
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below:-

1. Specimen signatures of Shri _____
   (i)_____ (ii) _____
   (iii)_____
2. Specimen signatures of Shri _____
   (i) _____ (ii) _____
   (iii) _____.

3. Specimen signatures of Shri

_____

(i) _____ (ii) _____
(iii) _____.

Yours faithfully,

President/Secretary
Name of the Party.
(Seal)

Place:
Date:

N.B.

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above.
3. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any office bearer shall be accepted.
4. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM B

NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY
(See paragraph 9)

To

The Returning Officer for the
_____ Panchayat Samiti or Zila Parishad.

Subject: Election to Elections to Member Panchayat Samiti or Zila Parishad _____-Setting up of candidate.

Sir,

In pursuance of the Haryana Panchayati Raj Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2013, I hereby give notice on behalf of _____(Party).

(i) that the person whose particulars are furnished in columns(2) to (4) below is the approved candidate of the part above named, and

(ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substituted candidate of the party, who will step –up on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye-election from this constituency:

Name and Ward No. of Panchay at Samiti or Zila Parishad	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's Name of approved candidate.	Postal address of approved candidate.	Name of the substitute candidate who will step in (i) on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or (ii) on his (approved candidate) withdrawin	Father's/ Mother's/ Husband's name of substituted candidate.	Postal address of substituted candidate.

				g from the contest if, however, the nomination paper of substitute candidate is accepted on scrutiny as an independe nt candidate, and he is still a contesting candidate.		
1	2	3	4	5	6	7

2. The notice in Form "B" given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri _____ as party's approved candidate/Shri/ Smt./ Sushri _____ as Party's substituted candidate is hereby rescinded.

3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,
(Name and Signature of the
Place: Authorized person of the Party)
Date: (Seal of Party)

N.B.

This must be delivered to the Returning Officer not later than 3.00 p.m. on the last date for making nominations.

1. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc. of any office bearer shall be accepted.
2. No form transmitted by fax shall be accepted.
3. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable or must be properly filed, if applicable.

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIRVACHAN SADAN, PLOT NO.2, SECTOR-17,
PANCHKULA.

No.SEC/3E-II/2010/2831-51 Dated : 27.05.2010

To

All the Deputy Commissioners-cum-
District Election Officers (Panchayat),
in the State of Haryana.

Subject:- Election of Panchayat Samiti and Zila Parishad, 2010--Safe custody of ballot boxes after poll.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the item No. 13(2) of page 49 of chapter 18 of the Hand Book for Presiding Officer and to request you to follow the instructions strictly in the ensuing general election of Panchayati Raj Institutions also.

2. As you are aware that counting of votes of Panchayat Samiti and Zila Paishad will took place on 14.06.2010, therefore to keep safe custody of ballot boxes after poll, the State Election Commission further directs that :-

(i) All Presiding Officers or Collecting parties should deposit the ballot boxes, election papers and materials at the storage centers duly specified by the District Election Officer (Panchayat) without any delay. Any officer who defaults in this respect will make himself liable to disciplinary action.

(ii) You should earmark inside the storage room or building, specified parts of the floor space in the form of squares in advance for stacking the ballot boxes received from particular polling stations. The arrangements for this should follow the serial numbers of polling stations.

(iii) All ballot boxes received from one polling station must invariably be kept together at one place on the same square. The ballot paper account and the paper seal account of each polling station should be kept on top of the ballot boxes pertaining to the polling station.

(iv) Sufficient space should be left between rows of ballot boxes as they are being stacked so that other boxes received subsequently out of turn (from the point of view of serial numbers of the polling stations) may be kept at their appropriate allotted space without the necessity of having to shift any of the ballot boxes received and stacked earlier in point of time.

(v) It should be ensure that immediately after all the ballot boxes have been received and stored, the room is locked and sealed forthwith. If any of the contesting candidates so desires, he may be permitted to post an agent to keep watch at the place where the ballot boxes are stored

pending the counting. Each candidate may be permitted to nominate agents not exceeding three for this purpose. However, only one of such agents will be allotted to be present for keeping watch at any given point of time. The candidate should specifically authorize one of the three agents to affix his seal (in addition to the seal that may be affixed by you) on the doors and windows of the storage place, in case the candidate or the election agent himself is not putting such seal. The candidates should give full particulars of the agents so authorized by them in order to facilitate the verification of their identity. There will be no objection if you or the police authorizes, under whose charge the storage centre is kept, get the photograph of such agents taken at government expense. In order to avoid over-crowding near the storage place and as a measure of safeguard against any possible damage to storage place, the agents keeping vigil may be kept at a reasonable distance from the storage place. But they should be kept at such a place from where they have clear and unhindered view of the storage room/hall so that there is no allegation that they could not keep proper watch of the storage place.

(vi) It should be ensured that after the storage room/hall is locked and sealed, no one is allowed to go in till the morning of the day & time fixed for counting. If during this interval, for some unavoidable reasons, the room has to be opened, you should send for the candidates or their authorized representatives and open the room in their presence and immediately after the purpose for which the room is opened is over, the room should be locked and sealed again. The candidates or their representatives should again be allowed to seal the door and windows.

(vii) There should a logbook at every storage centers. In the logbook the name and address of the person, purpose of entry, time of entry, time of exit should be entered alongwith the signature of the guards in the presence of a responsible official. The entry should be with proper permission of Returning officer concerned. Those officer(s) who visit to inspect the position of the storage center should also sign the logbook alongwith date & time and record their observation.

(viii) A team of senior officers including Police Officer shall be constituted by the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(Panchayat) who shall visit the storage centers minimum two times morning and evening daily.

(ix) Necessary fire fighting equipments around all strong rooms will be provided.

(x) After poll, two tier security for strong rooms shall be provided.

(xi) Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(Panchayat) and Superintendent of Police will be responsible for any lapse in arrangements and security of ballot boxes.

(xii) The proper arrangements for counting of votes of Panchayat Samitis and Zila Parishad to be held on 14.06.2010 should be made. If you are satisfied and feel necessity of barricading for this purpose, then the same may be got done but it may be ensured that the minimum possible expenditure is incurred on the barricading.

(xiii) According to the instructions issued by the Commission (1) the metal seal of the Presiding Officer and (2) the arrow cross mark rubber stamp for marking the ballot papers used at the polling station will be put by the Presiding Officer inside the second bigger envelope containing non statutory items. Before placing them inside the bigger envelop , these items of election materials should be first put inside separate envelops on the outside of which the names of the articles should be super scribed and you should arrane to collect the packets containing these articles and deliver them as soon as may be practicable after the poll to the District Election Officer (Panchayat) for safe custody. These articles, after they are returned by the Presiding Officers and duly accounted for, can be used at any subsequent election, if still serviceable.

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIARVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17
PANCHKULA 134 109

No.SEC/3E-II /2010/3640-3660 Dated 08.06.2010

To

All the Deputy Commissioners-cum-
District Election Officers (Panchayat),
In the state of Haryana.

Subject:- Panchayat General Elections , 2010—Directions regarding free and fair elections.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that on the basis of feedback received from various sources in regard to Ist phase Panchayati Raj Institution's Elections held on 06.06.2010, the State Election Commission in the interest of free and fair elections directs as under :-

i) Coordination amongst booths of Panchayat—The polling personals deployed in the different polling booths of same Gram Panchayat should remain in touch with each other and the counting for the seat of Sarpanch should taken up after polling ends in all the booths.

ii) One additional polling officer may be deployed at each polling station where the number of voters is more than 600, as a voter generally cast four votes. This will help to improve the pace of voting and reduce the crowding at the booths.

iii) Polling agents should be provided identity cards by the Presiding Officers and the person without the identity card, should not be allowed to enter in the polling booth as polling agent.

iv) Polling agents should be strictly directed to not to bring mobile phones as these are strictly prohibited.

v) Presiding Officer should maintain log book/visiting diary at each polling station.

These instructions should be complied with meticulously.

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIARVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR-17,
PANCHKULA 134 109

No.SEC/3E-II /2010/3851-72 Dated 11.06.2010

To

All the Deputy Commissioners-cum-
District Election Officers (Panchayat),
In the state of Haryana.

Subject:- Panchayat General Elections , 2010—Directions regarding free and fair elections.

Sir/Madam,

I am directed to refer to this Commission's letter No. SEC/3E-II /2010/3640-3660 dated 08.06. 2010 on the subject noted above and to say these instructions may be followed strictly and further added that :-

i) The counting of the seat of Sarpanch should not be taken up till the completion of poll on all booths including booth where re-poll is required.

ii) In respect of Panchayat Samiti and Zila Parishad, if re-poll is required on any polling booth due to any reason, no counting should be started till the completion of re-poll.

These instructions may also be brought to the notice of all Supervisors and all Presiding Officers immediately.